–: सम्पादक :–

डा० हारून रशीद सिद्दीकी

– सहायक –

मु० सरवर फारूकी नदवी

मु० हसन अन्सारी

हबीबुल्लाह आज़मी

हिन्दी मासिक

सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक

फरवरी, 2003 वर्ष 1 अंक 12

कार्यालय

मासिक सच्चा राही !

मजलिसे सहाफत व नशरियात

पो० बॉ० नं० 93

टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ

फोन : 787250

फैक्स : 787310

e-mail :

nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	रु० 9/–
वार्षिक	रु० 100/–
विशेष वार्षिक	रु० 500/–
विदेशों में (वार्षिक)	25 यूएस डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें :

"सच्चा राही"

पता : सेक्रेटरी मजलिस सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ–226007

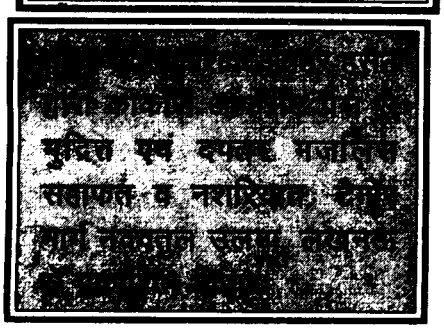

[illegible] मुद्रित एवं [illegible] मजलिस [illegible] [illegible]

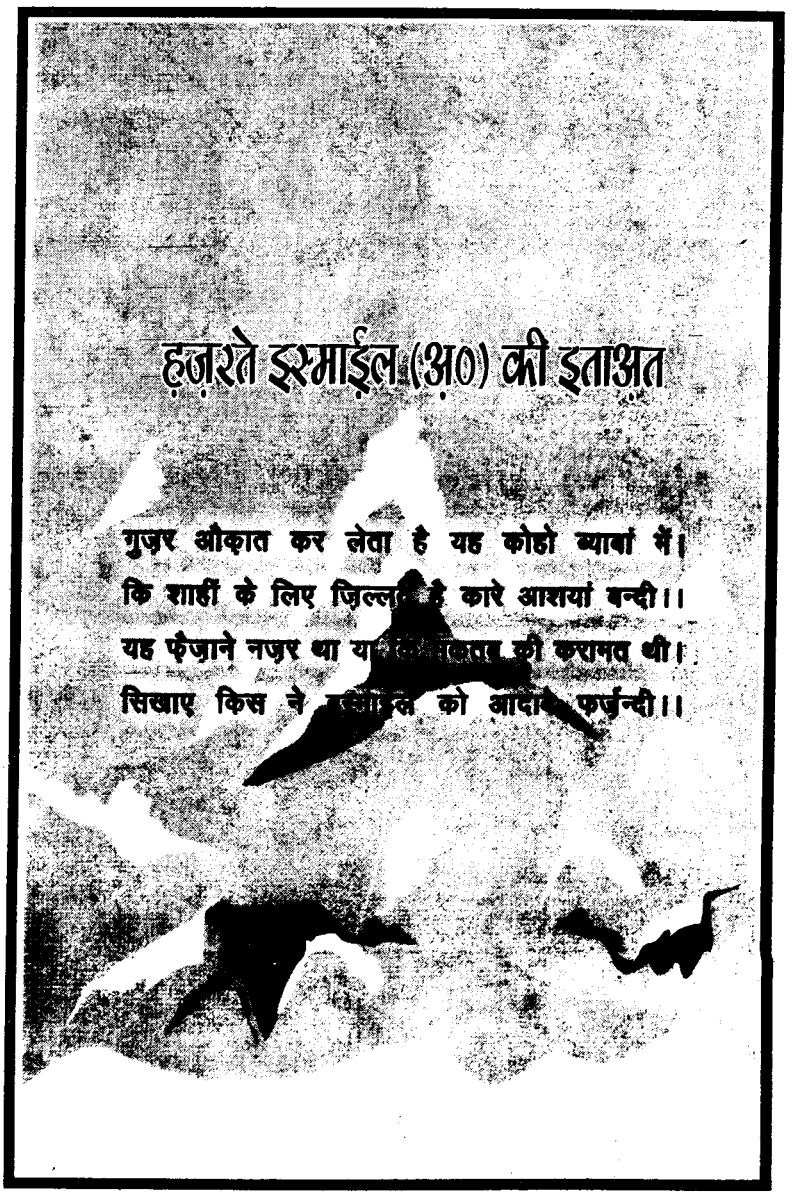

विषय एक नज़र में

- परीक्षा — सम्पादकीय..... 3
- कुर्आन की शिक्षा — मौलाना मु० उवैस नदवी (रह०) 4
- प्यारे नबी की प्यारी बातें — मौलाना सय्यद अ़ब्दुल ह़यी ह़सनी 5
- मेरे जीवन का इतिहासिक दिवस — मौलाना अबुल ह़सन अ़ली ह़सनी (रह०)..... 6
- राज़नीति के इस्लामी सिद्धान्त — मौ० मुह़म्मद राबे ह़सनी नदवी..... 9
- सलाम उनके मकीनों को — मौ० मुह़म्मद सानी ह़सनी..... 10
- ह़ज के अवसर पर हुज़ूर (स०) के अन्तिम सम्बोधन का सार — मौ० अ़ब्दुल करीम पारीख 11
- आपकी समस्याएं और उनका ह़ल — मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी 12
- दूसरे धर्म वालों के प्रति सहिष्णुता — डा० इज़्तिबा नदवी 13
- जानवरों के साथ बर्ताव — डा० मुस्तफ़ा सिबाअ़ी..... 15
- मंजिलों के भी पांव होते हैं — डा० श्रीहरि..... 19
- दौलत और शुहरत से दुराव था अ़ली मियां को — मु० ह़सन अन्सारी 20
- स्वतंत्रता आन्दोलन में भारतीय मुसलमानों की भूमिका — प्रो० शान्तिमय राय 22
- मरणोपरान्त जीवन — ह़बीबुल्लाह आज़मी 24
- बड़ी भाग्यवान थीं बक़रीदन बूढ़ा — अ़ब्दुल्लाह सिद्दीक़ी 26
- इन्सान की अहमियत ख़ुदा की नज़र में — ह़ैदर अली नदवी 28
- जिन्नात का परिचय — अबू मर्गूब..... 29
- पवित्र कुर्आन ईश्वरीय ग्रन्थ है — मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी 30
- दुश्मन कब ग़ालिब आता है — मौलाना अब्दुल करीम पारीख 32
- फ़िरऔन का डूबना — अह़मद अ़ली नदवी 35
- आओ उर्दू सीखें — इदारा 36
- नीबू — तैय्यब ह़मीदा आ़किल 37
- अधिकारों में हुआ इज़ाफ़ा — मुद़स्सिर हुसैन नौख़ेज़ 39
- अन्तर्राष्ट्रीय समाचार — मुईद अशरफ़ नदवी..... 40

❑❑❑

परीक्षा

डा० हारून रशीद सिद्दीकी

जब बेटा इस आयु को पहुंच गया कि बाप के साथ चलने फिरने और दौड़ने खेलने लगा तथा बात भी भलीभांति समझने लगा तो बाप ने एक दिन कहा : "मेरे प्रिय पुत्र ! मैं स्वप्न (ख़्वाब) में देखता हूँ कि मैं तुम को ज़ब्ह कर रहा हूँ। सो तुम भी ध्यान देकर बताओ कि इस सम्बन्ध में तुम्हारा क्या विचार है ?" बेटा बोला : "मेरे प्रिय पिता ! आप को जो आदेश मिला है उसे कर गुज़रये । इन्शा अल्लाह (अल्लाह ने चाहा) तो आप मुझे सहन कर लेने वाला पाएंगे।"

यह बेटा हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम थे और बाप हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम।

अल्लाह तआ़ला अपने ख़ास बन्दों (प्रमुख भक्तों) को नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुज़ारता है। यह अल्लाह का भेद है जिस के गुण वही जानता है। बाहर से लोग सोचते हैं कि यह क्या तरीक़ा है कि अपने ही प्रिय को अपने अधिकार से कष्ट में डाला जाए दुखी किया जाए। परन्तु यही बात यदि अल्लाह के उन प्रिय बन्दों (भक्तों) से कही जाए तो यह उनको बहुत बुरी लगेगी। यह भेद की बातें हैं जिनको अल्लाह और उनके प्रिय भक्त ही जानते हैं।

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम अल्लाह के पैग़म्बर (सन्देष्टा) थे वह बाबुल के कल्दान या उर के निवासी थे। जब अपने पिता को ईश सन्देश पहुंचाया और मूर्ति पूजा के दोष बताए तो वह ख़फ़ा हो गए मारने की धमकी दी और घर से निकाल दिया। अल्लाह का सत्य सन्देश सुनकर नम्रूद बादशाह भी विरोधी हो गया और उसकी प्रजा भी। वाद विवाद से हार कर सत्ता के घमन्ड में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को बहुत बड़े अलाव में डलवा दिया। नम्रूद तथा उसकी जनता को उनकी पथ भ्रष्टा ने अन्धा कर दिया था। अपनी आखों देखा कि आग इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम पर ठन्डी और सलामती वाली बन गई फिर भी वह अन्धे ईमान न लाए बल्कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को अपने देश से निकाल दिया। वह यात्रा की कठिनाइयां सहन करते दमिश्क आ गए। सारा और हाजिरा दो पत्नियां थीं। आयु अस्सी पार कर चुकी थी। अल्लाह से सन्तान मांगी हाजिरा की कोख से इस्माईल का जन्म हुआ। नये रंग की परीक्षा सामने आई। इलाही आदेश पर हाजिरा और इस्माईल को उस समय के अनुसार एक ऐसी पथरीली ज़मीन जिस में न घास न पानी, न मानव न पशु न पक्षी (अर्थात मक्का) में छोड़ आए। अब हाजिरा और इस्माईल की भी परीक्षा होने लगी। पानी की खोज में सफ़ा व मरवा पहाड़ियों के बीच हाजिरा की व्याकुलता देख फ़िरिश्ते भी दंग थे। ज़म ज़म (पानी का स्रोत) प्रदान हुआ। कुछ लोग आ बसे। ईस्माईल (अ़०) बढ़ते रहे फिर वह परीक्षा आई जिस से यह लेख आरम्भ हुआ।

इब्राहीम (अ़०) छुरी छुपा कर कलेजे के टुकड़े बेटे को लेकर निकल पड़े। रास्ते में शैतान ने बहकाया तो कंकरियां मार कर भगाया गया। मिना पहुंच कर बेटे के परामर्श से उन के हाथ पैर बांध कर लिटा दिया अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर छुरी चला दी। आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम ! तुमने स्वप्न के आदेश को सच कर दिखाया। इम्तिहान में कामियाब हुए। लो इस्माईल के बदले इस जन्नती दुंबे को ज़ब्ह करो। परीक्षा के इन स्वीकृति प्राप्त उदाहरणों की याद को अल्लाह ने रहती दुन्या तक बाक़ी रखने का निर्णय फ़रमाया और उम्मते मुहम्मद (सल्लल्लाह अ़लैहि व सल्लम) के मालदारों पर हज फ़र्ज़ किया और क़ुर्बानी वाजिब की। – (शेष अगले पृष्ठ पर)

क़ुर्आन की शिक्षा

मौलाना मुहम्मद उवैस नदवी

पति (शौहर) के साथ बरताव।

"फ़स्सलिहातु क़ानितातुन हाफ़ज़ातुन लिलग़ैबि" (अन्निसा : ३४)

तो नेक बीवियां शौहरों की आज्ञाकारी होती हैं और शौहर के पीठ पीछे शौहर (के धन, सम्पत तथा आबरू) की रक्षा करती हैं।

जिस प्रकार मर्दों के ज़िम्मे औरतों का हक़ है उसी प्रकार औरतों के ज़िम्मे मर्दों का हक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तक़वा (संयम) के पश्चात् नेक औरत (सदाचारी पत्नी) से बढ़कर कोई चीज़ नहीं कि शौहर उस को जो कहे वह माने। शौहर जब उस की ओर देखे तो वह उस को ख़ुश कर दे। और अगर शौहर उस को कसम देकर कुछ कहे तो वह उस की कसम पूरी कर दे। और शौहर घर पर न होतो अपने आप और उसके माल की रक्षा करे।

फ़रमाया : बीवी अपने शौहर के घर की सुरक्षा करने वाली है। उससे उसकी पूछ गछ होगी।

फ़रमाया : अगर ख़ुदा के सिवा किसी और को सजदा करने का मैं आदेश देता तो औ़रत को आदेश देता कि वह अपने शौहर को सजदा करे।

सहाबिया औ़रतें अपने शौहरों की ख़िदमत, इज़्ज़त और उनके माल की हिफ़ाज़त का पूरा ख़याल रखती थीं। हज़रते आइशा (रज़ि०) अपने हाथ से रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मिस्वाक और उनके कपड़े धोतीं और जिस्मे मुबारक पर खुशबू लगातीं। एक बार हज़रते अस्मा के पास एक ग़रीब सौदागर आया कि अपनी दीवार के साये में मुझ को सौदा बेचने की इजाज़त दे दें मगर वह अपने शौहर हज़रत ज़ुबैर से पूछे बिना नहीं कहना चाहती थीं। बोलीं ज़ुबैर की मौजूदगी में आओ और मुझ से इजाज़त मांगो। वह उसी हालत में आया और इजाज़त मांगी। बोलीं तुम को मदीने में मेरा ही घर मिला था ? हज़रत ज़ुबैर ने कहा तुम्हारा क्या बिगड़ता है ? वह तो चाहती ही थीं शौहर का मंशा पाकर इजाज़त दे दी।

एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ में चांदी के छल्ले देखे। पूछा आइशा यह क्या है ? बोलीं मैं ने इनको इस लिए बनवाया है कि आप के लिए सिंगार करूं।

बीवी के साथ बरताव :

"व आ़शिरू हुन्न बिल्मअ़रूफ़" (अन्निसा :१९)

(इन औ़रतों केसाथ अच्छी तरह गुज़ारा करो।)

अल्लाह का आदेश है कि औ़रतों के साथ अच्छा बरताव करो। अच्छे बरताव का मतलब यह है कि उन पर किसी प्रकार का अति न किया जाए। यह हमारे पास अल्लाह की अमानत (धरोहर) हैं। इनकी दीनी (धार्मिक) शिक्षा दीक्षा तथा पालन पोषण का प्रबन्ध करना, उनको अच्छी मां, भली पत्नी और अल्लाह की सच्ची बन्दी बनने के नियम सिखाना चाहिए। उनको ऐसी राह न चलने देना चाहिए जिस से दुन्या तबाह और आख़िरत बरबाद हो। अल्लाह तआ़ला ने निकाह, तलाक़, जाइदाद तथा रोज़ के जीवन में उनको जो हक़ दिया है उसमें कमी न की जाए। रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम में अच्छा वही है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है।

फ़रमाया मर्द अपनी बीवी बच्चों का रखवाला है उससे इस की पूछ होगी।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

हमारे एक मित्र ने कहा कि इब्राहीम पैग़म्बर का अनुसरण ही करना है तो बेटा क़ुर्बान करो। जानवर की जान क्यों लेते और उसे क्यो खा जाते हो। मैं ने उत्तर दिया कि यह मशवरा तो उस फ़लसफ़ी (दार्शनिक) को दीजिए जिस का धर्म नाक़िस फ़लसफ़े के आधार पर हो। हम तो यह देखते हैं कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अपनी अ़क़्ल इस में लगाई कि वह अल्लाह के आदेशों का पालन करें। हम उम्मते मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को अन्तिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम द्वारा जो इलाही आदेश मिला है हम उसी का पालन करेंगे। हम तो उनकी अनुमति के बिना गेहूं चावल भी नहीं खाते चुनान्चे चोरी से, सूद से, रिश्वत से प्राप्त धन हमारे लिऐ हराम है। उससे खरीदा आटा चावल घी दूध भी हमारे लिए हराम है।

अल्लाह तआ़ला इब्राहीम व इस्माईल और उनके घर वालों पर सलामती उतारे और हम सब को मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व आलिही व सल्लम द्वारामिले आदेशों के पालन करने की तौफ़ीक दे। आमीन !

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मौलाना अब्दुलहयी हसनी

आमाल का दारोमदार नियतों पर– हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ि०) से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से सुना है कि तमाम इन्सानी आमाल का दारोमदार नियतों पर है हर व्यक्ति को उसकी नियत के अनुसार मिलेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) के लिए होगी और जो दुन्या को हसिल करने के लिए करेगा, या किसी औरत से निकाह के लिए करेगा, तो उसकी हिजरत उसी औरत से निकाह के लिए करेगा, तो उसकी हिजरत उसी के लिए होगी जिसके लिए वतन छोड़ा है।

(बुख़ारी, मुस्लिम)

अल्लाह तआला दिलों को देखता है और उसी के अनुसार फैसला करता है :– हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फरमाया, अल्लाह न तुम्हारे जिस्मों (शरीरो) को देखता है और न शक्लों को बल्कि उसकी नज़र तुम्हारे दिलों पर रहती है। (मुस्लिम)

अहले बैत की महब्बत ईमान की अलामत है –हज़रत जैद बिन अरक़म (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) 'खम' नामक तालाब के पास खड़े खुत्बः दे रहे थे आप ने हम्द व सना और नसीहत के बाद फरमाया। अम्मा बाद ! मैं भी एक आदमी हूं, करीब है कि मेरे रब का कासिद (दूत) मेरे पास आए और मैं उस को कुबूल करूं (और इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ) मैं तुम में दो अहम चीज़ें छोड़ रहा हूं पहली अल्लाह की किताब (कुर्आन मजीद) है जिसमें हिदायत व नूर है तो तुम अल्लाह की किताब लो और उसको मज़बूती से पकड़ो, फिर अल्लाह की किताब की रग़बत दिलाई फिर फरमाया मेरे घर वाले, मैं तुम को याद दिलाता हूं उनके बारे में अल्लाह को, तुम को याद दिलाता हूं उनके बारे में अल्लाह को । (मुस्लिम)

अहले बैत की फ़ज़ीलत – हज़रत आइशा (रज़ि०) से रिवायत है कि एक दिन अल्लाह के रसूल (सल्ल०) सुबह को निकले, आप काले बालों की चादर ओढ़े हुए थे जिस में ऊंटों के कजावों की तस्वीरें बनी हुई थीं इतने में हज़रत हसन बिन अली (रज़ि०) आए, आप (सल्ल०) ने उनको चादर में ले लिया फिर हज़रत हुसैन (रज़ि०) आये वह भी (हज़रत हसन रज़ि० के साथ) चादर में आ गये (फिर) हज़रत फ़ातिमा रजियल्लाहु अन्हुमा आईं, उनको भी आप (सल्ल०) ने चादर में कर लिया। इतने में हज़रत अली (रज़ि०) भी आये उनको भी आप (सल्ल०) ने उसी चादर में दाखिल कर लिया उसके बाद आप (सल्ल०) ने फरमाया "ऐ अहले बैत अल्लाह तआला चाहता है कि तुमसे गन्दगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे।

(मुस्लिम)

हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा का दर्जा – हज़रत मुसव्विर बिन मखरिमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि सल्ल० ने फरमाया : फ़ातिमा मेरा अंश है, (अर्थात मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है) जिसने फातिमा को नाराज़ किया, उसने मुझे नाराज़ किया। (बुख़ारी)

हज़रत हसन की महब्बत – हज़रत बरा बिन आजिब (रज़ि०) से रिवायत है कि मैंने देखा कि हसन बिन अ़ली रज़ि० आप (सल्ल०) के कंधे पर चढ़े है और रसूलुल्लाहि (सल्ल०) फरमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह मैं इससे महब्बत करता हूं तू भी महब्बत कर। (बुख़ारी)

हज़रत हसन (रज़ि०), हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) जैसे –हज़रत अनस (रज़ि०) फरमाते हैं कि हसन बिन अली से ज़ियादह कोई रसूलुल्लाहि (सल्ल०) जैसा न था।

नवास–ए–रसूल (सल्ल०) के बद बख्त कातिलीन की मज़म्मत –हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) फरमाते हैं कि इराक़ वाले मक्खी के मारने का मसला तो पूछते हैं जबकि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) की बेटी (हज़रत फ़ातिमा रज़ि०) के लाडले (हज़रत हुसैन रज़ि०) को क़त्ल कर डाला जबकि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) ने फरमाया है कि वह दोनों (हसन व हुसैन रज़ि०) दुन्या के मेरे दो फूल है। (बुख़ारी)

हज़राते हस्नैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का दर्जा –हज़रत अनस (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाहि (सल्ल०) से पूछा गया अहले बैत में आप (सल्ल०) को सबसे ज़ियादा महबूब कौन हैं आप (सल्ल०) ने जवाब दिया हसन और हुसैन।

आप (सल्ल०) ने हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया करते, मेरे दोनों बच्चों को बुलाओ फिर आप उन दोनों को सूंघते और लिप्टाते।

(तिमर्मिज़ी)

मेरे जीवन का ऐतिहासिक दिवस

मो० सैय्यद अबुल हसन अ़ली नदवी

एक भाषण से

मेरे विद्वान और सम्मानित दोस्तो! आज का दिन मेरे जीवन में ऐतिहासिक दिन है, इसलिए कि मैं अपनी ज़िन्दगी में दो बार कोर्ट गया हूं। एक बार तो द्विभाषी (**Interpreter**) की हैसियत से । बहुत ज़माना हुआ हमारे शहर लखनऊ में एक साहब हमारे (**Colleague**) थे। उन पर किसी ऐसे बाइलाज (**Bylaws**) में जो म्युनिस्पिलटी के होते हैं, केस क़ाइम हो गया। वह अरबी बोलते थे और कोई ज़बान नहीं जानते थे तो मैं अनुवादक (**Translator**) कीं हैसियत से कोर्ट गया था। दूसरी बार अपनी वाल्दा की जायदाद की रजिस्ट्री के सिलसिले में कोर्ट गया था और आज कोर्ट में यह तीसरी हाज़िरी मेरे लिए **Historical** है। मैं मुददई की हैसियत से नहीं आया हूं। इसमें तो बड़ी ज़हमत (कष्ट) होती है। मैं आया हूं अच्छे, बुद्धिजीवी, सम्मानित शहरियों के चुनिन्दा जनसमुदाय से मिलने और उनसे बात करने।

लीडरशिप कानूनदां तबक़े के हाथ में :

आप यह जानते हैं कि हिन्दुस्तान की रहनुमाई (नेतृत्व) क़ानून जानने वाले तबक़े (वर्ग) ने की और आज भी हिन्दुस्तान की लीडरशिप कानूनदानों (**Lawyers**) के हाथ में है। महात्मा गान्धी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, सर मुहम्मद अली जिनाह, सर तेज बहादुर सपरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बैरिस्टर आसिफ़ अली, हिन्दुओं और मुसलमानों के अक्सर लीडर क़ानून दां तबक़े से सम्बन्ध रखते हैं। हिन्दुस्तान की जंगे आज़ादी इसी तबक़े ने लड़ी। अंग्रेज़ जैसी क़ानूनी और **Leagal** दिमाग रखने वाली क़ौम का मुक़ाबला **Leagal** तरीक़े से करना चाहिए था। अंग्रेज अगर कोई ग़लत काम करना चाहता है तो उसे भी क़ानूनी और **Legal** तरीक़े पर करना चाहेगा, और ठीक काम करता है तो वह भी दस्तूरी (वैधानिक) और क़ानूनी अन्दाज़ में करता है। उसने अपने बड़े बड़े मुहसिनों (उपकारियों) मसलन लार्ड क्लाइयू आदि पर, जिन्होंने ब्रिटिश इम्पायर की बुन्याद (**Foundation**) रखा था, मुक़दमा चलाया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बरकले का भाषाण आप को याद होगा। हिन्दुस्तान में उनके ख़िलाफ़ लड़ाई भी वही लोग कर सकते थे जो क़ानून के माहिर थे और क़ानून का जवाब क़ानून से दे सकते थे।

मौत और ज़िन्दगी की जंग –

इसलिए आप हज़रात इस समय भी देश में बहुत अहम रोल (**Role**) अदा कर सकते हैं। इस समय हमारा देश एक खास स्टेज (**Stage**) पर पहुंच गया है। एक बहुत बड़ी **Crisis** को **Face** कर रहा है। यह क्राइसिस कानून का नहीं बल्कि इंसानिय (**Humanity**) का है। यह **Moral Crisis** और **Ethical Crisis** (चरित्र और आचरण की क्राइसिस) है। इस समय देश लड़ाई के एक दूसरे मैदान में दाख़िल हो रहा है। यह लड़ाई ज़िन्दगी और मौत की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप हज़रात की रहनुमाई (पथ प्रदर्शन) की ज़रूरत है।

मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। मेरा अध्ययन यह कहता है कि तहज़ी (**Civilization**) और सुसाइटी पर दो युग आते हैं। एक उस समय जब सोसाइटी का आला दिमाग, बुद्धिमान और क़ाबिल तबका (**Intelligentsia**) अच्छे रुख़ पर चलता है **Constructive** (रचनात्मक) बन जाता है तो उस समय तहज़ीब (सभ्यता) की बहार आ जाती है। सोसाइटी अपने उच्चतर बिन्दु (**Climax**) पर पहुंच जाती है। फिर एक युग वह आता है जब यह जिहानत (बुद्धिमानी) **Destructive** (तबाह कुन) बन जाती है। वह पेशावराना (**Professional**) बन जाती है और उसको इससे बहस नहीं होती कि सोसाइटी डूबेगी या पार उतरेगी। हमारा समाज तबाह होगा या पनपेगा। उन्हें बस अपनी फ़ीस से मतलब होता है। ख़ुश क़िस्मती जब इंसान और इंसानी सोसाइटी को नसीब होती है तो **Genius** (प्रतिभाशाली) लोग, जो बुद्धिजीवी होते हैं और आम लोगों के स्तर से बुलन्द होते हैं, वह सोसाइटी को बचाने की फ़िक्र करते हैं। वह अपनी सारी होशयारी सारा **Talent** (ज़िहानत) सारा फ़न, सारी साइंस अपना स्केल अपना तमाम **Experiment** (प्रयोग) जो कुछ उनके पास होता है सब कुछ दांव पर लगाकर सोसाइटी को तबाही से बचाते हैं और इसकी परवाह नहीं करते कि उन का अंजाम क्या होगा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा पेशा कामयाब रहेगा या नाकाम। वह केवल यह देखते हैं कि किसी तरह समाज बच जाए, सोसाइटी डूबने न पाये।

सब डूब जाएंगे –

इस समय हिन्दुस्तान को आप की ज़िहानत, आपकी क़ानूनी जानकारी, आपकी मेहनत, आप की शराफ़त की बेहद ज़रूरत है। यूं समझिये कि एक कश्ती

एक नवका तूफ़ान में फंस गई है, ख़ौफ़नाक लहरें मुंह खोले हुए उसकी तरफ़ बढ़ रही हैं। इस नवका में कुछ कमज़ोर लोग सवार हैं। नाव डूबने के बिलकुल क़रीब है। ऐसे समय में कोई ऐसा मल्लाह ऐसा खेवनहार आजाए जो इस कश्ती को पार लगादे तो वह बहुत बड़ा उपकारी होगा। आज हमारा देश जिस पर हम कश्ती की तरह सवार हैं, उसमें सूराख़ किया जा रहा है। अगर यह कश्ती डूबगई तो अच्छे और बुरे, पढ़ेलिखे और अनपढ़, निर्धन और मालदार, छोटे और बड़े, बच्चे और जवान सब डूब जाएंगे। हमारे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कश्ती की मिसाल देकर यह बात फ़रमाई है कि अगर नीचे के भाग वाले इस में छेद करें तो ऊपर के लोगों (**Upper Class**) को तमाशाई नहीं बनना चाहिए। इसलिए कि कश्ती डूबी तो वह भी नहीं बचेंगे।

सूराख़ एक ही तरह का नहीं होता। कोई छोटो होता है, कोई बड़ा, कोई खूबसूरत, कोई भद्दा। कोई फाउड़ा मार कर सूराख करता है, कोई साइंटिफिक ज़रिये से सूराख करता है। हमारी सोसाइटी **Corrupt** (भ्रष्ट) हो रही है। पूरी सोसाइटी में विभिन्न नश्तरों से सूराख किया जा रहा है।

अब आप इंसाफ़ कीजिए, मैं इंसाफ का नाम इस हाईकोर्ट में लेता हूं और यहां इंसाफ की दुहाई देता हूं।

आप के कामन सेंस (**Commonsense**) को अपील करता हूं। बताइये नीचे सूराख़ हो गया तो हम बचेंगे? आज यही हो रहा है। हिन्दुस्तान से बाहर भी तमाम दुन्या में यही हो रहा है। उन्नीस, बीस का फ़र्क है। कोई देश यह दावा नहीं कर सकता कि हमारी सोसाइटी आइडियल सोसाइटी है। पूरी इंसानी सोसाइटी करप्ट हो रही है। इसमें बग़ावत है, बेचैनी है **Confusion** है, **Frustration** है। सब परेशान हैं। कोई संतुष्ट नहीं सुखी नहीं। इस समय तमाम संसार का और तमाम वर्गों का यही हाल है। ऊपर के वर्ग वाले यह नहीं सोचते कि हमारी क़िस्मत नीचे के वर्ग वालों से जुड़ी हुई है।

आप मैदान में निकल आएं :–

इंसान और जानवरों में फ़र्क़ है। जानवर रोज़ाना मारे जाते हैं कोई बग़ावत नहीं होती लेकिन एक इंसान मारा जाए तो खलबली मच जाती है। एक आदमी किसी जुर्म में गिरिफ्तार होता है तो सारी सोसाइटी में चर्चा होती है। हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर (**Nature**) में एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे से सम्बन्ध का जज़्बा क़ुदरत ने रखा है। इहसास की यह दौलत इसलिए दी गइ है कि हम इससे सही काम लें। अपने देश और पूरे इंसानी समाज को तबाही से बचाएं। एक दूसरे के दुखदर्द में काम आएं।

आप हज़रात इस बात की सबसे अधिक योग्यता रखते हैं, क़ाबलियत रखते हैं। मुल्क की नाव जो मझदार में घिर कर डांवा डाले हो रही है उसको बचाने के लिए अपना कुछ समय लगाएं, पेशे का हरज करें, अपने पैसे को ख़र्च करें, अपनी सेवाओं को पेश करें।

आप मैदान में निकल आएं। देश के कोने–कोने में पहुंचें और कहें कि यह दुराचरण, इंसान दुश्मनी, कमज़ोरों की हत्या, बेइमानी,मुल्क दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपनी ज़िहानत (बुद्धिमानी) और अहलियत (योग्यता) का रुख़ कुछ इस तरफ़ भी फेरें।

जंगे आज़ादी में वकील साहिबान पहली पंक्ति में थे। आज भी देश को बनाने और संवारने और उसकी निःस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए।

आपका पेशा एक सम्मानजनक पेशा कहलाता है। मुझे मालूम है कि पहले ज़माने में अगर किसी शहर में कोई अच्छा बैरिस्टर, एडवोकेट आता था तो सारे शहर में उसकी इज़्ज़त होती थी इसलिए कि उन्होंने अपनी क़ाबलियत, योग्यता और सेवा का सिक्का देश में जमा दिया था।

मैं अपना सम्मान समझता हूं कि आज आप के तबक़े से सोसाइटी के दिमाग़ से मुझे कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। मैं आप से केवल यह चाहता हूं कि आप इंसानियत के सम्मान, आदमी की इज्ज़त के प्रचार के लिए मैदान में आएं।

एक दूसरे को समझने की कोशिश करें

ख़ुदा के नज़्दीक इंसान बड़ा प्यारा है। आदमी का आदमी होना यह बहुत बड़ी क्वालीफ़िकेशन है। इसके अतिरिक्त उसे और किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं। आदमी जिस समय मां के पेट से पैदा हुआ उसी समय उसके सिर पर दुन्या की सलतनत के उत्तराधिकारी का ताज रख दिया गया। हम इंसान की हर चीज़ को वरीयता दें। हम एक दूसरे की क़द्र करें। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। एक दूसरे के लिटरेचर, कलचर, सिस्टम, सिविलाईज़ेशन (सभ्यता) रेलीजन (धर्म) को ईमानदारी के साथ सीखने की कोशिश करें।

हज़ार वर्ष से हिन्दू मुस्लिम भाई इस देश में रहते हैं। पड़ासी हैं। दीवार से दीवार मिली है। लेकिन यह अजीब बात है कि एक दूसरे की प्रारम्भिक बातें, बुन्यादी चीज़ें भी नहीं जानते।

इसकी एक मिसाल देता हूं। एक बार ट्रेन में चन्द साथियों के साथ सफ़र (यात्रा) कर रहा था। नमाज का समय हुआ। हमने जमआत से नमाज़ पढ़ी। जब हम नमाज़ में रुकूअ और सज्दे में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर (अल्लाह महान है)

कहते हैं। हमारे साथ सफ़र करने वाले एक हिन्दू भाई ने, जो पढ़े लिखे अफ़सर थे, नमाज़ के बाद पूछा –

"मौलवी साहब ! आप जब नमाज़ पढ़ते थे तो क्या अकबर बादशाह को याद करते थे?"

देश में हर जगह मस्जिदें हैं। हर समय अज़ान, नमाज़ में अल्लाहु अकबर की आवाज़ आती होगी लेकिन उन्होंने कभी ख़याल नहीं किया कि पूछें अल्लाहु अकबर का अर्थ क्या है? इसे क्यों बोला जाता है? इसी तरह हमारे हिन्दू भाई की बहुत सी बातें होंगी जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। बिना किसी मानहानि के यह जानकारियां हासिल की जा सकती हैं।

हमारे इस सफ़र में इस मीटिंग का बहुत महत्व है कि हमें मौक़ा मिला कि अपने विचार और अनुभवों (**Feelings**) को आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के सामने पेश कर सका। ख़ुदा करे कि और शहरों में भी ऐसे अवसर बराबर मिलें जिस से हम एक दूसरे को समझें। हमदर्दी (सहानुभूति) महब्बत और सम्बन्ध पैदा हो। मिलने जुलने से बहुत सी बातें मालूम होती हैं। इसमें बड़े फ़ाइदे हैं। हमारे बीच सोशल सम्बन्ध होने चाहियें। मुझे यह मालूम होना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। आप का धर्म क्या कहता है। आप भी मेरे बारे में जानें। मेरे धर्म के बारे में जानकारी हासिल करें।

यह अचम्भे की बात है कि विदेशों में हिन्दुस्तानी बड़े प्रेम से मिलते हैं परन्तु अपने वतन में नहीं मिलते। मैं जब अमरीका में था और मेरी आंख का आपरेशन हुआ था तो उस हास्पिटल के एक हिन्दू डाक्टर, मेरा हिन्दुस्तानी नाम देखकर मिलने आए और रोज़ाना बड़ी महब्बत से मिलते रहे। यह केवल वतन का रिश्ता था जो परदेश में प्रेम का सौग़ात बन गया । यह बहुत अनुचित बात है कि आदमी दूसरे आदमी से डरे या उसे सन्देह की दृष्टि से देखे।

इस काम में आप हज़रात की कोशिश की बहुत ज़रूरत है। आप जो समय कोर्ट में देते हैं, अपने मुअकिलों को देते हैं उसमें थोड़ा सा समय ग़लत फ़हमियों (भ्रम) को दूर करने और गुडविल (**Good will**) का माहौल पैदा करने, इंसानियत का सम्मान दिलों में बैठाने के लिए दें। इंसान इंसान हैं चाहे वह किसी भी धर्म व समुदाय का हो, वह हमारा भाई है। उस से हमेशा प्रेम करना चाहिए। उस से सारी मुसीबत, सारे दुःख दर्द ख़त्म हो जाएंगे।

हम शुक्र गुज़ार हैं कि आप ने हमें बुला कर विश्वास का इज़हार किया, प्रेम का प्रदर्शन किया और मिलकर बैठने का अवसर दिया।

(पृष्ठ २१ का शेष)

किया। इस पर मौलाना ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं। हमारे पास गाड़ी है। इसकी ज़रूरत नहीं। इस पर बाप बेटे रोने लगे। उनका यह हाल देखकर मौलाना ने कहा, अच्छा हमने ले ली, क़बूल कर ली। अब मैं आपको इसे हदिया (भेंट) करता हूं, आप क़बूल कर लीजिए। इस पर बाप बेटे ने रोना शुरू कर दिया और देर तक आंसू जारी रहे।

अली मियां ने अपना कोई मकान नहीं बनवाया। अपने पैतृक मकान में रहते थें इस मकान और उसके पास से बने मेहमान खाना में जब भी उनकी सुख–सुविधा के लिए लोगों ने कोई निर्माण, परिवर्तन अथवा संशोधन करना चाहा तो मौलाना मना कर देते । लोग तब ऐसा करते कि मौलाना को किसी ऐसी योजना की भनक न लगने पाये और जब मौलाना किसी लम्बी यात्रा पर बाहर होतो तब यह काम कराया जाता। वापसी पर प्रायः कोई निर्माण या परिवर्तन देखकर मौलाना नाराज़ होते तो लोग अपनी सफ़ाई पेश करते और कहते 'हज़रत! यहां देश–विदेश से बड़े–बड़े लोग आपसे मिलने आते हैं यह जो कुछ किया गया है उनकी सुख–सुविधा और उनकी गरिमा को ध्यान में रखकर किया गया है।

लखनऊ में अलीमियां का ख़ानदान ३७–गोईन रोड पर जिस मकान में पैंसठ साल रहा वह किराये का मकान था। और जब अलीमियां से मालिक मकान ने उसको ख़ाली कराने का मतालबा किया तो मौलाना ने अपने परिवार जनों को हुक्म दिया कि मकान ख़ाली कर दें।

अली मियां को धन–दौलत से विरक्ति थी। उन्हें जाहतलबी और शुहरत से दुराव था। उनमें सौम्य था। वह संयमी थे, सरल और सहज थे। वह एक शरीफ़ इन्सान थे। वह सहृदय और उदार थे। उनको देखकर ख़ुदा याद आता था। जिन दिनों अलीमियां अपने गांव तकिया कलां, राबरेली (दायरा शाह अलम उल्ला, रायबरेली) में होते अनेक निस्सहाय, ग़रीब और दीन–दुखिया जिनमें हिन्दू भी होते, मुसलमान भी, बूढ़े भी होते और जवान भी, बच्चे भी होते और 'सयाने' भी उनके पास आते और वह हर जरूरतमन्द की मदद करते। दिल खोल कर मदद करते और इस पर कि दायें हाथ से देते तो बायें को ख़बर न होती और रमज़ान के महीने में तो बेहिसाब बांटते।

जानने वाले जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से अलीमियां को एक से अधिक बार पदमश्री/पदमभूषण के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करने की पेशकश की गई किन्तु उन्होंने इसके लिए अपनी रज़ामन्दी न दी। अब यदि उन्हें मरणोपरान्त भारत रत्न की उपाधि दी जाती है तो इससे स्वयं देश गौरवान्वित होगा और उसका अपना सर ऊंचा होगा।

राजनीति एवं इस्लामी सिद्धान्त

सै० मु० राबे हसनी नदवी
अध्यक्ष मुसलिम परसनल्ला बोर्ड

यह एक वास्तविकता है कि राजनीति व दावत (धार्मिक प्रचार) जिसे हम मुसलमान एक धार्मिक कार्य होने की हैसियत से अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग समझते हैं, दोनों अपने अन्दर हालात को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं बावजूदा कि दोनों कार्य प्रणाली अलग अलग और भिन्न हैं।

अब आवश्यकता इस बात कि है कि इस्लाम का प्रचार करने वाले मुसलमानों के हालात की समीक्षा करते हुए दावत व राजनीति के आधार और जिन पर इस्लाम का प्रचार किया जा रहा है की तह तक पहुंचने की कोशिश करें और उनके ऊंच नीच पर गहरी नज़र रखें।

यह हमारी सख़्त ग़ल्ती होगी यदि हम घटना की जांच ज़माने के बदलाव और दावत व राजनीति पर गहरी नज़र न रखने के बजाय केवल इच्छाओं और आरजूओं के रेगिस्तान मे भटकते रहें और हालात की ऊंच नीच की अनदेखी करके इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए सरल मार्ग की तलाश में प्रयत्नशील रहें।

रास्ता कितना ही लम्बा हो और परिस्थितियां कितनी ही जटिल हों लेकिन दावत के कार्य प्रणाली को लगातार प्रयत्न, कार्यशीलता, कूटिनीति और सदाचार के मार्ग ही पर संगठित करना होगा लेकिन जहां तक राजनीति का सम्बन्ध है तो उसके लिए आवश्यक हैं कि बदलती हुई परिस्थिति पर गहरी नज़र रखी जाए। ऐसी स्कीम बनाई जाए तो समय अनुकूल और स्वस्थ विचार की प्रचारक हो और जो स्थिति अनुसार उतार चढ़ाव के साथ अपनी कार्य प्रणाली को अपनाने की क्षमता रखती हो। आप युद्ध के मैदान में देखते हैं युद्ध सम्बन्धित नीतियों को सामने रखते हुए दूसरी चीज़ों के मुक़ाबले में दुश्मनों की स्कीम और पलान पर गहरी नज़र रखनी होती है। इसी आधार पर बुद्धिमानी, दक्षिता और विवेक व चतुराई की गहराई राजनीति का महत्वपूर्ण अंग समझी जाती है और वस्तुस्थिति की मांग कभी राजनीति की अग्निज्वाला की प्रचंडता धारण कर लेती है तो कभी आकाश जल की सी ठंडक से दुश्मनों के दिल जीतने की कोशिश की जाती है, कभी तीर व तलवार के ज़ोर पर दुश्मनों को झुकने पर मजबूर किया जाताहै तो कभी केवल आत्मरक्षा में बेहतरी समझी जाती है। यदि कभी ईश्वर की दया शामिल हो तो मनुष्य अपनी स्वाभाविक कमज़ोरी के कारण भौतिकता के तेज़धारे में बह जाता है। यही कारण है कि राजनीति में स्वार्थ और भौतिक अभिलाषा से बचने के लिए बौद्धिक चेतना और आत्म रक्षा बहुत आवश्यक है।

अब यदि बीते काल में दीनी कोशिशें राजनीति से अलग होकर केवल दावत और धैर्य की कार्य प्रणाली तक सीमित रही हैं तो शायद इसकी वजह यही है कि राजनीति के मैदान में कभी इंसान अपने हित और भौतिक स्वार्थ के कांटों में उलझ जाता है। चूंकि दावत और प्रचार की व्यवस्था लगातार कोशिश, धैर्य, सहन शक्ति और दुआ और निस्वार्थता पर निर्भर होती है, अतः कुर्आन की शुभ सूचना –

अनुवाद– "निःसन्देह अल्लाह तआला ने मुसलमानों से उनकी जानों को और उनके मालों को इस बात के बदले में ख़रीद लिया है कि उन को जन्नत मिलेगी।" इसी तरह –

अनुवाद– "यदि तुम कष्ट भोगी हो तो वह भी कष्ट भोगी हैं जैसे तुम वेदना ग्रस्त हो और तुम अल्लाह तआला से ऐसी ऐसी चीज़ों की उम्मीद रखते हो कि वह लोग उम्मीद नहीं रखते"– (कुर्आन) के अनुसार यदि मंज़िल तक पहुंच होती है तो ठीक है अन्यथा तो पुरस्कार और सवाब से लाभ तो यक़ीनी है।

यही वह मोड़ है जहां दावत व राजनीति का सुन्दर मिलाप नज़र आता है और यह इस्लाम का चमत्कार है कि इंसानी इतिहास में पहली बार इस्लाम ने दावत व राजनीति को अमल के मैदान के गुल्दस्ते में सजाकर दुन्या वालों के सामने एक गुलदस्ता पेश किया है। यह वास्तविकता है कि राजनीति और दावत का मिलाप इंसानी इतिहास में पहली बार हुआ जो एक प्रकार से अति कठिन है क्योंकि राजनीति की बुन्याद केवल लाभ प्राप्ति पर है और दावत की बुन्याद लाभप्राप्ति से हटकर केवल निःस्वार्थता पर है। इसी कारण इस्लाम में राजनीति और दावत को अलग नहीं किया गया। इतिहास बताता है कि कई बार राजनीति के विशेषज्ञ और इस्लाम के मार्ग दर्शक एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हुए हैं।

संसार के मार्गदर्शक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भली भांति जानते थे कि मुनाफ़िकीन (कप्टाचारी) जो इस्लाम पर जान देने वालों और दीन पर जान निछावर करने वालों के माल में हिस्सा बटाते हैं वह इस्लामी वृक्ष की जड़ों

को खोखला और इस्लाम के क़िले को ध्वस्त करने की अपवित्र कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आप (सल्ल०) ने सिद्धान्तः कोई बदले की कार्यवाही नहीं फरमाई। आख़िर क्यों ? इसलिए कि वह लोग आप के सम्बन्धी थे या मित्रों में थे? नहीं बल्कि इस्लामी दावत की उस समय यही मांग थी कि आप उस समय उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही न फ़रमाते । इसी प्रकार नबी–ए–अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुदैबिया में सुलह फ़रमाई जब कि राजनीति का उद्देश्य तो यह था कि मुसलमान अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए बढ़ेचढ़े चले जाते । चुनानचः उस समय सहाबा–ए–किराम को आगे बढ़ने से रोकने पर उनके रूहानी जज़्बात को सख़्त धक्का लगा लेकिन चूंकि इस्लाम में राजनीतिक हित, दावती हित के अधीन हैं, इसलिए नबी–ए–करीम (सल्ल०) ने मुसलमानों को ढारस बन्धाई और सुलह स्वीकार करने पर राज़ी कर लिया। यहीं पर यह वास्तविकता प्रश्न चिन्ह बनकर सामने आती है कि जब राजनीति व दावत के बीच एकता है तो फिर क्या कारण है कि दोनों के हितों में भी सामंजस्व पैदा न की जाए?

आज इसकी अत्यधिक आवश्यकता है कि संसार भर के मुसलमान इस्लामी मिशन के लिए सर्वव्यापी और पूर्ण रूप से इस तरीक़े को अपनाएं जिस प्रकार कि आज से पहले नबी–ए–करीम इस्लाम की दावत देने वाले और माननीय मुजाहिदीन ने अपनाया था। वह राजनीति और दावते इस्लम दोनों सिद्धान्तों के संकलनकर्ता थे। वास्तव में दावत व राजनीति के सिद्धान्तों का नियम ऐसा व्यापक है कि यदि इस्लामी समाज का निर्माण इन्हीं चिह्नों पर किया जाए तो यह कहना ग़लत न होगा कि राजनीति एक दीन (वास्तविक धर्म) है। क्योंकि समाज के लिए इस में ऐसी सहमति है कि जिस की ज़ाहिरी हार में भी जीत का पहलू प्रत्यक्ष है। इसलिए की हर अमल अल्लाह और उसके रसूल के लिए स्वार्थ त्याग और निःस्वार्थता पर निर्भर होता है।

लेकिन दुःख की बात है कि आज दुन्या के मुसलमान उसवए रसूल (रसूल की पैरवी) को छोड़ कर अपनी तमाम तर कोशिशों की तर्तीब पश्चिम के सिद्धान्तों पर करना चाहते हैं हालांकि वह खूब जानते हैं कि पश्चिम के दूषित सिद्धान्तों ने मज़हब को राजनीत से अलग निकाल फेंका है और उनके निकट तो धोखाधड़ी, गद्दारी, बहाने बाज़ी और कमाई के साधन तक हर सम्भव कोशिश से पहुंचने और परिस्थितियों के अनुकूल योजनाएं बदलने का नाम राजनीति है। उन्हें इस से कोई सरोकार नहीं कि भलाई और कल्याण उन से कोसों दूर हो जाएँ। उनकी मिसाल उसी तरह है जैसे कि एक व्यक्ति माल की कमाई करना चाहता है। यदि अच्छे ढंग से उसे प्राप्त हो जाता है तो ठीक अन्यथा वह चोरी, घूस, लूटमार और डाकेज़नी के द्वारा धन दौलत जमा करता है।

यही यूरोप की राजनीति है जिसे हमारे देश और हमारे जनसाधारण ने एक बहुमूल्य उपहार समझकर स्वीकार कर लिया है लेकिन यह समस्या उस समय बहुत भयानक रूप धारण कर लेगी जबकि यह हमारी दीनी दावत और दीन के प्रचार की कोशिशों में दख़ल अंदाज़ होगा।

(अनुवाद : हबीबुल्लाह आज़मी)

(पृष्ठ १४ का शेष)

शासकों ने योग्य ग़ैर–मुस्लिमों को उच्च पदों पर खा। हैदराबाद दक्षिण की मुस्लिम रियासत में महाराजा सर हरि किशन प्रसाद 'शाद' प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे और उनको बहुत अधिक सम्मान व लोक प्रियता प्राप्त थी।

सलामें उनके मकीनों को

मौ० मु० सानी हसनी

जहां है नूर का इक शामयाना
सजी है जिस जगह बज़्मे शहाना
जहां लालो गुहर का है ख़ज़ाना
मुबारक है जहां का हर ज़माना
क़रीब आए हैं वह ख़ेमे नज़र के
सलाम उनके मकीनों को है दिल से

जहां का ज़र्रः ज़र्रः है मुनव्वर
जहां का ख़ार भी गुल से है बेहतर
जहां मिलते हैं झुक कर माहो अख़्तर
जहां का हर मकीं महबूबो दिलबर
क़रीब आए हैं वह ख़ेमे नज़र के
सलाम उनके मकीनों को है दिल से

जहां की हर गली दारुशिफ़ा है
जहां का चप्पा चप्पा दिलकुशा है
जहां की दिल नवाज़ आबो हवा है
जहां की ज़िन्दगी राहत फ़ज़ा है
क़रीब आए हैं वह खेमे नज़र के
सलाम उनके मकीनों को हैं दिल से

जहां है अहले हक़ की एक बस्ती
जहां मादूम है बातिल परस्ती
जहां दिन रात रहमत है बरस्ती
जहां छाती है दिल पर कैफो मस्ती
क़रीब आए हैं वह ख़ेमे नज़र के
सलाम उनके मकीनों को है दिल से

है जिस का नाम तैबा और मदीना
जहां आता है जीने का क़रीना
दिले मुज़्तर को मिलता है सकीना
दिलों से दूर हो जाता है कीना
क़रीब आए हैं वह ख़ेमे नज़र के
सलाम उनके मकीनों को है दिल से

हज के अवसर पर

हज़रत मोहम्मद सल्ल०
के अन्तिम सम्बोधन का सार

मौलाना अब्दुल करीम पारेख

हज्जतुल विदा के अवसर पर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्ल० ने लोगों से कहा :–

(१) तुम्हारा रब (ईश्वर) एक है।

(२) तुम सब आदम (अ०स०) की औलाद हो।

(३) तुम सब आपस में भाई भाई हो।

(४) आदम मिट्टी से बने थे।

(५) मानवता में ज़ात–पात, रंग–नस्ल और काले गोरे को कोई प्रधानता नहीं। सब इन्सान बराबर हैं।

(६) तक़वा (संयम) खुदा परस्ती (खुदा को मानने) के अतिरिक्त किसी को किसी पर कोई प्रधानता नहीं।

(७) इन्सान का खून एक दूसरे पर हराम है।

(८) एक दूसरे का माल भी हड़प जाना तुम्हारे लिए हराम है।

(९) क़ियामत के दिन तुम्हें अपने मालिक के सामने खड़े होना है।

(१०) देखो मेरे बाद सीधे रास्ते को छोड़ न देना।

(११) एक दूसरे की गर्दन मारने के जुर्म से बचते रहना।

(१२) मैंने सच्ची बातें तुम तक पहुंचा दीं और इस पर कोइ मज़दूरी तुम से नहीं मांगी।

(१३) जिस किसी के पास अमानत रखी जाये उस पर आवश्यक है कि वह अमानत में ग़बन न करे।

(१४) तमाम ऐसे कारोबार जो हराम हों जैसे सूद (ब्याज) सट्टा (लाटरी) जुआ–ऐसी कमाई खाना हराम है।

(१५) हाथ से मेहनत करके रोज़ी कमाकर खाने वाला अल्लाह का दोसत है।

(१६) किसी को अगर तुमने कर्ज़ दिया है तो उस पर ब्याज न ले सकोगे। असल रक़म लेने का तुम्हें हक़ है। इसके लिए खुदाई हुक्म है कि कर्ज़दार को इतनी मुद्दत दो जब तक कि उसे सहूलत न हो।

(१७) क़र्ज़दार अगर क़र्ज़ न अदा कर सके तो उसे माफ़ कर दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। ऐसा करने से तुम मुत्तक़ी (संयमी) बन जाओगे। और अल्लाह के समीप हो जाओगे।

(१८) मरने वाले की मीरास तक़सीम होना चाहिए। मरने वाले ने जो माल छोड़ा है उसमें से हर एक वारिस का हिस्सा मुकर्रर (निश्चित) कर दिया गया है।

(१९) वारिसों के लिए कोई वसीयत नहीं मानी जायेगी।

(२०) ग़ैर वारिसों के लिए तुम्हारे माल में से एक तिहाई से ज़ियादा वसीयत करना तुम्हारे लिए जायज़ (उचित) नहीं।

(२१) उपयोग के लिए किसी से कोई चीज़ ले ली हो तो उसे वापस कर दो।

(२२) इसी तरह लिया हुआ क़र्ज़ भी वापस करने की पूरी कोशिश करो। जो क़र्ज़ वापस करने की नीयत कर लेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा।

(२३) देखो सुनो ! एक अपराधी अपने अपराध का खुद ही उत्तरदायी है किसी बाप ने गुनाह किया हो तो बेटा पकड़ा नहीं जायेगा और बेटे के अपराध का बदला बाप से नहीं लिया जायेगा।

(२४) महिलाओं के बारे में अल्लाह से डरते रहो। स्त्रियां अल्लाह की अमानत हैं जिन्हें तमने अल्लाह के नाम पर प्राप्त किया है और अल्लाह के नाम पर ही वह तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं।

(२५) तुम्हें अपनी पत्नियों पर बड़ाई प्राप्त है और पत्नियों पर तुम्हारे हुकूक़ हैं इसी तरह तुम पर भी स्त्रियों के हुकूक़ वाजिब हैं। महिलाओं के साथ इन्साफ़ करो।

(२६) विरासत में महिलाओं को भी उनका हिस्सा दिया जाना आवश्यक है।

(२७) लोगो ! मेरी बात सुनो और समझो। तुम्हारा ईमान वाला भाई राज़ी खुशी से कुछ दे तो उसे ले सकते हो। जुल्म और ज़बरदस्ती से किसी का माल लेना तुम पर हराम है।

(२८) मेरी तरफ से यह उत्तरदायित्व कुबूल करो कि मैं ने तुम्हें जो सन्देश पहुंचाया है उसको जिसने सुना है उसे चाहिए कि दूसरों तक मेरी बात को पहुंचा दे।

(२९) मैं तुम में अल्लाह की किताब और उसके नबी के जीवन गुज़ारने का तरीक़ा छोड़े जाता हूं। उसे दान्तों से पकड़े रहो तो कभी गुमराह न होगे।

(३०) मुझे तुम पर गवाह बनाया जायेगा और तुमको सारी मानवता पर गवाह बनाया जायेगा। यह गवाही हिसाब के दिन यानी क़ियामत के दिन क़ायम होगी।

प्रस्तुति : मो० हसन अंसारी

आपकी समस्याएँ और उनका हल

मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी

प्रश्न : कुर्बानी के सात लोगों में से एक ने पिछले साल की कुर्बानी की नियत की तो और बाक़ी लोगों की कुर्बानी सही होगी या नहीं ?

उत्तर : बाकी लोगों की कुर्बानी सहीह हो जाएगी। लेकिन इस साझीदार की जिसने कज़ा की नियत की है नफ़्ली कुर्बानी होगी। कज़ा अदा न होगी क़ज़ा के बदले में एक दर्मियानी दर्जे के बकरे की क़ीमत खैरात करनी ज़रूरी है।

प्रश्न : बड़े जानवरों की कुर्बानी में अक़ीक़ा का हिस्सा रख सकते हैं या नहीं ?

उत्तर : कुर्बानी के बड़े जानवर में अक़ीका का हिस्सा रख सकते हैं।

प्रश्न : मय्यित की तरफ से कुर्बानी करनी हो तो हरएक मय्यित के लिए अलग–अलग हिस्सा लेना ज़रूरी है या फिर एक में शरीक हो सकते हैं।

उत्तर : हर एक के लिए अलग अलग हिस्सा रखना ज़रूरी है। एक हिस्सा एक से ज़ियादा मय्यित के लिए काफी नहीं है। हां अपनी ओर से नफ़्ल कुर्बानी करके उसका सवाब एक से ज़ियादा मुर्दों तथा ज़िन्दों को बख़्शना सहीह है। जैसे कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने एक कुर्बानी का सवाब पूरी उम्मत को बख़्शा था। गुन्जाइश हो तो मुर्दों के लिए भी कुर्बानी करें।

प्रश्न : अमीर पर कुर्बानी वाजिब थी मगर कुर्बानी वाले दिन खत्म हो गये तो अब क्या करना चाहिए ?

उत्तर : प्रश्नानुसार एक बकरी की क़ीमत सदक़: करें अगर कुर्बानी के लिए जानवर ले लिया हो तो उसके इख़्तियार में है चाहे ज़िन्दः सदक़: कर दे या उसकी क़ीमत ख़ैरात कर दे। (शामी भाग 5)

प्रश्न : एक औरत निसाब की मालिक नहीं है लेकिन उसका महर निसाब से ज़ियादा शौहर के जिम्मे बाक़ी है मगर इस वक्त नहीं मिल सकता, तो क्या महर की हकदार होने से औरत मालदार कहलाएगी? और उस पर कुर्बानी लाज़िम होगी ?

उत्तर : शौहर के जिम्मे महर बाक़ी रहने से वह मालदार नहीं कहलाएगी और कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। (फ़तावा आलमगीरी भाग 5)

प्रश्न : कुर्बानी के जानवर के बाल और दूध का इस्तिमाल जाइज़ है या नहीं ?

उत्तर : कुर्बानी करने से पहले बाल काट कर और दूध दूह कर खुद इस्तिमाल न करे बल्कि सदक़: कर देना लाज़िम है। हां कुर्बानी के बाद कटे हुए बाल और थन में से निकला हुआ दूध इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि जानवर के ज़ब्ह करने का जो मक़सद था वह हासिल हो गया है अब जिस तरह उसका गोश्त इस्तिमाल करना दुरुस्त है उसी तरह बाल दूध चमड़ा आदि भी, खुद इस्तिमाल कर सकता है। (फ़तवा आलमगीर भाग 5)

प्रश्न : कुर्बानी के बाद ज़िन्दा बच्चा निकले तो क्या हुक्म है?

उत्तर : बच्चा ज़िन्दा निकले तो उसको ज़ब्ह करे और मुर्दा निकले तो उसको इस्तिमाल में नहीं ला सकता।

प्रश्न : एक गरीब आदमी के पास (जो मालिके निसाब नहीं है) पाला हुआ बकरा है ईद होने से घर ही में कुर्बानी करने का इरादा था मगर तन्गदस्ती की वजह से बकरा बेचना चाहता है तो बेच सकता है या नहीं ? एक साहब का कहना है कि गरीब जब कुर्बानी की नियत कर लेता है तो वह उस जानवर को बेच नहीं सकता उसकी कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है। क्या यह बात सही है।

उत्तर : बकरे का मालिक गरीब हो या अमीर जब वह नियत करता है कि इस बकरे की कुर्बानी करूंगा तो उससे उस पर कुर्बानी ज़रूरी नहीं होती बदलना चाहे तो बदल सकता है बेचना चाहे तो बेच भी सकता है। मगर शर्त यह है कि अय्यामे नहर (कुर्बानी वाले दिनों में न खरीदा हो) जैसा कि शामी भाग पांच में है कि "जिस की मिल्कियत में पहले ही से जानवर हो तो उसकी कुर्बानी की नियत कर लेने से उसकी कुर्बानी लाजिम नहीं होती।
(शामी भाग 5, फ़तावा आलमगीरी भाग5)

जैसा कि दुर्रे मुख्तार में है कि गरीब (जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं) कुर्बानी की नियत से अय्यामे नहर (कुर्बानी के दिनों) में कुर्बानी का जानवर खरीदे तो उस पर उस जानवर की कुर्बानी वाजिब हो सकती है उसको न बेच सकता है न बदल सकता है (ऐसा ही शामी भाग पांच पेज नं0 280 पर भी है)

प्रश्न : चर्म कुर्बानी किसको दी जाए ?

उत्तर : जिसको कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं उसको चर्म भी दे सकते हैं। (फतावा रहीमिया भाग एक)

प्रश्न : मय्यित की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं ?

उत्तर : मय्यित की तरफ से और मय्यित के लिए कर्बानी कर सकते हैं उसकी चन्द सूरते हैं। (शेष पृष्ठ २५ पर)

दूसरे धर्म वालों के प्रति सहिष्णुता

डा० इज्तिबा नदवी

इस्लाम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह दूसरे धर्मों के मानने वालों के साथ पक्षपात और संकीर्णता का व्यवहार नहीं करता बल्कि उनके साथ अत्यन्त उदारता और नम्रता का व्यवहार करता है। उसका मूल–मंत्र रहा है :

'तो आप मेरे उन बन्दों को शुभ सूचना सुना दीजिए जो इस पवित्र ग्रन्थ को कान लगाकर सुनते हैं। फिर इस की अच्छी बातों पर चलते हैं (सूरः जुमर १७–१८)

उसने सारे आसमानी धर्मों का स्रोत एक ही माना है और सारे ईश दूतों को भाई–भाई बताया है। उसने दीन व ईमान को अपनाने में ज़ोर जबरदस्ती को पसन्द नहीं किया और सारे धर्मों के पूजा स्थलों की रक्षा की। धर्म के आधार पर मत–भेद के कारण किसी को कष्ट देने और यातना पहुंचाने को अनुचित ठहराया और मानवीय आधारों पर सब इनसानों को एक समान माना। किसी को सम्मान और बड़ाई प्राप्त हुई तो नेकी, सदाचार और ईशभय के आधार पर मुसलमानों के पूरे इतिहास में यह नियम व्यवहार में मौजूद रहे और बड़े स्तर पर मुसलमानों ने ग़ैरमुस्लिमों के साथ भलाई तथा उदारता का व्यवहार किया, यहां तक कि कितने ही अवसरों पर खुद अपनी क्षति सहन करनी पड़ी, परन्तु उन्होंने उदारता के मार्ग को नहीं छोड़ा। कुरआन पाक और हदीसे नबवी की रोशनी में इस्लामी राज्य में आबाद यहूदियों और ईसाइयों तथा दूसरे धर्म वालों को सुख व सुविधा के अवसर उपलब्ध कराए, हालांकि मुसलमानों को इसकी तुलना में गैर मुस्लिम राज्यों से प्रायः कष्ट और अन्याय ही भोगना पड़ा। हम यहां इस उदारता पर आधारित कुछ नमूने प्रस्तुत करते हैं।

नबी करीम सल्ल० मक्का से अपने सहाबा रज़ि० के साथ मदीना के लिए हिजरत कर चुके हैं। मदीना की आबादी दो बड़े क़बीलों औस व ख़ज़रज के अलावा यहूदियों के तीन प्रभावशाली, धनी और सतर्क क़बीलों बनू नज़ीर, बनू कुरैज़ा और बनू क़ैनक़ाअ़ पर आधारित थी। दोनों अ़रब क़बीलों में इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैल गया। परन्तु यहूदियों ने अपना धर्म छोड़ कर इस्लाम में दाखिल होना स्वीकार नहीं किया।

हुज़ूर सल्ल० ने इन यहूदियों से एक सन्धि की, जिस के अनुसार उनको न केवल अपने धर्म पर आचरण की पूरी पूरी स्वतंत्रता दी गई, बल्कि उनको पूरी सुरक्षा की भी गारंटी दी गई। इस सन्धि के आधार पर यहूदियों ने यह माना कि मदीना पर हमला होता है, तो वे हमला करने वालों के विरुद्ध मुसलमानों की सहायता करेंगे।

नबी करीम सल्ल० के कुछ पड़ोसी अहले किताब (ईसाई और यहूदी) थे। आप सल्ल० उनके साथ नेकी और भलाई करते थे। आप सल्ल० की आदत यह थी कि आप दूसरे धर्म वालों के उपहार स्वीकार कर लेते थे, ताकि किसी का दिल न टूटे। अतः आपने एक यहूदी औरत की ओर से बकरी का दस्त (अगली भुजा) की भेंट को स्वीकार कर लिया, हालांकि उसमें ज़हर मिला हुआ था।

हब्शा के ईसाइयों का एक प्रतिनिधि मंडल मदीना पहुंचता है। आप सल्ल० प्रसन्न होकर उसका स्वागत करते हैं और उसे मस्जिद में ठहराते हैं। स्वयं उनकी आव भगत करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने हमारे सहाबा का बहुत बड़ा सम्मान किया था, तो मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं इनका आदर सत्कार व सेवा करूं। इसी प्रकार नजरान के ईसाईयों का एक प्रतिनिधि मंडल आया, तब भी आप सल्ल० ने उनको मस्जिद में ठहराया और मस्जिद में ही एक ओर उन्हें अपनी नमाज़ पढ़ने की अनुमति दे दी और खुद मुसलमानों के साथ दूसरे कोने में नमाज़ पढ़ी।

नबी अकरम सल्ल० के उत्तराधिकारी खलीफाओं ने भी और सारे मुसलमानों ने भी इसी तरीके को अपनाया। हज़रत अबू बक्र रज़ि०ने उसामा रज़ि० की सेना को कूच करते समय फ़रमाया था ईसाई सन्तों के साथ सद्व्यवहार करना, जो एकान्त में बैठ कर अल्लाह की उपासना में व्यस्त रहते हैं।'

देखिये हज़रत उमर फारूक़ रज़ि० बैतुल मक़दिस के विजय के समय ईसाइयों के बड़े पादरी की इच्छा पर मदीना से वहां पहुंचे हैं ईसाइयों की अनेक मांगों में एक मांग यह भी होती है कि किसी यहूदी को उनके साथ उनके इस शहर में ठहरने की अनुमति न दी जाए। आप इस मांग को मान लेते हैं। बैतुल मक़दिस के सब

से बड़े गिरजा घर 'अल कियामा' में अस्र की नमाज़ का समय हो गया है। पादरी कहता है कि अमीरूल मोमिनीन ईी स्थान पर अस्र की नमाज़ पढ़ लें। आप कहते हैं कि नहीं, हो सकता है कि आगे चलकर मुसलमान इसे मस्जिद बना लें, इसलिए गिरजा से निकल कर थोड़ी दूरी पर नमाज़ अदा करते हैं। वही हुआ और आज उसी स्थान पर मस्जिदे उमर स्थापित और आबाद है।

आइए देखिए उदारता की एक और अनोखी घटना। मिस्र की एक ईसाई महिला हज़रत उमर रज़ि० से शिकायत करती है कि वहां के गवर्नर हज़रत उम्र बिन आस रज़ि० ने उसकी इनकार के बावजूद ज़बरदस्ती उसका घर मस्जिद में शामिल कर लिया है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ि० गवर्नर मिस्र से मालूम करते हैं। यह स्पष्टीकरण देते हैं कि मुसलमानों के लिए मस्जिद तंग पड़ रही थी, इस महिला का मकान मस्जिद से मिला हुआ था, उससे कहा गया कि जितना चाहो मूल्य ले लो और ज़रूरत के अनुसार मस्जिद बनने दो। उसने इनकार कर दिया। हमने मस्जिद की ज़रूरत को देखते हुए मकान तुड़वाकर मस्जिद में शामिल करा लिया है और उसकी रक़म बैतुलमाल में सुरक्षित करा दी है। वह जब चाहे इस को ले सकती है।

हज़रत उमर रज़ि० ने यह सुनकर हज़रत अम्र रज़ि० गवर्नर मिस्र को आदेश दिया कि मस्जिद का वह हिस्सा गिरा दो और उस महिला का मकान ठीक ठीक वैसा ही निर्माण करा दो जैसा पहले था। दुन्या में प्रचलित कानून और सामान्य नियम के अनुसार गवर्नर ने जो कुछ किया था, वह उचित ही माना जाता। परन्तु इस्लाम की न्याय प्रियता, उदारता और दूसरे धर्म वालों के प्रति सद्व्यवहार का यह उज्जवल उदाहरण है जिसे हज़रत उमर रज़ि० ने प्रस्तुत किया।

दमिश्क पर विजय प्राप्त हो चुकी है, मुसलमानों का पूरे शहर पर अधिकार हो चुका है। ईसाई आबादी भयभीत है। देश से निकाल दी जाएगी या क़त्ल करा दी जाएगी। मगर मुसलमानों के दोनों सेना अधिकारी, हज़रत अबू उबैदह बिन जर्राह रज़ि० और हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ि०, उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि वे आश्चर्य चकित रह जाते हैं। उनके सबसे बड़े गिरजा घर का बड़ा आंगन और दालान ईसाईयों से खचाखच भरा हुआ है, उनका बड़ा पादरी वह व्यवहार देख कर आगे बढ़ता है और कहता है : मुसलमानो ! हमने तुम से अधिक चरित्रवान और अच्छा व्यवहार करने वाले, अच्छी बातें करने वाले और मनुष्य नहीं देखे।

नमाज़ का समय आ जाता है। मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए जगह तलाश करते हैं, इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं, ईसाईयों को पता चलता है, तो उनसे विनती करते हैं कि आइए इस बड़े गिरजा के एक भाग को मस्जिद बना लीजिए और दोनों मुसलमान व ईसाई नमाज़ के अपने अपने समय पर एक क़िब्ले की ओर और दूसरे पूर्व की ओर मुंह करके नमाज़ अदा करते हैं।

प्रिय पाठको ! मुसलमानों के उदार हृदय व दयालुता का एक पहलू और भी है कि उन्होंने शासन और सरकारी पदों और नौकरियों में भी दूसरे धर्म वालों को भागीदार बनाया। बनू उमय्या और बनू अब्बास के शासन काल में बग़दाद और दमिश्क के चिकित्सालयों और मेडीकल कालेजों के प्रबन्धक ईसाई हकीम ही थे। अमीर मुआविया रज़ि० का विशेष चिकित्सक एक ईसाई हकीम इब्ने असाल था और उनका सेक्रेट्री सर जान भी एक ईसाई ही था। मरवान बिन हकम ने अपने शासन काल में मिस्र में बड़े पदों पर एथनासियूस और इसहाक़ को नियुक्त किया। इसहाक़ तो अपने अन्तिम कार्यकाल में गवर्नर आफिस का इन्चार्ज हुआ। यह बहुत धनवान था। उसने शहर 'रिहा' में एक बड़ी रक़म से गिरजा बनाया। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इसी इसहाक़ के सुपुर्द अपने छोटे भाई अब्दुल अज़ीज़ी की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी, जो बाद में मिस्र के गवर्नर हुए। उनके बेटे उमर आदर्श खलीफा हुए।

अब्बासी कार्यकाल में खलीफा अबू जाफ़र मन्सूर, मेंहदी और हारून रशीद के दरबार में एक ईसाई परिवार को बहुत अधिक सम्मान प्राप्त था। जरजीस से अबू जाफ़र मन्सूर का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध था। और वह उसका बहुत अधिक सम्मान करता था। हर प्रकार की मदद उसके साथ करता था। वह एक बार बीमार हो गया तो मन्सूर ने उसे बुलाकर शाही अतिथिघर में रखा और स्वयं उसके उपचार की देख रेख की। वह बार–बार उसे देखने और उसका हाल पूछने खुद आता।

जरजीस ने कहा : वह अपने देश वापस जाना चाहता है, ताकि अपने बाप दादा के साथ दफन हो। अबू जाफ़र ने उसे इस्लाम स्वीकार करने की दावत दी, ताकि जन्नत में दाखिल हो। उसने जवाब दिया : मैं चाहता हूं कि अपने बाप, दादों के साथ रहूं, चाहे वे स्वर्ग में हों या नरक में। खलीफ़ा उसके इस जवाब पर हंस दिया और उसके सफर की तैयारी का आदेश दिया। दस हजार दीनार प्रदान किये इस जैसी असंख्य घटनाएं अब्बासी, उसमानी और अन्दुलुस के खलीफाओं के कार्यकाल और हिन्दुस्तान व सदूर पूरब के देशों में मुस्लिम शासन काल में मिलती है।

हिन्दुस्तान के अनेक मुसलमान

(शेष पृ. १० पर)

जानवरों के साथ बर्ताव

डा० मुस्तफ़ा सिबाअ़ी

जिस युग में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके लिए यह कोई नया विषय नहीं है किन्तु जब हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के अमिट चिन्हों पर नजर डालते हैं, तो यह विषय काफी रोचक मालूम होता है। वर्तमान युग तक मानव इससे भी अनभिज्ञ था कि जानवर भीं हमारी सहानुभूति के अधिकारी हैं और भी बाज़ कौमें अपने आयोजनों में जानवरों का खून बहाकर अपने मनोरंजन का सामान करती हैं। ऐसी दशा में जब हम इस्लामी सभ्यता के सिद्धान्तों और विशिष्टताओं का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि इससे जो हमदर्दी, सहानुभूति व नर्मी के तत्व और कोमल मानवीय अनुभूतियों का समावेश पाया जाता है उससे पहले और बाद की सभ्यताएं खाली हैं। यह इस्लामी सभ्यता का विशिष्ट गुण है कि उसने हमें जानवरों के साथ नर्मी और सहानुभूति से पेश आने का आश्चर्य जनक पाठ पढ़ाया है। इसकी एक झलक आप भी देखते चलिये।

जानवरों पर दया के सम्बन्ध में इस्लामी सभ्यता का सबसे पहला सिद्धान्त यह है कि इंसानी दुनिया (मानव जगत) की तरह जानवर की भी एक दुनिया है *जिसकी अलग विशेषताएं* हैं और विशेष प्रवृत्ति है। कुरआन में लिखा है "और जितने प्रकार के जानदार जमीन पर चलने वाले हैं और जितने प्रकार के पक्षी हैं जो दोनों बाजुओं से उड़ते हैं उनमें से कोई प्रकार ऐसी नहीं कि तुम्हारी तरह से निरीह न हो"। अर्थात वह भी इंसान ही की तरह रहम व करम, दया और सहानुभूति के अधिकारी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्ल० का कथन है।"रहम करने वाले पर रहमान भी रहम करता है।" एक जगह कहा गया है "जिसे हमदर्दी की भावना प्रदान की गयी उसे लोक व परलोक की भलाई मिल गयी।"

यही नहीं बल्कि जानवरों पर दया करने के फलस्वरूप एक व्यक्ति का उद्धार हो गया।

हदीस में आता है कि एक आदमी यात्रा कर रहा था कि रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी । उसे एक कुआं नजर आया। कुएं में उतरकर उसने पानी पिया और फिर निकल आया। उसने देखा कि एक कुत्ता जबान निकाले हांप रहा है और प्यास की वजह से नम मिट्टी चाट रहा है। उस व्यक्ति ने सोचा कि प्यास की वजह से इस कुत्ते का वही हाल हो रहा है जो इससे पहले मेरा था। वह फिर कुंए में उतरा और मोजा पानी से भर लिया और उसे अपने दांतो से पकड़कर निकल आया। बाहर आकर उसने कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह को उसका यह अमल इतना पसंद आया कि उसका उद्धार कर दिया।

हज़रत मोहम्मद सल्ल० के साथियों ने आपसे पूछा "ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हमारे वास्ते जानवरों में भी पुन्य है? आपने फ़रमाया "हर जानदार में तुम्हारे लिए बदला (पुन्य) है।"

जानवरों पर अत्याचार करना और उन्हें सताना अभिशाप का कारण बनता है। एक औरत सिर्फ़ इस लिए जहन्नम में दाखिल हुई कि उसने एक बिल्ली को भूखी–प्यासी रक्खा और उसे खाने–पीने की आज़ादी न दी। इस्लामी शरीअ़त इन्सानों की तरह जानवरों के साथ नर्मी और हमदर्दी का बर्ताव करने की शिक्षा देती है और इसके लिए क़ानून बनाया गया है। यदि कोई जानवर खड़ा हो तो उसकी पीठ पर देर तक सवार रहने से मना किया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्ल० का कथन है, "तुम अपने जानवरों की पीठ को कुर्सी मत बनाओ।" इसी तरह किसी जानवर को भूखा रखना और उसे कमजोर व लाग़र बना देना भी मना है। हज़रत मोहम्मद सल्ल० ने एक ऊंट को देखा, जिसका पेट पीठ से लग गया था तो आपने फ़र्माया, "इन बेजान जानवरों के बारे में अल्ला से डरो। सही सालिम होने की हालत में उन पर सवारी करो, और ऐसी ही हालत में उन्हें खाओ।" जानवरों पर बहुत अधिक बोझ लादना भी उचित नहीं। अल्लाह के रसूल सल्ल० एक अंसारी के बाग़ में दाखिल हुए तो वहां पर एक ऊंट नज़र आया। जब आपकी नजर उस पर पड़ी तो वह बिलकने लगा और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गये। आप उसके पास गये और उसके आंसू पोछे। फिर फ़रमाया, "इस ऊंट का मालिक कौन है?" अंसारी ने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इसका मालिक हूं।" आपने फरमाया, "क्या इस जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरते, जिसने तुमको इसका मालिक बनाया है। इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और इसे परेशान करते हो।"

शिकार में जानवरों को मनोरंजन

का साधन बनाना भी हराम है। हदीस में है कि "अगर किसी ने बेज़रूरत एक गौरैया भी मारा तो, वह कियामत के दिन अल्लाह से फरियाद करेगी कि ऐ अल्लाह! अमुक व्यक्ति ने बेज़रूरत मेरी जान ली ! इसने कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए मुझे नहीं मारा था।" निशानाबाज़ी की मश्क के लिए किसी जानवर को निशाना बनाना नाजायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्ल० ने उस व्यक्ति पर लानत की है जिसने किसी जानवर को निशाना बनाया। इस्लामी शरीअ़त ने जानवरों को आपस में लड़ाने और उनके चेहरों को दाग़ने से मना किया है।

हज़रत मोहम्मद सल्ल० एक बार एक गधे के पास से गुज़रे जिसके चेहरे पर दाग़ था तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह उस व्यक्ति पर लानत करे जिसने इसका चेहरा दाग़ा है। अगर जानवर ऐसा है जिस का गोश्त खाया जाता है तो उस पर रहम का तकाज़ा यह है कि उसे ज़ब्ह करने से पहले छूरी तेज़ कर ली जाये और उसे पानी पिलाया जाये, और ज़ब्ह के बाद जब तक ठन्डा न हो जाये उसकी खाल न उतारी जाये। हदीस है कि अल्लाह ने हर चीज़ पर एहसान फर्ज़ किया है। अगर तुम क़त्ल करो तो कायदे से क़त्ल करो और (किसी जानवर को) ज़ब्ह करो तो अच्छी तरह से ज़ब्ह करो। ज़ब्ह करने वाले को अपनी छूरी तेज़ कर लेनी चाहिए और ज़बीहा को आराम पहुंचाना चाहिए यही नहीं बल्कि छूरी तेज़ करने से पहले जानवर को ज़ब्ह के लिए लिटाना बेरहमी है जिसे शरीअ़त ने मना किया है। एक व्यक्ति ने एक बकरी को ज़ब्ह करने के लिए लिटा दिया और खुद छूरी तेज़ करने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़रमाया, "तुम इस को कई बार मारना चाहते हो। तुमने इसे लिटाने से पहले अपनी छूरी तेज़ क्यों नहीं कर ली ?" जानवरों के साथ रहम और नर्मी के बर्ताव का एक ऊंचा नमूना हमें अब्दुल्लाह बिन मसऊद की इस हदीस से मिलता है – वह कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्ल० के साथ सफर में थे हमने एक छोटी चिड़िया देखी जिसके दो बच्चे थे। हमने इन दोनों को पकड़ लिया। वह चिड़िया आयी और फड़फड़ाने लगी जब अल्लाह के रसूल सल्ल० ने यह दृष्य देखा तो फ़रमाया, "इसका बच्चा छीनकर किसने इसको सताया है? इसका बच्चा इसे वापस करो।" वह आगे कहते हैं, "एक बार आपने चियूंटियों की एक आबादी देखी जिसे हमने आग लगा दी थी तो आपने पूछा कि इसे किसने जलाया है।" हम ने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल ! हम ने।" इस पर आप ने फ़रमाया, "आग से अज़ाब देने का हक़ सिर्फ़ आग के रब को है।"

इन तालिमात की रोशनी में इस्लाम में जानवरों के सिलसिले में ऐसे क़ानून बनाये गये हैं कि हमारी कल्पना से परे हैं इस्लामी धर्म शास्त्र के पंडित कहते हैं कि जानवर का गुज़ारा उसके मालिक पर वाजिब है अगर वह अदा नहीं करता है तो उसे मजबूर किया जायेगा कि जानवर को बेच दे, या उसपर ख़र्च करे या उसे ऐसी जगह पहुंचा दे जहां उसे खाने–पीने और रहने की आजादी हासिल हो। या अगर उसका गोश्त खाया जा सकता हो तो उसे ज़ब्ह करके खाने के काम में ले आये। कुछ विद्वानों ने तो यहां तक कहा है कि अगर कोई अंधी बिल्ली किसी के घर चली जाये तो, जब तक वह वापस आने के क़ाबिल न हो जाये उस आदमी पर उसका गुज़ारा "नफ़क़ा" वाजिब है। उन्होंने जानवर पर उसकी ताक़त से ज़्यादा बोझ लादने को मना किया है। और इसी बिना पर ऐसे क़ानून बनाये हैं कि जो कोई जानवर माल ढोने या सवारी के लिए किराये पर लेता है और उसपर ताक़त से ज़ियादा बोझ लादता है तो ऐसी दशा में उस आदमी को उस जानवर की क़ीमत का तावान उसके मालिक को अदा करना होगा। विद्वानों ने खच्चर और गधे की बोझ की मात्रा भी निर्धारित करने की कोशिश की है। इस संबंध में रोचक बात यह है कि एक विद्वान ने दोनों के बोझ की ऐसी मात्रा निश्चित की जो दूसरे विद्वान के निकट सही नहीं थी तो उसने इसपर आपत्ति की है कि यह खच्चर के साथ तो इंसाफ है मगर गधे पर बड़ी ज़्यादती है।

अब हमें देखना चाहिए कि यह क़ानून कहां तक व्यवहार में लाये गये।

अल्लाह के रसूल सल्ल० ने किसी सफर में एक अन्सारी को देखा कि वह जिस ऊंटनी पर सवार है उसको बुरा–भला कह रहा है तो आपने उसे नापसन्द फरमाया और कहा कि इस ऊंटनी पर जो कुछ है उसे ले लो और इसे छोड़ दो क्योंकि तुम उस पर लानत कर रहे हो। फिर उस ऊंटनी को आज़ाद छोड़ दिया गया वह इधर उधर फिरती थी कोई उसे कुछ नहीं कहता था।

हज़रत उमर रज़ी० एक आदमी के पास से निकले जो एक बकरी को ज़ब्ह करने के लिए घसीट रहा था तो उन्होंने उससे कहा इसे मौत की तरफ़ ठीक तरीके से ले जाओ। हमारी सभ्यता का यह रंग उस समय था जब हुकूमत और पब्लिक संस्थाएं नहीं बनी थीं जब हुकूमत बनी तो ख़लीफ़ा लोगों में यह ऐलान करवा देते थे कि वह जानवरों का ख़याल रक्खें और उन्हें तक्लीफ़ न पहुंचायें अतएव उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने गवर्नरों को अपने एक पत्र में एक निर्देश दिये कि वह लोगों पर पाबन्दी लगायें कि वह

अनायास घोड़ों को ऐड़ न लगायें। इसी तरह उन्होंने एक अफ़सर को लिखा कि वह किसी को सवारी के जानवर को भारी लगाम लगाने या भारी डन्डों से मारने की इजाज़त न दें जिसमें लोहे की अनी लगी हो।

उस समय लेखाधिकारी की ज़िम्मेदारी यह थी कि वह जानवरों पर उनकी ताक़त से ज़्यादा बोझ डालने या चलते समय उन्हें मारने से लोगों को रोकने की कोशिश करें और अगर वह किसी को ऐसा करते देखें तो अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। निम्नलिखित उद्धरणों में इसी प्रकार के निर्देश दिये गये हैं।

"लेखाधिकारी जनहित में लोगों को ऐसा करने के लिए बाध्य करेगा कि लोग जानवरों पर उनकी ताक़त से ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते और न वह बोझ लादकर उन्हें ज़्यादा तेज़ चला सकते हैं। इसी प्रकार ज़्यादा मारना भी मना है। और अगर जानवर की पीठ पर बोझा हो तो, किसी जगह उन्हें खड़ा रखना भी मना है। क्योंकि इस्लामी शरीअ़त ने इन सब बातों से मना किया है। तमाम लोगों को चाहिए कि वह जानवरों को घास चारा आदि इतनी मात्रा में दें कि उनका पेट भर जाये।"

जन संस्थाओं ने सभी जानवरों को काफी अधिकार दिये। प्राचीन "औक़ाफ़" की सूची में ऐसे "औक़ाफ़" भी मिलते हैं जो बीमार जानवरों के इलाज तथा बूढ़े व कमज़ोर जानवरों के लिए उनकी खूराक के लिए कायम थे। इसी प्रकार का एक वक़्फ़ "हरी चरागाह" का इलाका है जहां आज कल दमिश्क में स्टेडियम है। यह कम्ज़ोर घोड़ों के लिए वक़्फ़ है। जिनकी देख–भाल उनके मालिक इस लिए नहीं करते कि कमज़ोर और बूढ़े हो गये हैं और उनसे लाभ नहीं कमाया जा सकता। ऐसे जानवर जब तक जीवित रहते हैं इसी चरागाह में चरते हैं। दमिश्क में बिल्लियों के लिए भी एक वक़्फ़ है जहां उनके लिए खाने–पीने और सोने की सुविधाएं हैं यहां तक कि कभी ऐसा होता था कि एक खास घर में सैकड़ों बिल्लियां जमा होती थीं और आराम से खाती–पीती थीं केवल खेल कूद और घूमने के लिए वहां से निकलती थीं।

इन बातों से आप जानवरों के साथ इस्लाम में हमदर्दी के बर्ताव को समझ सकते हैं। हज़रत 'अबू दरदा' एक महान सहाबी हैं। वह अपने ऊँट से उसकी मौत के समय कहते हैं, "ऐ ऊंट। तुम अपने रब के पास मुझसे बहस न करना क्योंकि मैंने तुम पर कभी असह्य बोझ नहीं डाला है। एक दूसरे सहाबी, "अदी बिन हातिम" च्यूंटियों के लिए रोटी के टुकड़े बिखेर देते थे और कहते थे यह हमारे पड़ोसी हैं। और इनका हम पर हक़ है। अबू इस्हाक़ शीराज़ी अपने कुछ दोस्तों के साथ चल रहे थे कि एक कुत्ता सामने आ गया। कुत्ते के मालिक ने उसे दुतकारा तो शीराज़ी ने उसे मना किया और कहा "क्या तुम नहीं जानते कि रास्ता हमारे लिए भी है और इनके लिए भी ।"

इस्लाम में जानवरों के साथ बर्ताव की सही क़दर व क़ीमत जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि प्राचीन समय तथा मध्य युग में जानवरों के साथ क्या व्यवहार किया जाता था और अन्य कौमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करती थीं इन कौमों में जानवरों पर दया और उनके साथ नर्मी व हमदर्दी की कोई परिकल्पना ही न थी। अतएव जानवरों के अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता था।

बल्कि हम देखते हैं कि जानवर या उसका मालिक कोई जुर्म करता है तो पकड़ जानवर की होती है और उसके साथ वही व्यवहार किया जाता है जो एक समझदार आदमी के साथ करना चाहिए। इतिहास की यह सबसे आश्चर्यजनक घटना है कि प्राचीन समय से उन्नीसवीं शताब्दी ई० तक जानवरों पर बिल्कुल आदमियों की तरह मुकदमा चलाया जाता था और उनके लिए भी क़ैद, देश निकाला, और मृत्यु दण्ड का फैसला किया जाता था। अतएव यहूदियों के कानून के अनुसार यदि कोई बैल किसी स्त्री या पुरुष को सींग मार दे और उससे वह मर जाये तो बैल को पत्थर मार–मार कर मार डालना वाजिब होगा और उसका गोश्त खाना हराम होगा और अगर वह बैल सींग मारने का आदी न हो तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी उसके मालिक पर न होगी किन्तु अगर बैल सींग मारने का आदी हो और लोगों ने उसके मालिक को सचेत कर दिया हो और उसने कोई ध्यान न दिया हो और अपने बैल की सही देख–भाल नहीं की हो, फिर बैल के सींग मार देने से कोई आदमी मर गया तो बैल को पत्थर मार–मार कर मार डालने और मालिक को फांसी की सजा होगी। यहूदी क़ानून में जानवरों को दण्डित करने का एक दूसरा ढंग भी है। वह यह कि अगर किसी पुरुष या स्त्री ने किसी जानवर से कुकर्म कराया तो उस पुरुष या स्त्री के साथ जानवर को भी कत्ल करना वाजिब होगा।

प्राचीन यूनानी क़ानून के अनुसार जानवर और पत्थर किसी की मौत का कारण बने तो एक खास अदालत में उनपर मुकदमा चलाता था उस अदालत का नाम "ब्रस्टनन" था, वास्वत में यह उस जगह का नाम था जहां पर अदालत लगती थी। प्लेटो ने अपनी पुस्तक (क़ानून) में लिखा है कि अगर कोई जानवर किसी इन्सान की हत्या कर दे तो मृतक के परिवार को अधिकार होगा कि अदालत के

सामने उस जानवर के विरुद्ध दावा दायर करे। साथ ही घर वालों को इसका अधिकार होगा कि वह काश्तकारों में से अपने जजों का चयन करें। फिर अगर जानवर का जुर्म साबित हो जाये तो बदले में उसकी हत्या वाजिब हो जायेगी लेकिन इस कानून से उस हत्या की छूट होगी जो खेल के मैदान में आदमी और जानवर के बीच मुकाबले की दशा में हो जाये। इस प्रकार की हत्या पर कोई सजा नहीं दी जा सकती है। यदि पत्थर आदि में से कोई चीज़ आदमी के ऊपर गिर जाये जिसके फलस्वरूप आदमी की मृत्यु हो जाये तो मृतक का सबसे निकट संबंधी उसके किसी पड़ोसी को काज़ी चुनेगा जो यह फैसला करेगा कि उस चीज को शहर से बाहर फेंक दिया जाये। प्राचीन यूनान वासियों के निकट जानवरों की ज़िम्मेदारी केवल हत्या के विभिन्न स्वरूपों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि दूसरे अपराधों पर भी जानवर पर मुकदमा चलाया जा सकता था।

उदाहरण के लिए यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काट ले तो उसके मालिक की यह जिम्मेदारी थी कि कुत्ते की रस्सी को बांधकर उस व्यक्ति के हवाले कर दे जिसे उसने काटा है ताकि वह जिस तरह से चाहे उससे बदला ले। वह उसकी हत्या भी कर सकता था। कभी–कभी जानवर अपने मालिक अथवा उसके परिवार के किसी अपराध के कारण दण्ड के भोगी होते थे जैसे कि किसी को धर्म अथवा शासन के विरुद्ध किसी अपराध के लिए फांसी दी जाती थी तो उसके साथ उसका परिवार उसकी सम्पत्ति और उसके जानवर सब जला दिये जाते थे या उन्हें ज़ब्त कर लिया जाता था या उन्हें किसी और तरीकों से नष्ट कर दिया जाता था।

प्राचीन रोमवासियों के कानून में एक ऐसी धारा थी जिसके अनुसार बैल अगर हल में चलते समय किसी दूसरे के खेत में पैर रख दे तो बैल और उसके मालिक दोनों को फांसी दे दी जाती थी और यदि कुत्ता किसी व्यक्ति को काट ले तो कुत्ते को उसव्यक्ति के हवाले कर दिया जाये फिर वह जो चाहे करे। यही सजा उस जानवर के लिए भी थी जो किसी की चरागाह में घास चर ले।

जानवरों के बारे में प्राचीन जर्मनी में वही कानून प्रचलित थे जो रोम और यूनान में थे। ईरानियों का हाल इससे भी अधिक विचित्र था उनके यहां यदि कोई पागल कुत्ता किसी बकरी को मार डाले अथवा किसी व्यक्ति को घायल कर दे तो उसका दांया कान काट दिया जाता था और वह फिर भी ऐसा करता है तो उसका बांया कान काट दिया जाता, तीसरी बार उसका दांया पैर और चौथी बार उसका बांया पैर काट दिया जाता था और पांचवीं बार उसकी दुम खींच ली जाती थी।

मध्य युग में यूरोपीय देशों में फ्रांस सबसे पहला ईसाई देश था जिसने तेरहवीं सदी ई० में जानवरों को दण्डित करने का कानून बनाया जिसके अनुसर विधिवत् सरकारी अदालतों में आदमियों की तरह जानवरों का भी मुकदमा चलता था फिर चौदहवीं सदी के अंत में सारी दुनियां इसे व्यवहार में लाने लगी। पन्द्रहवीं सदी के अन्त में बेल्जियम में इसे लागू किया गया सोलहवीं सदी के मध्य में यही कानून हालैण्ड जर्मनी, इटली और स्वीडन में लागू हुआ। सिसली में कहीं–कहीं उन्नीसवीं सदी तक इसे व्यवहार में लाया जाता रहा।

यूरोप वासियों के निकट जानवरों पर मुकदमा की शुरूआत मज़लूम या दीवानी अदालत के दावे से होती थी। फिर अभियुक्त जानवर की ओर से बचाव पक्ष के वकील सफाई पेश करते थे कभी –कभी जानवर कैद कर लिया जाता था और उसके बाद फैसला सुनाया जाता था। कभी–कभी जानवर को जनता के सामने पत्थर मार–मार के मार डाला जाता था अथवा उसका सिर काटकर या उसे आग में जलाकर अथवा उसके शरीर के कुछ अंग काट कर उसे मार डाला जाता था। इस प्रकार के फैसले मात्र दिल बहलाने के लिए नहीं किये जाते थे बल्कि पूरी गम्भीरता के साथ कहा जाता था कि "न्याय की स्थापना के लिए जानवर को फांसी देने का फैसला सुनाया जाता है।" या "इसे इस लिए फांसी दी जा रही है कि इसने एक जघन्य अपराध किया है।" जिन कारणों से यूरोपवासी जानवरों पर मुकदमा चलाते थे उनमें से एक कारण यह भी था कि उसने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन किया है ऐसी दशा में उस पर जादू का आरोप लगाया जाता था और यह ऐसा अपराध था जिसके भागीदार आग से जला दिये जाते थे जब किसी जानवर को सजा दी जाती थी तो यूरोपवासी बड़े पैमाने पर खुशी मनाते थे। जल्लाद सूखी लकड़ियां ले आते और किसी मैदान के बीच में रख देते थे फिर अभियुक्त बिल्लियां लायी जाती थीं हर बिल्ली लोहे के पिंजरे में बन्द होती थी और जब सजा देने की घड़ी आती थी तो कुछ जल्लाद जिनके साथ कुछ अधिकारी भी होते थे आते और उनमें से एक दोनों हाथों में मशाल लिये हुए आगे बढ़ता और सूखी लकड़ियों में डाल देता था। फिर एक अधिकारी यह हुक्म देता कि बिल्लियों को जादू करने के जुर्म में दहकते हुए अंगारों में डाल दिया जाये ताकि वह जलकर राख हो जायें।

यहां जानवरों के कुछ मशहूर मुकदमों का उल्लेख कर देना उचित प्रतीत

होता है जो यूरोप के मध्य युग के इतिहास में हमें मिलते हैं। इस क्रम की एक घटना फ्रांस के एक शहर ओतोन में चूहों की है जो पन्द्रहवीं सदी ई० में घटित हुई इस शहर के चूहों पर यह आरोप था कि वह सड़क पर इस तरह जमा हो जाते हैं जिससे लोगों के आराम में खलल पड़ता है। सासानी नाम के एक फ्रांसीसी वकील ने चूहों की वकालत करते हुए उनके लिए अदालत से मोहलत मांगी, क्योंकि कुछ चूहे बहुत छोटे थे कुछ बीमार थे और कुछ बूढ़े हो चुके थे। अतएव वह निर्धारित समय पर उपस्थित न हो सके थे अदालत ने उन्हें मोहलत दे दी थी किन्तु चूहे फिर भी निर्धारित समय पर उपस्थित न हो सके थे। उनके वकील ने कहा कि चूहे अदालत में हाजिर होने के लिए तैयार हैं लेकिन वह बिल्लियों से डरते हैं इस लिए वह नहीं आ पाते। अदालत ने कहा कि, अभियुक्तों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है अतएव अदालत ने वकील के इस सुझाव को मान लिया कि जिस समय चूहे अदालत में हाज़िर हों उस समय कुत्ते और बिल्लियां सड़क से गुजर नहीं सकतीं लेकिन नगर वासियों के विरोध पर अदालत ने विवश होकर यह फैसला किया कि चूंकि चूहों को सुरक्षा के कानूनी साधन प्राप्त नहीं है इसलिए वह बरी किये जाते हैं। चूहों के वकील ने इस मुकदमे में सफलता के कारण बड़ी ख्याति प्राप्त की। पता नही उसने चूहों से अपनी फीस ली या नहीं सम्भव है उसके बदले में उसने यह समझौता किया हो कि अब वह उसकी किताबें नहीं कुतरेंगे।

एक दूसरी घटना एक मुर्गे के अन्डे देने की है। स्वीटजरलैण्ड के शहर "बाल" में १४७४ ई० में एक मुर्गे के विरुद्ध यह दावा दायर किया गया कि उसने अन्डा दिया है। जो संगीन अपराध था, उनका विचार था कि जादूगर अपने गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुर्गे के अन्डे की तलाश में रहते हैं। मुर्ग अदालत में पेश किया गया। उसके वकील ने उसकी पैरवी करते हुए कहा कि मुर्ग पर एक ऐसी घटना की जिम्मेदरी कैसे आयद होती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन अदालत वकील की बातों से सहमत नहीं हुई और मुर्गे को फांसी देने का फैसला सुनाया ताकि दूसरे मुर्गे इस घटना से सीख प्राप्त करें।

सन् १४६५ ई० में फ्रांस में एक और घटना घटित हुई जो जानवरों के मुकदमों के इतिहास में सबसे रोचक घटना है। हुआ यह कि "सानजोलीन" के प्रान्त में अंगूर की खेती करने वालों ने घुन के विरुद्ध यह दावा दायर किया कि उन्होंने अंगूर की बेल और दूसरे पौधों को तथा उनके व्यवसाय को नष्ट कर दिया । उन कीड़ों की तरफ से कानून के दो विख्यात पंडितों ने बचाव की जिम्मेदारी ली। यह मुकदमा चालीस साल तक चलता रहा और तब समाप्त हुआ जब खेतिहर किसान देरी के कारण उक्ता गये और स्वयं फैसला किया कि इन कीड़ों की खुराक के लिए खेती का एक विशिष्ट भाग वक्फ़ कर दिया जाये। ताकि कीड़े आजादी से जो चाहें खायें।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्लामी सभ्यता की दो विशेषताएं जानवरों के साथ बर्ताव में हैं जो अन्यत्र नहीं मिलतीं।

(१) जानवरों की देख–भाल और कम्जोरी, बीमारी वे बुढ़ापे की हालत में उनके खाने और दवा आदि की व्यवस्था के लिए सामुदायिक संस्थाओं की स्थापना।

(२) इस्लामी सभ्यता जानवरों के मुकदमों से पाक है। क्योंकि उसने चौदह सौ साल पहले ही यह ऐलान कर दिया कि किसी अपराध पर उनसे पूछ–गछ नहीं की जा सकती। इसी प्रकार इस्लामी सभ्यता ने जानवरों पर कभी जुल्म करने और उन्हें आपस में लड़ाकर मनोरंजन की आज्ञा नहीं दी। जबकि रोम और ईरान में इस प्रकार के प्रदर्शनों को कानूनी हैसियत प्राप्त थी और स्पेन में अब भी इसकी इजाज़त है।

अतएव वहां बैलों के मुकाबले के लिए बड़े–बड़े आयोजन किये जाते हैं निश्चय ही यह एक अमानवीय व्यवहार है जो मध्य युग से यूरोप में जारी है। इस्लामी सभ्यता इस कलंक से सुरक्षित है।

मंज़िलों के भी पाँव होते हैं

डा० श्रीहरि

ज़िन्दगी नाम दे दिया जिसको,
सिर्फ सांसों का आना–जाना है।
उम्र का गोया एक ही मानी,
ख्वाब में रोना–मुस्कराना है।
मंजिलों के भी पांव होते हैं,
ये हकीकत है या फसाना है ?
जाने क्यों सांस–सांस चुभती है,
यों तो सब कुछ यहां सुहाना है।
ज़िन्दगी जब ज़रा सुकूँ चाहे,
मौत उसके लिए बहाना है।
ये शहादत है वो इबादत है,
ये तरन्नुम है, वो तराना है।
ज़िन्दगी खेले दिल से, आंखों से,
उसका अन्दाज आशिक़ाना है।
खुदी के पास खुदा खुद आए,
रास्ता इक नया बनाना है।
बेखुदी में खुदी बुलन्द हुई,
अनलहक़ की सदा लगाना है।
माना खुदा को जो खुदा, ऐसा लगा,
आस्मां को जमी पै लाना है।

दौलत और शुहरत से दुराव था

अली मियां (रह०) को

मो० हसन अंसारी

अली मियां धरती के उन जियाले सपूतों में से एक थे जिन्हें यह वसुन्धरा सदियों के बाद जन्म दिया करती है। अलीमियां का व्यक्तित्व बहुआयामी, परिपूर्ण और सन्तुलित था। वह सहनशील और उदारता की प्रतिमूर्ति थे। उनके व्यक्तित्व का सबसे उजागर और विशिष्ट गुण उनकी प्रवृत्ति में दौलत और शुहरत से दुराव था जिसे हम इस्तिग़ना और बेनियाज़ी (सिवाय अल्लाह के) कह सकते हैं। वह किसी से कुछ लेने की इच्छा न रखते थे। उनके अन्दर निस्पृहता और अनिच्छा थी।

बचपन में परिवार की आर्थिक दशा तथा उसके सुधार के प्रयास का उल्लेख करते हुए वह अपनी आत्म–कथा 'कारवाने ज़िन्दगी' में लिखते हैं –(भाग १ पृ० ५३)

"जब से मुझे शुऊर आया मैं ने यह देखा कि ज़मींदारी जीविकोपार्जन का ऐसा साधन रह गया था जिस में परिश्रम और परेशानी तो बहुत थी, फ़ायदा कम था ..... मैं ने अपने ख़ानदान के इन घरों में खुशहाली और ज़्यादा फ़राग़त नहीं देखी। वैसे ज़िले में इज़्ज़त वजाहत थी। लगान तो मुश्किल से वसूल होता था, लेकिन मालगुज़ारी सरकार में ज़रूर दाखिल करनी पड़ती थी जिसके लिए कभी–कभी कर्ज़ व रहन की नौबत आ जाती ।"

विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर अब्दुल्लाह अब्बास नदवी जिन्हें अली मियां का सानिध्य और सोहबत तिरपन साल तक प्राप्त रही और जिन्होंने मौलाना नदवी को बहुत करीब से देखा है, अपनी पुस्तक 'मीरे कारवां' में लिखते हैं –

"मुहर्रम सन् १३७० हिज्री में मौलाना (अली मियां) जब वह लगभग ३५ साल के थे, हिजाज़ में ठहरे थे। हज़रत रायपुरी रह० (हज़रत अब्दुल क़ादिर रायपुरी रह० जो अली मियां के पीर थे) हज से फ़ारिग़ होकर हिन्दुस्तान वापस जा चुके थे। मौलाना और उनके साथी व सेवक किसी होटल या महल में नहीं बल्कि आम मुसाफिरों की शरण "रबात" (मुसाफिरख़ाना) में रूके थे। खाना सिर्फ़ दिन का खाया जाता था। बाज़ार से रोटी और फोल (एक प्रकार की दाल) आता और सब मिल कर नाश्ता करते। और मौल्वी मोहम्मद ताहिर साहब नदवी मज़ाहिरी कोई सब्ज़ी या गोश्त पका लेते। दूसरे साथी कोई बाज़ार से सौदा सुलफ़ लाता, कोई बर्तन धोता, और सब मिलकर खाते। उस ज़माने में रबात में, जहां बड़े लोग आमतौर से जाया नहीं करते, मौलाना से मिलने के लिए इमामे शेख़ अब्दुर्रज़्ज़ाक हम्ज़ा विख्यात साहित्यकार अहमद अब्दुल ग़फ़्फ़ार अत्तार, शेख़ अब्दुल कुद्दूस अंसारी और इसी स्तर के लोग आया करते थे। एक दिन स्वयं शेख उमर बिन हसन भी नाश्ता में तशरीफ़ लाये। उस ज़माने में शेख़ उमर का दर्जा वही था जो आजकल शेख़ बिन बाज़ का है। मलिक फैसल के मामा होते थे, आले शेख़ में थे। ..... उनका रबात में आना ऐसा ही था जैसे कोई ग़वर्नर किसी झोपड़े में पधारे। शेख़ उमर ने एक दिन मुझ से कहा कि सुबह मेरे पास आना। उनके आदेशानुसार हाज़िर हुआ तो एक थैली सोने की गिन्नियों से भरी दी और कहा इसे शेख़ अबुल हसन (अली मियां) को पहुंचा दो। उस ज़माने में नोट का चलन नहीं हुआ था। या तो चांदी के रियाल चलते थे या चालीस रियाल क़ीमत की एक सोने की गिन्नी। मैंने एक थैली सोने की अशरफ़ियों से भरी हुई ज़िन्दगी में पहली बार देखी थीं। मौलाना की ख़िदमत में पेश की। लगभग पैंतालीस मिनट या एक घंटे के बाद मौलाना ने एक ख़त लिखा और थैली के साथ मुझे दिया कि शेख़ को दे आओ। इस ख़त में आभार व्यक्त करने के बाद यह लिखा था कि भेंट स्वीकार है और मैंने एक गिन्नी अपने ज़ाती ख़र्च के लिए रख ली है बक़िया वापस कर रहा हूं। मैं यह रक़म और ख़त लेकर गया तो शेख़ ज़ुह्र के बाद आराम कर रहे थे, सलाम करके ख़त और रक़म की थैली हाज़िर की। शेख़ ने पहले ख़त पढ़ा, फिर आवाज़ से उसे पढ़कर सब को सुनाया। एक साहब ने कहा उल्मा–ए–सलफ़ (परहेज़गार) के नमूने हर ज़माने में मिलते हैं। एक और साहब बोले रसूलुल्लाह (सल्ल०) की उम्मत में हमेशा ख़ैर रहा है। पचास साल पहले की बात है। उन लोगों ने अपने लहजे में और क्या कहा याद नहीं। लेकिन इतना यक़ीन के साथ कह सकता हूं कि मौलाना ने इस इस्तिग़ना से हिन्दुस्तान के उलमा की प्रतिष्ठा बढ़ गई। और महसूस किया गया कि सब यकसां नहीं होते। मैं समझा था कि बात ख़त्म हो गई मगर लम्बे समय के बाद शेख़ उमर बिन हसन के भाई के लड़के शेख़ हसन बिन अब्दुल्ला से बेरूत में मुलाक़ात हुई तो उन्होंने मौलाना की

खैरियत मालूम की और इस घटना को मेरी मौजूदगी में अब्दुल्ला अलग़मीन को सुनाया।

इसी जमाने की दूसरी घटना अमीर सऊद अल कबीर (बादशाह के चचा) के भेंट की है। अमीर सऊद अलकबीर ने मौलाना और उनके साथियों की दावत की। खाने और चाय के बाद वापस आने लगे तो मोल्वी रिज़वान अली साहब को इशारे से रोक लिया और उनके साथ चांदी के रियालों की थैली जिसमें पांच सौ रियाल थे उनके हवाले की और कहा अपने शेख़ को दे देना। वह थैली भी वापस की गई।

तीसरी घटना यह है कि मौलाना से सऊदी रेडियो ने उनके कुछ भाषण रिकार्ड कराये जिस के लिए उस समय के उप वित्त मंत्री शेख़ मोहम्मद सरवर ने मानदेय (आनरेरियम) पेश किया था मगर मौलाना ने उस को क़बूल करने से इन्कार किया।

सन् १९५५ ई० में मौलाना को दमिश्क यूनीवर्सिटी में विज़िटिंग प्रोफेसर की हैसियत से आमन्त्रित किया गया। मौलाना ने लेकचर्स दिये किन्तु उसका कोई मानदेय स्वीकार नहीं किया।

मदीना यूनीवर्सिटी ने १३८९ हिज्री के जल्से में तय किया कि मेम्बरों को आनरेरियम के नाम से रक़म दी जाया करे (अलावा सफ़र–खर्च और खान–पान के)। मौलाना ने इसको क़बूल नहीं फ़रमाया। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो होटल में ठहरने की सहूलत दी जाती थी वह भी स्वीकार नहीं किया।

राबिता आलमे इस्लामी के स्थायी सदस्यों ने भी यह अभियान उठाया कि उनको एक इकरामिया (आनरेरियम) दिया जाये। मौलाना ने इसका विरोध किया।

मलिक अब्दुल्लाह बिन हुसैन (जार्डन) ने मौलाना को एक रक़म दी। मौलाना ने यह रक़म स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की। शाही दरबार के कुछ लोगों ने कहा कि बादशाह की भेंट को अस्वीकार नहीं किया जाता तो मौलाना ने पूरी रक़म फिलस्तीन फंड में दे दी।" (मीरे कारवां पृष्ठ ५४–५८)

सन् १९८० ई० में अलीमियां को उनके ज्ञान और कर्म के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए सन् १४०० हिज्री के शाह फैसल एवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उन्होंने डॉ० अब्दुल्ला अब्बास नदवी को अपने एक पत्र के साथ सऊदी अरब भेजा। पत्र में लिखा कि एवार्ड के लिए चुने जाने पर मुझे प्रसन्नता है। इससे इस्लाम और मुसलमानों के कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। मैं इस सम्मान के लिए अल्लाह की हम्द (प्रशंसा) बयान करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने प्रतिनिधि डॉ० अब्दुल्ला अब्बास नदवी को इस पत्र के साथ पुरस्कार प्राप्त करने हेतु भेज़ रहा हूं। मैं स्वयं आने में असमर्थ हूं। और पुरस्कार की धनराशि, जिसे मैं स्वीकार करता हूं, को निम्नवत इस्लाम और मुसलमानों के कल्याणकारी कार्यों हेतु बांटने की सहर्ष अनुमति प्रदान करता हूं –

१. आधा अफ़गानिस्तान के शरणार्थियों के लिए।

२. एक चौथाई तहफ़ीजुल क़ुरआन, मक्का के लिए।

३. एक चौथाई मदरसा सौलतिया, मक्का के लिए।

इस प्रकार पुरस्कार की धनराशि जो लगभग छः लाख रूपये की थी, को बिना हाथ लगाये पूरी की पूरी अच्छे कार्य के लिए समर्पित कर दी। और अपने लिए एक पैसा स्वीकार नहीं किया।

शाह फ़ैसल एवार्ड के साथ विशुद्ध सोने का दस तोला वज़न का जो गोल्ड मेडल मिला था उसे भी अपने पास न रखा और कुछ लोगों से सलाह करके उसे बेच दिया गया और प्राप्त धनराशि को ग़रीब व नादार लड़कियों की शादी के लिए दे दिया।

सन् १९६८ में दुबई में तमाम अरब और ग़ैर अरब इस्लामी देशों ने एकमत होकर अली मियां को "इस्लामिक पर्सनाल्टी आफ दी वर्ल्ड १९६८" (१४१६ हिज्री) घोषित किया और चयन समिति के प्रस्ताव के अनुसार उन्हें पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार की रक़म एक मिलियन (दसलाख) दिरहम जिसकी क़ीमत हिन्दुस्तानी सिक्के में एक करोड़ रूपया होती है। अली मियां ने यह पूरी रक़म उसी समय शिक्षा के प्रसार के लिए दे दिया और एक पाई भी अपने परिवारजनों के लिए नहीं रखा।

अली मियां को, विशेषकर जीवन के अन्तिम दस पन्द्रह वर्षों में जब वह बूढ़े हो चले थे, रायबरेली से लखनऊ आने जाने के लिए एक कार की ज़रूरत लोग महसूस करते रहे, पर उन्होंने ने अपने लिए कार ख़रीदना पसन्द नहीं किया, और अगर किसी ने ख़रीदना चाहा तो उसे मना कर दिया।

जुलाई १९६८ ई० में अली मियां के एक परमभक्त सीतापुर के एक वकील साहब अपने बेटे के साथ तकिया कलां, रायबरेली आये। और ठहरे। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर आराम करके जब मौलाना उठे तो यह बाप बेटे उनके पास बैठे थे। उन साहब ने अपने बेटे से कहा, हज़रत से अर्ज़ कर दो हमारी नई गाड़ी वह अपने लिए क़बूल कर लें। और अपने इस्तेमाल में रखें। उन्होंने हज़रत मौलाना के खास खादिम (सेवक) से यह बात कही। उन्होंने हज़रत मौलाना से ज़िक्र

(शेष पृष्ठ ८ पर)

(सातवीं किस्त)

स्वतंत्रता आन्दोलन में भारतीय मुसलमानों की भूमिका

प्रोफेसर शान्तिमय राय

एक पठान मीरदाद ख़ान उर्फ़ इम्तियाज़ ने बम्बई के एक पानी के जहाज़ में नौकरी की। यह बीसवां शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारम्भिक वर्षों की बात है। वह अमरीका गये। वहां वह ग़दर पार्टी की ओर आकर्षित हुए और आगे चलकर यह कम्यूनिस्ट हो गये। १६३६ में वह भारत वापस आये। बम्बई में कुछ दिन रहकर वह कानपुर गये। और श्रमिकों के बीच काम करते रहे। कुछ दिनों बाद पंजाब जाकर उन्होंने किसानों के बीच में काम किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उन्हें गिरफ़्तार किया गया। जब उन्हें लाहौर से मुल्तान बेड़ियां डालकर ले जाया जा रहा था तो वह चलती गाड़ी से कूद पड़े। महीनों बाद गिरफ़्तारी से बचते हुए वह इम्तियाज़ के नाम से बम्बई आ गये और वहां गोदी मज़दूरों के बीच काम करते रहे। बाद में उन्हें शिपिंग कम्पनियों के किराये के एजेन्टों द्वारा विरोधी यूनियन लीडरों के उक्साने पर छुरा घोंप कर मार दिया गया।

अमीर हैदर खां उर्फ़ फरनान्डीस उर्फ शंकर–एक न थकने वाले क्रान्तिकारी, का जन्म पंजाब में हुआ था। जब वह मकतब में पढ़ते थे तो घर से भाग निकले। मकतब में उन्हें उनके मां–बाप मुल्ला बनाना चाहते थे। वह बम्बई आये। वहां एक पानी के जहाज़ में नौकरी कर ली और दुनिया की सैर की। वह डेट्रायट में रहे और वहां मोटर मेकैनिक और बाद में पायलट की ट्रेनिंग ली। बाद में वह कलकत्ता के शमशुल हुदा से मिले और कम्युनिस्ट हो गये। वह १६२६ में मास्को गये और यूनीवर्सिटी आफ दी ईस्ट में प्रशिक्षण प्राप्त किया। दुनिया भर में कम्युनिस्टों से उनका सम्पर्क था। वह मेरठ साज़िश केस में अभियुक्त थे। वह भेस बदलकर भारत आये और गोवा में फर्नान्डीस के नाम से काम किया। और फिर मद्रास चले गये और शंकर नाम से मोटर मेकैनिक का काम किया। श्रमिकों को संगठित करने में उन्होंने विशिष्ट कार्य किया और इस के लिए वह गिरफ्तार कर लिये गये। १६३८ में जेल से छूटने के बाद वह बम्बई आये और मदनपुरा में मुस्लिम मज़दूरों के बीच काम किया। विभाजन के बाद उन्हें गिरफ्तार करके वर्षों जेल में रखा गया।

कश्मीर में मोहम्मद सादिक़ अली ज़मींदारी और तानाशाही के बन्धनों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई में शेख़ अब्दुल्लाह के साथ रहे।

वास्तव में मुस्लिम मज़दूर और किसान लीडर बड़े प्रभावशाली होते हैं। इस सिलसिले में गोदी मज़दूरों के एक लीडर याकूब मोहम्मद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह मजूदरों के बड़े योग्य संगठन कर्ता थे। मोहम्मद इस्माईल १६३४ में एक लेबर आर्गनाइज़र की हैसियत से कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये। मोहम्मद चतुराली १६३६ में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये। उन्हों आज़ादी के आन्दोलन के दौरान काफी दिनों तक मज़दूरों के बीच गुप्त रूप से काम करना पड़ा। किसानों को संगठित करने वालों में हाजी दानिश याकूब मियां, शुजाअत अली मजूमदार और इरादल उल्ला के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी ने अपना समय किसानों को संगठित करने में लगाया, कुछ उत्तरी बंगाल में और कुछ नोआखाली और फेमिल्ला में। एक दूसरे मुस्लिम जवान मोहम्मद इलियास जो एक नेशनलिस्ट मुस्लिम परिवार के थे कम्युनिस्ट के प्रभाव में आये और आगे चलकर एक लड़ाकू मज़दूर नेता बन गये। अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और यात्नायें झेलनी पड़ीं।

यह उचित समय है कि रिसर्च करने वाले मज़दूर वर्ग के किसानों के और मध्यवर्ग के उन अनगिनत मुस्लिम लीडरों के बारे में विस्तृत विवरण एकत्र करना शुरू करें जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्थानाभाव के कारण मैं यहां उनमें केवल कुछ एक के नाम का उल्लेख कर रहा हूं। मोहम्मद ज़मीरूद्दीन को जो १६३८ में कुश्तिया में मज़दूर आन्दोलन के एक आर्गनाइज़र थे, गुण्डों के एक गिरोह ने मार डाला। गोदी मज़दूरों के एक नेता यूसुफ़ थे। गुलाम शेर १६४२ में चिटागांग के गोदी मज़दूरों के आर्गनाइज़र ये नेट्रोकोला के सिराजुद्दीन की मौत क्षयरोग से हुई। इस बीमारी की छूत उन्हें उस समय लगी थी जब वह सी०पी०आई० के गुप्त संगठन हेतु बड़ी मेहनत कर रहे थे। अहमद, जो कम्यूनिस्ट कार्यकर्ता अल्ताफ़ अली और अली नेवाज़ के साथी थे, को १६३० में जेल जाना पड़ा, वह दो अगस्त

१९४२ को मेमन सिंह में आयोजित तानाशाही विरोधी रैली के चीफ़ आर्गनाइज़र थे। अहमद बारीसाल में गुलादी के लोकप्रिय किसान आर्गनाइज़र थे। अली महमूद वीरभूमि में मैग्राम के कम्यूनिस्ट छात्र नेता थे। अब्दुल अज़ीज़ मुंशी एक लोकप्रिय किसान कार्यकर्ता और ढाका कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। दूसरे कामरेडों में टिपरह के अय्यूब अली, गेबन्धा के मोहम्मद ज़मां, चिटा गांव के गुलाम हुसैन, टिपरह के मोल्वी सिद्दीक़ रहमान, किशोरगांव के सिराजुल हक़, राजशाही के नादिर हुसैन चौधरी, खुलना के मतलूब शेख़, कलकत्ता के मोहम्मद हारिस और क़दम रसूल, विख्यात वहाबी क्रान्तिकारी परिवार के हलीम (जूनियर) जिन की मुलाक़ात युवावस्था में अब्दुर्रज़्ज़ाक खां से हुई और जिन्होंने प्रारम्भिक काल में चोरी छिपे कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। गैस वर्कर्स यूनियन के एक अथक नेता रसूल ने ११ फरवरी १९४६ को राशिद अली दिवस के अवसर पर से अधिकारियों के साथ लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी।

१९४६ में भारत के विभिन्न भागों में दूर–दूर तक किसान संघर्ष हुए। केरल, कश्मीर आदि में किसान आन्दोलन जंगल की आग की तरह फैल गया। जैसोर ज़िले में सम्मानित पीर परिवार के अब्दुल हक़ जो १९४२ में कलकत्त के प्रमुख मुस्लिम छात्र–नेताओं में थे, विकराल किसान आन्दोलन के दौरान १९४५–४६ में जैसोर के एक कम्युनिस्ट लीडर बन गये। तब से उन्हें छिप कर और जेल में एक लम्बा समय गुज़ारना पड़ा। इस समय वह पूर्वी पाकिस्तान के अत्यन्त विख्यात एवं लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं।

जैसोर ने एक और लोकप्रिय नेता सैयद नौसेर अली पैदा किया जो विभाग अधिकारी के लिए किसान संघर्ष के नेताओं में से एक थे। उन्हें कई बार क़ैद किया गया। वह १९४० की दहाई में मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक उन्मतताके दौरान किसानों के वर्ग संघर्ष के कट्टर नेता थे। एक और महत्वपूर्ण नाम पैंतालीस वर्षीय मज़दूर नेता मारूफ़ हुसैन का है जिन्होंने मैनेजमेंट, ब्रिटिश पुलिस और मुस्लिम लीगियों की याल्गाओं को सहन किया। इसलिए कि तीन झंडों तले संघर्ष कर रही जनता को एकता के बन्धन में जोड़कर सामन्तशाही विरोधी पताका को लेकर आगे बढ़ सकें।

मेरा वर्णन अधूरा रहेगा यदि मैं एक और प्रमुख नाम हसीना बेगम का उल्लेख न करूं। उस महिला का साहस अतुलनीय और समर्पण अद्वितीय था। कलकत्ता के सफाई कारों की इस महबूबा ने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान जेल गईं, बाहर अईं औ बड़ी बहादुरी के ाथ सामाजिक अन्याय का सामना किया।

कलकत्ता के ट्रामवे वर्कर्स की ऐतिहासिक हड़ताल और फरवरी १९४६ में बम्बई तथा करांची में नैवल रिवोल्ट (जल सेना क्रान्ति) से ऐसा लगा कि भारत की राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक क्रान्ति एजेन्डे पर आने ही वाली है। बम्बई में नैवेल रिवोल्ट की बग़ावत के एक प्रमुख नेता कर्नल खान थे जिन्होंने बिना भेद–भाव के भारत के समस्त नागरिकों को आवाज़ दी कि वे इस लड़ाई में उनके साथ रहें। जब लाहौर के युवा छात्रनेता अनवर हुसैन ने कराची में नैवल रिवोल्ट के दौरान एक जहाज़ के डेक पर अपने हाथों में लाल झंडा लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी उस समय कोई भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा घोषित १६ अगस्त की "सीधी कार्रवाई" जैसी बड़ी साज़िश की कल्पना भी नहीं कर सकता था जिसके लिए एक शान्तिपूर्ण और संयत् विरोध दिवस होने की आश थी और जिस के लिए क्रान्तिकारी मुस्लिम युवा और छात्र–संगठन अपने को सामन्तशाही विरोधी प्रदर्शन में बदलने को तैयार थे, वह दुर्भाग्यवश अचानक एक शैतानी साज़िश में बहल गया और भारतवासी निस्सहाय आंखें खोले एक पुरानी परम्परा का अन्त और राष्ट्रीय आन्दोलन की मौत देखते रहे। इस अवरोध के पीछे छिपे भेद का एक दिन अवश्य पर्दाफ़ाश होगा। विदेशी सामन्तशाही द्वारा हिन्दू तथा मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्वों के साथ साठगांठ करके पकाई गई इस पैशाचिक साज़िश का परिणाम अत्यन्त कष्टदायक और दुखद रहा है और जहां तक भावी भारत के इतिहास का सम्बन्ध है, इसके दूरगामी दुखद परिणाम निकलें गे। (समाप्त)

अनुवाद : मो० हसन अंसारी

●●●

क़ादियानी या अहमदी

क़ादियान पंजाब में एक मक़ाम है। वहां एक शख़्स मिर्ज़ा गुलाम अहमद पैदा हुआ। उसने कहा मैं महदी हूँ मसीहे मौऊद हूं। फिर कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पर वही आती है। जबकि आख़िरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं।

गुलाम अहमद के मानने वाले कादयानी या अहमदी कहलाते हैं। उलमाए उम्मत का फ़तवा है कि मिर्ज़ा और उसके मानने वाले इस्लाम से ख़ारिज हैं।

मरणोपरान्त जीवन

(मरने के बाद की ज़िन्दगी)

हबीबुल्लाह आज़मी

मौत एक ऐसी हक़ीक़त है जिसे सब मानने के लिए बाध्य हैं। चाहे कोई खुदा को माने न माने, धर्म में विश्वास रखे या न रखे, प्रलय में उसको यक़ीन हो या न हो मगर मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे सब मानते हैं। इसी के साथ जीवन के प्रारम्भयुग से लेकर आज तक कोई गुत्थी सुलझा नहीं पाया कि मरने के बाद ज़िन्दगी कैसी होगी। शरीर के मिट्टी में मिलने के पश्चात् आत्मा (रूह) का क्या अस्तित्व है। उसका सम्पर्क इस संसार से कहां तक रहता है, रहता भी है या नहीं रहता।

लगभग सभी धर्मों में मरणोपरान्त जीवन को सत्य माना गया है। सभी धर्म इस में विश्वास रखते हैं कि इस जीवन के अपने कर्मों का फल हम मरणोपरान्त जीवन में भोगेंगे। इस्लाम धर्म की बुन्यादी तालीम यही है कि इंसानों को चाहिए कि अपनी मौत और आख़िरत को ध्यान में रखकर इस दुन्या में अमल करें क्योंकि उनके कर्मों का हिसाब मरने के बाद क़ियामत में लिया जाएगा और उसी के अनुसार उनको जन्नत या दोज़ख में दाखिल किया जाएगा।

इन सच्चाइयों में आस्था रखते हुए भी हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि मौत क्या है? आत्मा क्या है मरते समय मनुष्य पर क्या गुज़रती है और मरने के बाद क्या होता है। इंसान मां के पेट से लेकर इस संसार में आने और अपने सांसारिक जीवन पर ग़ौर करता है तो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पैदाइश के पहले उसकी दुन्या मां के पेट में तंग दायरे तक सीमित थी। जब वह पैदा हुआ तो एक विशाल संसार अपनी तमाम सुन्दरता और विचित्रता के साथ उसके सामने था, जिसमें सुखदुख, मनोरंजन यातनाओं से गुजरता हुआ जीवन व्यतीत करता है तो मरने के बाद अगला संसार इससे भी विशाल और अदभुत होगा।

वैज्ञानिकों और डाक्टरों और अन्य अनुसंधान (**Research**) करने वाले भी मौत पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने हजारों ऐसे लोगों के हालात लिखे हैं जो मौत के क़रीब पहुंच कर जीवित बच गये। डॉ० रेमेन्ड मूडी की पुस्तक लाइफ़ आफ़टर डेथ (**Life After Death**) जब १९५७ में प्रकाशित हुई तो इस की बहुत प्रसंशा हुई। बुद्धिजीवी समाज ने इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखाई। इस पुस्तक में शरीर के बिना आत्मा के इहसास का बयान है। डॉ० मूडी ने इस पुस्तक में लिखा है कि मरने वालों ने एक बहुत ही उज्जवल प्रकाश का बयान विभिन्न तरीकों से किया है परन्तु इस रोशनी की गर्मी, ताप और मोहकता को शब्दों में बयान करने से अपनी असमर्थता जताई है। हां यह ज़रूर बताया है कि उस प्रकाश का अस्तित्व बड़ी आसानी से उनपर छा गया।

दूसरे वैज्ञानिक थामस एडीसन का देहांत १९३१ में हुआ। जब वह मरने लगा उसकी पत्नी उसके पास खड़ी थी। ऐसा मालूम होता था कि वह सोया हुआ है। उसका हृदय तेज़ धड़क रहा था। अचानक एडीसन किसी सहारे के बिना खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें खोलीं। कुछ सेकेंड तक सामने की दीवार को घूरता रहा। फिर अपनी पत्नी की ओर मुड़ कर कहा "वहां कितना सुन्दर दृश्य है।" उसने क्या देखा यह वह नहीं बता सका और कोई भी आज तक न बता सका।

एक और घटना हेनरी बीचर की मृत्यु की है। वह एक धार्मिक प्रवक्ता था। लोगों को खुदा के अज़ाब से डराया करता था और बड़ी करूणा के स्वर में मरणोपरान्त जीवन का वर्णन किया करता था। जब वह स्वयं मरने लगा तो उसने डाक्टर को बुलाया और मन्द स्वर से कहने लगा "डाक्टर दूसरी दुन्या का भेद तो अब खुला है।" उसने यह नहीं बताया कि क्या देखा परन्तु उस के शब्दों से रहस्य और बढ़ गया।

मनोविज्ञान विशेषज्ञों ने भी मरणोपरांत जीवन के बारे में तजुरबात किये। उन्होंने भी यह पता लगाने की कोशिश की कि मरने के क्षण मनुष्य जिन दृश्यों का नज़ारा करता है उनकी अस्लीयत क्या है। ज़ाहिरी मौत के बाद जिन लोगों को चिकित्सीय सहायता से ज़िन्दा कर लिया गया, डाक्टरों ने उनके बयानों को विस्तार से लिखा। इनके बयानात में अदभुत समानता पाई जाती है। इन परीक्षणों के पश्चात डाक्टरों, वैज्ञानिकों और मनो वैज्ञानिकों को यह विश्वास हो गया है कि जीवन का अंत क़ब्र या चिता पर ही नहीं हो जाता बल्कि इसके बाद भी जीवन का क्रम चलता रहता है।

डाक्टर कार्ल्स ने इस प्रकार के एक हज़ार लोगों की छानबीन की है जिन पर मौत की अवस्था छा गई थी और डाक्टरों ने उनकी मेडीकल डेथ (Medical Death) की पुष्टि कर दी थी, परनतु बाद में उनके मृत्यु शरीर में जान दौड़ाई गई और पूछा गया कि "मौत की अवस्था छा जाने पर उन्होंने क्या देखा? और क्या अनुभव किया?" सब ने एक साही विर्तात बयान किया कि मौत के बाद उन्होंने मनमोहक, प्रफुल्ल मुक्ति की दशा का अनुभव किया, उस दशा में उन्हों ने अपने मरे हुए सम्बन्धियों से मुलाक़ात की। उन्होंने (सम्बन्धियों) ने कहा "हम तुम्हारे लिए स्वभाग्य और शुभसमाचार के सन्देश लाए हैं।" कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि मृत्यु के समय (प्रणान्त) मरने वाला जो विभिन्न लोगों को देखता है वह वास्तव में उनके धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक परम्पराओं की छाया होती है। इस क्रम में भारत और अमरीका के उन लोगों से साक्षात्कार (Interview) में जो मर कर जी उठे थे और विभिन्न आस्थाओं और सामाजिक माहौल से सम्बन्धि रखते थे, मरणान्त उन सबने एक ही कैफ़ियत महसूस की। इन सब ने एक तेज़ चमकदार रोशनी देखी और स्वयं को प्रसन्न और हर्षित पाया, उन्होंने अपने मरे हुए सम्बन्धियों से मुलाक़ात की।

मौलाना युसुफ़ लुधियानवी अपने एक लेख में लिखते हैं कि मरने के बाद इंसान एक दूसरी दुन्या में पहुंच जाता है उसे आलमे बर्ज़ख़ (मरने/क़ियामत तक रूहों के ठहरने का स्थान) कहते हैं। वहां के हालात को समझ सकना सम्भव नहीं। हदीसे मुबारक में है कि "एक मय्यत पहचानती है कि कौन उसको नहला रहा है, कौन उसे उठाता है, कौन उसे कफ़न पहनाता है और कौन उसे क़ब्र में उतारता है।"

दफ़नाने के बाद रूह अपना समय आसमान पर बिताती है या क़ब्र में या दोनों जगह ? इसके बारे में भी विभिन्न रिवायात हैं। परन्तु तमाम बातों का निष्कर्ष यह निकला कि नेक रूहों का असल ठिकाना 'इल्लीन' है। बुरी अत्मामओं का असल ठिकाना सिज्जीन है और हर रूह का एक विशेष सम्बन्ध उसके शरीर से कर दिया जाता है चाहे शरीर क़ब्र में दफन हो या नदी में डूबा हो या जला दिया गया हो। इस विशेष सम्बन्ध का नाम आलमे बर्ज़ख़ अर्थात परदे की दुन्या है।

बहर हाल अ़क़ली तौर पर मरने के बाद के जीवन का रहस्य न आज तक खुल पाया है न खुल पाएगा परन्तु अल्लाह के अन्तिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्ल० अ़लैहि व सल्लम की शिक्षानुसार यह बात निश्चित है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब क़ियामत के दिन देना पड़ेगा और उसी के अनुसार हमारी रूह (आत्मा) जन्नत या दोज़ख में दाख़िल की जाएगी।

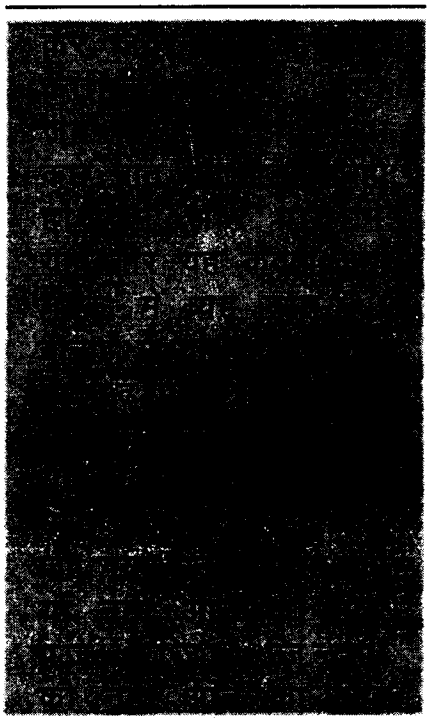

(पृष्ठ १२ का शेष)

(1) मय्यित ने वसीयत की हो कि मेरे माल में से मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना और वसीयत के अनुसार उसके माल में से कुर्बानी करे तो जाइज़ है मगर कुर्बानी का तमाम गोश्त आदि हकदारों को (जो जकात के हकदार है) सकदः कर देना वाजिब है। (शामी भाग 5 पेज नं. 293)

(2) मय्यित ने वसीयत की हो या न की हो उनके रिश्ते दार अपने पैसा से नफ़्ल कुर्बानी कर दें तो दुरुस्त है और उसका गोश्त अमीर व गरीब सब खा सकते हैं। (शामी भाग 5 193)

(3) अपने माल से और नाम से नफ़्ल कुर्बानी करके उसका सवाब एक या एक से ज़ियादह मय्यित को बख्श दे तो वह भी दुरुस्त है। और उसका गोश्त भी अमीर व ग़रीब सब खा सकते हैं।

प्रश्न : मैं अमीर हूँ मुझ पर कुर्बानी वाजिब है और मेरी छोटी छोटी औलादें है तो उनकी तरफ़ से मुझ पर कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं ?

उत्तर : औलादों की ओर से कुर्बानी करना वाजिब नहीं मुस्तहब है।

प्रश्न : अपनी बीवी की ओर से कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं ?

उत्तर : बीवी की ओर से कुर्बानी करना वाजिब नहीं।

प्रश्न : जिसके पास दो मकान हों एक में खुद रहता हो और दूसरा किराए पर दिया हो तो कुर्बानी के सम्बन्ध से मालदारी में उस घर की क़ीमत का एतिबार किया जाएगा या नहीं ?

उत्तर : दूसरा मकान किराए परदे या न दे कुर्बानी व सदक़–ए–फित्र के विषय में निसाब पूरा होने पर उसकी क़ीमत का एतिबार है क्योंकि यह उसकी ज़रूरत से ज़ियादा है।

(फतावा रहीमिया भाग एक)

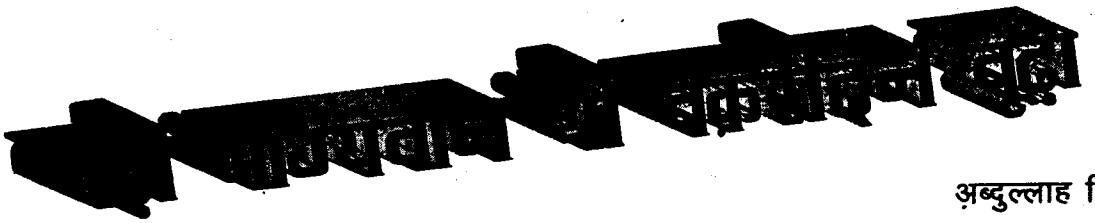

गाड़ीवान और बक़रीदन बूढ़ा

अ़ब्दुल्लाह सिद्दीक़ी

बहुत दिनों की बात है जब हमारे देश में न रेल गाड़ियां थीं न मोटर गाड़ियां फिर भी लोग ह़ज को जाते थे। पैसे वाले लोग अपने इन्तिज़ाम से कराची पहुंचते और वहां से कम्पनी के जहाज़ से जद्दा रवाना होते। आ़म तौर से बीस तीस बैल गाड़ियों के क़ाफिले (यात्रीदील) तैयार होते और कराची के लिए एक साथ प्रस्थान करते।

ऐसा ही एक क़ाफिला मध्य उत्तरी भारत से कराची को रवाना हुआ। बेहतरीन बहेलियां, उच्चतम बैलों की जोड़ियां, हृष्ट पुष्ट स्वस्थ गाड़ीवान, हर गाड़ी पर बल्लम भाले के साथ एक जवान, हर गाड़ी पर चार से छः हाजी और उन का सामान, बस क़ाफ़िले की छवि देखने ही से सम्बन्ध रखती थी। अफ़गानों का शासन काल था। बादशाह की ओर से भी हाजियों की सुरक्षा का प्रबन्ध था। क़ाफ़िला मंज़िलें करता कई दिनों की यात्रा के पश्चात पश्चिमी भारत के एक वन से गुज़र रहा था। वन में एक मुसलमान बुढ़िया अपनी बकरियां चरा रही थी। आयु के अनुसार वह बूढ़ी थीं परन्तु स्वस्थ के अनुसार हट्टी कट्टी थीं। वह अपने ग्राम में बक़रीदन बूढ़ा कही जाती थीं।

तीस बहेलियों के क़ाफिले को देख कर बक़रीदन बूढ़ा चकित रह गईं। उन्होंने कभी गाड़ियों की इतनी लम्बी लाइन नहीं देखी थी। पूछ बैठीं, अरे तुम लोग कहां जा रहे हो ? एक बहेली से उत्तर मिला : "हम लोग अल्लाह के घर जा रहे हैं। इस वाक्य ने बूढ़ा के शरीर में झुरझुरी पैदा कर दी। दूसरी बहेली वालों से प्रश्न किया, क्या तुम लोग अल्लाह के घर जा रहे हो? उत्तर मिला हां हम लोग अल्लाह के घर जा रहे हैं। इस वाक्य ने बूढ़ा को बे खुद (मस्त) कर दिया। कहने लगीं : हम को भी अल्लाह के घर लेते चलो। किसी ने समझाने की कोशिश की। अल्लाह के घर जाने के लिए बड़ी तैयारी करना पड़ती है। मैं बिल्कुल तैयार हूं बूढ़ा ने जवाब दिया। तैयारी का मतलब पैसों का इन्तिज़ाम करना होता है, किसी ने समझाया। हमारे पास एक रुपया है, बूढ़ा ने कहा। एक रूपये में क्या होगा? फिर तुम पर ह़ज फ़र्ज़ नहीं है, तुम परेशान न हो। मुझे गाड़ी पर बिठाल लो मैं भी अल्लाह का घर देखूंगी, बूढ़ा की रट हो गई। लेकिन हर गाड़ी वाले ने बूढ़ा को समझाने की कोशिश की किसी ने अपनी गाड़ी पर जगह न दी।

बूढ़ा पर अब अल्लाह का घर सवार हो गया न बकरियां याद रहीं न बाल बच्चे, वह क़ाफ़िले के साथ सरमस्त पैदल चलती रहीं। अब क़ाफिले वालों को उन पर तरस आया, एक ह़ज्जिन ने कहा आओ मेरे साथ बैठ जाओ। कहते हैं अब बूढ़ा ने सवार होने से इन्कार कर दिया लेकिन किसी ह़ज्जिन ने मिन्नत समाजत कर के सावर होने पर राज़ी कर लिया, अल्लाह अल्लाह कर के क़ाफ़िला कराची पहुंचा। सब को फ़िक्र थी कि वहां बूढ़ा का क्या होगा ?

कम्पनी वाले वहां ह़ाजियों से किराया लेकर जहाज़ पर बिठाते थे बूढ़ा के पास केवल एक रूपया । अल्लाह की मर्ज़ी उस साल जहाज़ की सीटों भर के ह़ाजी नहीं आए। नियुक्त किराया पर ले जाने में कम्पनी को घाटा हो रहा था अतः कम्पनी ने सीटों के अनुसार पैसा जोड़कर ह़ाजियों से कहा कि हम तो इतना पैसा लेकर ही जहाज़ ले जा सकेंगे। हाजियों को तो ह़ज को जाना ही था पूरा किराया भरने पर सहमत हो गये। अब बूढ़ा क्या दस बीस ह़ाजी और होते तो उसी किराये में जा सकते थे। इस प्रकार बूढ़ा भी जहाज़ पर सवार हो गईं। जिस प्रकार हाजी लोग बैलगाड़ियों पर बूढ़ा को खिलाते पिलाते लाये थे जहाज़ पर भी खिलाते पिलाते ले गये । इतने बड़े क़ाफ़िले में एक क्या दोचार बूढ़ा मुफ़्त खा सकती थीं। अल्लाह अल्लाह करके महीनों की यात्रा के पश्चात् जहाज़ जद्दा पहुंचा । हाजियों ने मिलकर बूढ़ा को मक्का पहुंचाने का प्रबन्ध किया। अब बूढ़ा एह़राम में थीं। तल्बियः "लब्बेक् अल्लाहुम्म लब्बैक्, लब्बैक् ला शरीक लक लब्बैक्, इन्नल्ह़म्द व न्अि़मत लक वल्मुल्क्, ला शरीक लक्"। याद कर लिया था। खूब पढ़ती थीं। हाजियों ने नमाज़ भी सिखा दी थी खूब जी लगा कर पढ़तीं। ह़ाजी उन को सिखा सिखा कर ह़ज के अरकान अदा करवा रहे थे। ९ जिल्हिज्जा को सब लोग अ़रफ़ात पहुंचे। अल्लाह की करनी ह़ाजियों की भीड़ में बूढ़ा अ़रफ़ात के मैदान में भटक कर अपने ह़ाजियों से छूट गईं। साथियों ने बहुत ढूंढा परन्तु बूढ़ा न मिलीं। क़ाफ़िले की कुछ औ़रतों ने बूढ़ो के ग़म में आंसू

भी बहाए।

अफ़ग़ानिस्तान के एक अमीर आदमी अपनी बीवी और दो बहनों के साथ हज करने गये थे। उस वक़्त ऊंट के कजावे पर दोनों ओर दो सवारियां बैठती थीं। उनमें से अगर एक औरत होती तो दूसरी तरफ़ या तो कोई औरत होती या फिर उस औरत का कोई महरम मर्द होता। अल्लाह के भेद अल्लाह ही जानता है। उन अमीर आदमी की एक बहन का, अरफ़ात के मैदान में एहराम की हालत में अस्र के वक़्त दुआ मांगते हुए, दिल का चलना रूक गया और उनका देहान्त हो गया। बड़ी भाग्यवान थीं। हज तो हो ही गया था किस हाल में शरीर त्यागन हुआ। वहां के अनुसार आनन फ़ानन उनके कफ़न दफ़न का प्रबन्ध हुआ। भाई बहन और भौजाई तीनों बहुत दुखी थे। अब उनको चिन्ता यह थी कि उनके ऊंट पर उनकी बहन के साथ दूसरा कौन बैठेगा ? सौभाग्य से भटकी बूढ़ा आंसू बहाती उधर निकल पड़ीं। अमीर आदमी ने किसी के द्वारा जो बूढ़ा की भाषा जानता था हाल मालूम करवाया। पूरा हाल मालूम कर के तीनों लोग बड़े प्रसन्न हुए और बूढ़ा को बहन के साथ हो लेने पर राज़ी कर लिया। बहन भाई ने सहमत होकर मृतक बहन के सारे सामन का बूढ़ा को मालिक बना दिया जिसमें सोने की चूड़ियां भी थीं। बूढ़ा ने मृतक हज्जिन की बहन के साथ हज के शेष अरकान पूरे किये । मदीना मुनव्वरा भी गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्रे मुबारक की ज़ियारत की। अब अपने अपने देश वापसी होने लगी। अमीर आदमी ने बूढ़ा के लिए खजूर व ज़मज़म के साथ बहुत से उपहार भी उपलब्ध किये और हिन्दोस्तान आने वाले जहाज़ पर बिठाने लाए। तो यहां बूढ़ा के सब साथी मिल गये। सब ने बूढ़ा को गले लगाया और खुशी खुशी साथ ही में वापसी हुई। परन्तु अब बूढ़ा ने अपना किराया अदा किया था।

कराची से फिर बहेलियों का क़ाफिला चला। अब पहले जैसी सुरक्षा की आवश्यकता न थी कि अब नक़द पैसे न थे। जब क़ाफिला उस जंगल से गुज़रा जहां बूढ़ा का साथ हुआ था तो क़ाफ़िला रूक गया। बूढ़ा उतरीं कुछ औरतें और कुछ मर्द बूढ़ा को भेजने बूढ़ा के गांव तक गये। गांव वाले सफेद वस्त्र में कुछ लोगों को गांव की ओर आते देख कर दौड़ पड़े। अरे यह क्या! इसमें तो बक़रीदन बूढ़ा भी हैं। बक़रीदन बढ़ा के नाम से एक शोर मच गया। पूरा गांव बक़रीदन बूढ़ा को देखने उमड़ पड़ा। बूढ़ा के बेटे पोते भी आ गये और लिपट लिपट कर रोने लगे। छोटा गांव था फिर भी ५० लोग इकट्ठा हो गये। सब बूढ़ा के दरवाज़े नीम के नीचे खड़े थे। ग़रीब बूढ़ा के घर में दरवाज़े पर डालने के लाइक़ दो पलंग भी तो न थे। हाजियों ने खड़े–खड़े बूढ़ा के जाते समय का हाल पूछा।

बताया गया कि शाम को सब बकरियां घर आ गईं परन्तु बूढ़ा न आईं। देर रात गये तक बूढ़ा ढूंढी जाती रहीं पर न मिलीं। दूसरे दिन पूरा जंगल छान मारा गया परन्तु न मिलीं। किसी ने कहा भेड़िये ने खा लिया। दूसरा बोला भेड़िया खाता तो कपड़े और हड्डियां अवश्य मिलतीं, अजगर निगल गया होगा। घर वाले रोके बैठ गये और उनकी रूह को फ़ातिहा पहुंचाई ।

हाजी लोग अपने क़ाफिले आये और क़ाफ़िला आगे बढ़ा। उधर बक़रीदन बूढ़ा ने गांव वालों को खजूरें खिलाईं और ज़मज़म पिलाया और पोती पोतों को उपहारों से प्रसन्न किया। बड़ी भाग्यवान थीं बक़रीदन बूढ़ा।

0522-264646
Bombay Jewellers
The Complete Gold & Silver Shop
84, Victoria Street, Akbari Gate, Lucknow.

0522-508982
Mohd. Miyan
Jwellers
एक भरोसेमन्द सोने चान्दी के जेवरात की दुकान

0522-508982
अनस
मैरेज हाल
बारात, वलीमा व किसी भी खुशी के मौके के लिए कम खर्च में हमसे सम्पर्क करें ।
कपूर मार्केट (मलिक मार्किट)
विक्टोरिया स्ट्रीट, लखनऊ

इन्सान की अहमियत खुदा की नज़र में

हैदर अ़ली नदवी

जैसा कि हम आप जानते हैं कि ूरी दुन्या में जो बहारें, रौनकें जो खुशियां मसर्रतें हैं वह सब इन्सान के लिए हैं ौर इन्सान ही की वजह से हैं। खुदा न ख़ास्ता अगर इस चमन में इन्सान ही न है, या इन्सानियत ही ख़त्म हो जाए, यह न्सान खूंख़ार दरिन्दा बनकर शैतानियत र उतर आए तो सारी बहारें, रौनकें ख़त्म ो जाएंगी और समाज का चैन व सुकून रहम बरहम होकर जंगल राज क़ायम हो ाएगा। जहां पर हंसते मुस्कराते चेहरों ी जगह चीख़ों पुकार की भयानक सदाएं ुनाई देंगी, समाज मातम कदह बन ाएगा। एक दूसरे की मदद के बजाए न्दा जलाने–मारने की स्कीमें तैयार की ाएंगी फिर इन्सान को इन्सान से डर गेगा– जैसे जंगली दरिन्दों से बचा जाता वैसे ही इन्सानों से डर कर भागा जाएगा।

जब अल्लाह पाक ने फ़िरिश्तों ो ख़बर (सूचना) दी कि मैं इस रूये मीन (पृथ्वी) पर अपना ख़लीफ़ा त्तराधिकारी) बनाने जा रहा हूं तो फ़रिश्तों ने अपना अन्देशा ज़ाहिर करते ए कहा था (अतजअ़लु फ़ीहा मय्युफ़्सिद ोहा व यस्फ़िकुद्दिमा अ) क्या आप ऐसी ख़्लूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर फसाद लाएगी और खूंरेज़ी करेगी। फ़िरिश्तों इस अन्देशे में बहुत कुछ इशारा था *या फिरिश्ते* कह रहे थे। ऐ परवरदिगारे ालम (हे परमेश्वर) यह इन्सान आपका लीफ़ा बनने के लाइक़ नहीं है (उन्होंने ान्सानों के फ़साद पर क़ियास करके ह बात कही थी।)

अल्लाह ने फ़िरिश्तों को जवाब दिया था (इन्नी अअ़लमु माला तअ़लमून) (मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते हो।) इस जवाब में बहुत से राज़ (भेद) छुपे हैं। इसमें मज़लूमों (पीड़ितों) की ढ़ारस और इन्साफ़ का वादा भी है, इस जवाब में ज़ालिमों को उनके जुल्म का बदला भी छुपा है। गोया ख़ालिके दोजहां (संसार का सृजन हार) कह रहा है। फिरिश्तो तुम्हारा अंदेशा तुम्हारे इल्म (ज्ञान) तक है लेकिन इसके आगे मैं क्या करने वाला हूं वह मैं जानता हूं तुम्हें इसका इल्म नहीं है ऐ फ़िरिश्तो ! मैंने दुन्या को दारूल अमल (कर्म स्थल) बनाया है यहां के आमाल (कर्मों) का हक़ीक़ी (वास्तविक) बदला कहीं और देंगे। यहां मैंने अच्छा–बुरा करने का मौक़ा दिया है। आदमी जैसे चाहे काम कर ले। ऐ फ़िरिश्तो मेरे इन्हीं बन्दों में ऐसे भी होंगे जो खुद भूखे रह कर और दूसरों का पेट भर कर फख़ (गर्व) करेंगे ख़ुद तकलीफ उठाकर दूसरों को आराम देंगे बे सहारों का सहारा बनेंगे। यतीमों की देख भाल करेंगे। मज़लूमों के आंसू पोछेंगे। किसी को उजड़ता देखकर तड़प उठेंगे। बिना किसी भेद भाव के महज़ इन्सानियत (मानवता मात्र) की बुन्याद पर एक दूसरे के काम आयेंगे। ऐ फिरिश्तो ! इन्सान मेरी सबसे प्यारी मख़्लूक (रचना) है मैं इन्सानों पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा फिरिश्तों मैंने दुन्या की ज़िन्दगी बहुत थोड़े वक्त के लिए और आरज़ी (टम्प्रेरी) बनायी है। मेरे यहां ज़र्रे–ज़र्रे का इन्साफ़ है। यह ज़ालिम, दरिन्दे, बेरहम मस्जिदों मन्दिरों पर नाहक हमला करके खून की होली खेलने वाले, मासूम बच्चों, बेबस औरतों को गोलियों से भूनने वाले, इबादत गाहों को मिस्मार करने वाले, हमल (गर्भ) से बच्चों को निकाल कर जलाने वाले, बस्तियों को उजाड़ कर फ़त्ह का जुलूस निकालने वाले, मासूम बच्चों को जला–जला कर मारने वाले, फसाद की भट्ठी में समाज को झोंक कर पुलिस की हिफ़ाज़त में दनदनाने वाले मोत की चक्की में पिस कर मेरे ही पास आएंगे। इन्होंने अमृत की बूटी नहीं सूंघ रखी है। (इन्न इलैना इयाबहुम सुम्म इन्न अ़लैना हिसाबहुम) फ़िरिश्तो इनको हमारे पास ही आना है। मैं इनके एक–एक जुल्म का बदला चुका लूंगा। इनके जुल्म व सितम से जितने आंसू बहे हैं, मज़लूमों पीड़ितों के आंसुओं के एक–एक क़तरे का हिसाब इन दरिन्दों को देना पड़ेगा। मैं बेबस नहीं हूं। इनके एक–एक का गुरूर–व घमण्ड नोट किया जा रहा है। नन्हे मुन्नों की बुझी मुस्कान का एक–एक फोटो, इज्ज़तें लूटी गयीं औरतों, जुल्मों सितम का पहाड़ तोड़े गए लोगों की चीख व पुकार का एक एक मुक़दमा मेरी अ़दालत में क़ायम हो चुका है। इन ज़ालिमों की तलवारों, गोलियों, बमों, राकिटों, ग्रेनेडों से गिरे लहू का एक–एक कतरा मेरी अदालत में गवाही के लिए बेताब है। हमने यहां अच्छा–बुरा सब करने का मौक़ा दे रखा है। आज यह महलों में रह लें शासन के दम पर दन दना लें पुलिस की सुरक्षामें जुल्म के पहाड़ तोड़ ले जिसे चाहें उजाड़ ले अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए चाहे जिस दीन (धर्म) की चादर ओढ़ लें कल यह चादर उतारी जाएगी। आज ये जिहाद का नाम देलें

(शेष पृष्ठ २६ पर)

जिन्नात का परिचय

अबू मर्गूब

जिन्नों की किस्में उनके कुफ़्र और ईमान के अनुसार

जिस प्रकार मानव जाति के पुर्खा दादा आदम अ़लैहिस्सलाम हैं। उसी प्रकार जिन्नों का भी एक मूल जिन्न (मूरिसे अअ़ला) है। पवित्र कुर्आन के कुछ टीका कारों ने कहा है कि उनका मूरिसे अअ़ला इब्लीस हैं जिस का वास्तविक नाम अज़ाज़ील था। परन्तु सूर–ए–कहफ़ की आयत ५० में इब्लीस के विषय में साफ़ आ चुका है कि वह जिन्नों में से था (कान मिनल जिन्न) मतलब यह निकला कि जिन्न क़ौम पहले से थी इब्लीस उनही में से था। अलबत्ता शैतान का शब्द सबसे पहले इब्लीस ही के लिए बोला गया। जब उसने दादा आदम और दादी हव्वा अ़लैहिमस्सलाम को बहकाया तो इस बात को अल्लाह तआ़ला ने इस प्रकार बयान किया : "फ़अज़ल्लहुमश्शैतानु (पस शैतान ने उन दोनों को फिस्ला दिया।) अतः यह सत्य है कि शैतानों का मुरिसे अअ़ला इब्लीस है। परन्तु समस्त जिन्नों का मुरिसे अअ़ला (प्रथम जिन्न) कोई और है। सूर–ए–हिज्र की आयत २७ "वलजान्न ख़लक्नाहु मिन् क़ब्लु मिन् नारिस्समूम" के अर्थ में अ़ल्लामा अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी ने तफ़सीर जादुल मसीर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास का क़ौल नक़्ल किया है कि "अल जान्न" जिन्नों का मूरिसे अअ़ला है। वास्तविकता का ज्ञान अल्लाह ही को है।

यह तो ज्ञात हुआ कि आदम अ़लैहिस्सलाम से पहले इस धरती पर जिन्नात रहते थे परन्तु उनके विषय में विस्तृत जानकारी न तो पवित्र कुर्आन में बताई गई ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शुद्ध हदीसों में नज़र आती है। कुछ विद्वानों के लेखों में जो विस्तार मिलता है उन पर इस्राईलियात (यहूदी विद्वानों की अटकल की बातों) की छाप है। अगर वह किताब व सुन्नत के विरुद्ध न हों तब भी उनको न तो झुठलाया जा सकता है न ही उनको सत्य माना जा जा सकता है । परन्तु आदम अ़लैहिस्सलाम के धरती पर आने से पहले स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि इस धरती पर विश्वासानुसार तीन प्रकार के जिन्न रहते थे।

विश्वास (अ़कीदे) के अनुसार जिन्नों की किस्में

जिस प्रकार मानव जाति (इन्सान) में विभिन्न विश्वास वाले हैं कोई आस्तिक (इलाह परस्त) कोई नास्तिक (मुनिकरे इलाह) तो कोई एकेश्वरवादी (मुवह्हिद) है तो कोई अनेकेश्वरवादी तअ़द्दुद इलाह का काइल अर्थात मुश्रिक है। इसी प्रकार जिनों में भी भांति भांति के जिन्न हैं जिनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं।

१. इब्लीस और उनकी सन्तान अर्थात शायतीन। और यह सब के सब काफ़िर हैं। सूर–ए–कहफ़ आयत नं० ५० में यू बयान हुआ है।

"अफ़तत्तख़ीजूनहु व ज़र्रीयतहू औलियाअ मिन दूनी वहुम् लकुम् अ़दुव्वुन" किया फिर भी तुम उसको (इब्लीस को) और उसकी जर्रीयत अर्थात उसकी सन्तान तथा उसके अनुयायियों को मुझे छोड़ कर औलिया बनाते हो जब कि वह तुम्हारे दुशमन हैं।

इस आयत में शब्द "ज़र्रीयत" का अर्थ अनुयायी भी होता है और सन्तान भी।

२. हर मनुष्य (इन्सान) का "क़रीन" (हम्ज़ाद) और निश्चय है कि समस्त हमज़ाद इब्लीस ही की सन्तान हैं औ यह सब काफ़िर हैं। क़रीन (हम्ज़ाद) प आगे विस्तार से बात आयेगी।

३. इब्लीस और उसकी ज़र्रीयत के अतिरिक अन्य जिन्न। इनमें ईमानवाले जिन्न भी और काफ़िर (अल्लाह का इन्कार कर वाले) जिन्न भी सूर–ए–जिन्न में हैं: " अन्ना मिन्नल् मुस्लिमून व मिन्नल् क़ासितू फ़मन् अस्लम फ़उलाइक तहर्रौ रशदा०"

जिन्नों ने कहा : और हम में कु मुस्लिम हैं और कुछ सत्य से दूर अत्याचा हैं अर्थात काफ़िर हैं। और जिन्होंने (रसू की) बीत मान ली अर्थात इस्लाम ले आ उन्होंने भलाई का मार्ग खोज लिया।

यह बात तो हमारे हुज़ सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उम्म या दावत वाली उम्मत के जिन्नों की हु लेकिन आप के नुबुव्वत काल से पह अपने समय के पैगम्बरों (सन्देष्टाओं) प अच्छे जिन्न ईमान लाते थे परन्तु जो हु तथा उद्दण्ड थे वह पैग़म्बरों की बात मान कर कुफ़्र में फंसे रहते। कुछ शि कर के मुश्रिक हो जाते।

(पृष्ठ २८ का शेष)

चाहे उस पर बेजा फख्र कर लें। चा जुल्मो सितम से हुकूमतें हासिल कर आज चाहे जितना दहाड़ लें कल ज ज़िन्दगी का पहिया (जीवन–चक्र) घूमे और मौत के पश्चात् पीड़ितों पर जुल्म क खुदा की सुप्रीम कोर्ट में हिसाब देना पड़े तब पता चलेगा। सेना, पुलिस, साधू सन्त नागरिक सब उस अ़दालत में जाएंगे।

प्यारे हम वतनों और समर इन्सानो! प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि कुकर्मों से बचकर अपने अन्दर प्रेम क भावना पैदा करे आपसी विवादों क इन्सानियत के अन्दर रहकर हल करे।

पवित्र कुरआन ईश्वरीय ग्रन्थ है

मु० सरवर फारूकी नदवी

अल्लाह ने इस संसार की उत्पत्ति के बाद मनुष्यों के जीवनयापन की रहनुमाई के लिए अपनी ओर से मनुष्यों ही में से संदेष्टा नियुक्त करता रहा और उनके माध्यम से अपना सन्देश अवतरित (नाज़िल) करता रहा, उसकी अन्तिम कड़ी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं, जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने अन्तिम महाईशदूत के रूप में पृथ्वी के नाभि पर अर्थात मक्का में भेजा और जब उनकी आयु ४० वर्ष की हुई तो अल्लाह तआ़ला ने उन्हें पवित्र कुरआन के रूप में अपना पूर्ण रूपी आदेश २३ वर्ष में मुकम्मल तौर से प्रदान किया।

यह एक वास्तविकता है कि अल्लाह तआ़ला ने आपको दिखावटी ज्ञान, अर्थात पढ़ने लिखने वाला ज्ञान नहीं दिया था ताकि पूरी दुनिया के तमाम इन्सानों के लिए चैलेन्ज हो,और आपकी नुबूवत (ईशदूतत्व) के स्वीकार करने में कोई चीज़ बाधक न बने और यह पूर्ण ग्रन्थ क़ियामत तक के आने वाले, तमाम इन्सानों के लिए मात्र रहनुमाई का माध्यम बने।

यह एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं, इस लिए जो व्यक्ति सीधे मार्ग पर चलना चाहता हो, उसके लिए पूरा कुर्आन रहनुमाई के रूप में मिलेगा जिसे अल्लाह तआ़ला ने कई स्थान पर इसे हिदायत देने वाली किताब फ़रमाया है, यह किताब हक़ की ओर रहनुमाई करती है परन्तु शर्त यह है कि इन्सान हिदायत का इच्छुक हो।

पवित्र कुर्आन राहे हक़ (सत्यमार्ग) के लिए तमाम देवमालाई घटाटोप अन्धकार से निकालने का एक मात्र माध्यम है। जो इन्सान को अन्धविश्वास और वहम परस्ती और अपनी गुलामी जैसे भ्रष्ट मार्गों से निकाल कर ईमान व यक़ीन (सत्य, विश्वास) और एक मात्र अल्लाह की उपासना के सीधे और मज़बूत रास्ते पर लाता है। इस ग्रन्थ की हर हिदायत यकीन पर आधारित है। और हर हुक्म प्रमाणयुक्त है जो इन्सानों को ठोस अ़मल की राह दिखाता है और उसकी रहनुमाई पर अ़मल करने से इन्सान जन्नत से क़रीब हो जाता है।

अनुवाद – "इस किताब में किसी प्रकार के सन्देह की गुन्जाईश नहीं।"

(पवित्र कुर्आन २:२)

पवित्र कुर्आन के ईशवरीय ग्रन्थ होने मे किसी को सन्देह नहीं हो सकता, (यदि कुछ ज्ञान रखता है) जिसे पवित्र कुर्आन ने स्वयं इस की पुष्टि करते हुए कई स्थान पर खुला चैलेंज दिया है, कि यदि तुम्हारा ख़्याल यह हो कि यह कुर्आन खुदा की ओर से अवतरित किया हुआ नहीं है बल्कि किसी बन्दे (मुहम्मद) का स्वयं बनाया हुआ कलाम है, "तो तुम इसकी एक छोटी सी सूरत के समान बना कर लाओ, तो मान लें, कि तुम अपने ख़्याल में सही और सच्चे हो लेकिन ऐसा करना तुम्हारे बस में नहीं।"

सूरः बक़रा आयत नं० २३–२४ व सूरः यूनुस आयत नं० ३७–३८ की आयतों में कुर्आन के मुख़ालिफ़ीन को न केवल चैलेंज दिया गया है बल्कि भरपूर यक़ीन के साथ पहले ही यह एलान कर दिया गया कि मुखालिफीन (विरोधी) अपनी पूरी क्षमता (सलाहियत) का प्रयोग करते हुए, तमाम अपने मददगारों को भी साथ ले लें, बल्कि पूरी इन्सानी और जिन्न बिरादरी एक साथ मिलकर भी कोशिश करले तब भी वह नाकाम ही रहेंगे। पवित्र कुर्आन की तरह, एक सूरः भी किसी भी तरह बना कर क़ियामत तक नहीं ला सकते।

पवित्र कुर्आन संशोधन से पाक है

इस्लाम धर्म और उसके पवित्र ग्रन्थ कुर्आन पर हमेशा अल्लाह तआ़ला की निगरानी (संरक्षता) का हाथ रहा है। यही कारण है कि यह (दुनिया में प्रचलित विभिन्न रूप से कहलाए जाने वाले धर्मों के मुक़ाबिले में) ज़ियादा फैला है। और जो मक़बूलियत इस को हुई वह किसी और को नहीं हुई।

पिछले तमाम ग्रन्थों में से कोई ग्रन्थ ऐसा नहीं है जो संशोधन से पाक हो, हर ग्रन्थ में उसके अनुयायियों ने ही उसे बढ़ा घटा कर चेन्ज कर दिया यहां तक कि अब कोई भी ग्रन्थ पूरे विश्व में अपने असली रूप में बाक़ी नहीं ।

परन्तु कुर्आन एक ऐसा ग्रन्थ है जो चौदह सौ साल गुज़रने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित और पाक है, जैसा कि इतिहास इसका साक्षी है और आइन्दा भी कोई दुशमन और न ही कोई अनुयायी इसमें अपनी राय को शामिल कर सकता है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की तबदीली न पहले कभी हुई, और न ही आइन्दा कभी हो सकती है। इसलिए कि इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी स्वयं अल्लाह ने ली है। तो फिर किसी की क्या मजाल कि इसमें किसी तरह की कमी बेशी और तहरीफ़ (संशोधन) कर सके। जिसे अल्लाह

तआ़ला ने सूरः हिज्र आयत नं. ६ और सूरः हामीम सज्दः आयत नं. ४२ में विस्तार पूर्वक ज़िक्र किया है।

पवित्र कुर्आन की विशेषता, उसकी श्रेष्ठता, उसका आदर व सम्मान केवल अल्लाह ने इन शब्दों से होता है जिसे स्वयं कुर्आन ने सूरः हश्र में उदाहरण के ज़रिये स्पष्ट किया है "कि यदि हम कुर्आन को किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो वह भी इसके डर से ज़र्रा–ज़र्रा हो जाता।"

पवित्र कुर्आन का विषय

पवित्र कुर्आन में अल्लाह तआ़ला ने इन्सानी ज़िन्दगी के हर क्षेत्र से सम्बन्धित उल्लेख प्रस्तुत किया है, जैसे अल्लाह के अस्तित्व और उस पर आस्था से सम्बन्धित उल्लेख, ताकि मानव भ्रष्ट अक़ीदे से पाक हो कर एक अल्लाह पर अपनी आस्था जमा ले, अर्थात अद्वैतवाद का विश्वास, उसकी कुदरत व ज्ञान का उल्लेख पैग़म्बर की रिसालत, क़ियामत व अ़िबादत से लेकर अच्छे मामलात, अच्छे अख़लाक़, सदाचार व अच्छे आचरण के बाद हलाल व हराम के साथ अच्छे कर्मों व बुरे कर्मों का परिणाम तथा इबरतनाक क़िस्से और अच्छे कामों पर उभारने और बुरे कामों से घृणा दिलाने का मुकम्मल बयान है। जिस अल्लाह तआ़ला ने स्वयं पवित्र कुर्आन में इस प्रकार फ़रमाया है। अनुवाद –

"और हमने तुझ पर ऐसी किताब उतारी जिसमें हर चीज़ का बयान है।" (सूरः नहल आयत नं० ८६)

अधिकतर इन्सान, ताक़त, ख़ूबसूरती, माल व दौलत और ख़ुदा के दिए हुए विभिन्न गुणों से धोका खा जाते हैं। और अल्लाह की ज़ाहिरी व बातिनी नेअ़मतों को अल्लाह की ओर से उपकार व नेअ़मत समझने के बजाए अपनी काबिलियत का नतीजा समझने लगते हैं जिसके कारण उनमें गुरूर व घमण्ड, और बड़ेपन का मर्ज़ पैदा हो जाता है। जो उन्हें दीन व धर्म से हटा कर बल्कि बेज़ार करके अपने नफ़्स का गुलाम बना देता है। इसलिए अल्लाह तआला ने पवित्र कुर्आन में कई स्थान पर इन्सानों को उनकी उत्पत्ति और उनके अस्ल (मिट्टी और नुत्फ़ा) की ओर मुतवज्जेह कर के बतला दिया कि देखो यह तुम्हारी अस्ल हक़ीक़त है। जैसे–

सूरः साफ़्फ़ात आयत नं० ११, सूरः रहमान आयत नं० १४, सूरः यासीन आयत नं० ७७, और सूरःअ–ब–स आयत नं० १८–१९ में विस्तारपूर्वक मौजूद है।

दूसरी ओर इन्सान को उसके अन्त और अन्जाम के बारे में भी ख़बरदार किया गया है कि तेरी ज़िन्दगी और तमाम गुण (हुस्न, ख़ूबसूरती, उच्च कोटि का दिमाग़ और इल्म व फ़न आदि) हमेशा नहीं रहेंगे बल्कि इन सब को फ़ना हो जाना है और तेरी ज़िन्दगी मौत से बदल जाएगी। जिसका विस्तारपूर्वक उल्लेख सूरः अ़राफ़ि आयत नं० २५ व सूरः ताहा आयत नं० ५५ में मौजूद है। अल्लाह तआला ने इन्सान को उसकी उत्पत्ति और उसके अन्त के बारे में अस्ल हक़ीक़त का इल्म दे कर उसकी नसीहत व हिदायत का पूरा सामान कुर्आन के रूप में अ़ता कर दिया।

अल्लाह तआ़ला हमें कुर्आन को ईश्वरीय ग्रन्थ मानकर उस पर आस्था रखते हुए अमल की तौफ़ीक अता फरमाए।

कुर्आन की विशेषताएं

कुरआन अपने कथनानुसार अन्य समस्त ग्रन्थों की अपेक्षा कुछ विशेषतायें भी रखता है। इसकी स्पष्टोक्ति है कि : "मैं अन्तिम ग्रन्थ हूं, अब मेरे बाद किसी अन्य ग्रन्थ का अवतरण न होगा। मेरे पीछे वह्य (आकाशवाणी) का क्रम और मेरे लाने वाले (हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम) के बाद पैग़म्बरी (ईशदोत्य) का क्रम सदैव के लिए समाप्त हो गया। तथा आज तक जो ग्रन्थ संसार पर किसी विशेष जाति, वंश अथवा देश की विशिष्ट प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओं की छायां थी अर्थात् उनका सन्देश किसी एक विशेष जाति के लिए था। इसी प्रकार उनकी प्रचलन – अवधि भी सीमित थी। वे जिन जातियों अथवा देशों में उतरे थे, उनके लिए भी शाश्वत न थे– परन्तु मेरी स्थिति इन दोनों बातों में उनसे मूलतः पृथक है। मेरा सम्बौध्य अखिल विश्व है, मुझ पर किसी जाति–विशेष की विशिष्ट परिस्थितियों का रंग नहीं, मेरी शिक्षायें जातीय, राष्ट्रीय अथवा वंशीय प्रवृत्तियों तथा विशेषताओं के स्थान पर मनुष्य की सामान्य प्रकृति पर अवलम्बित है।

FIRST ATA CALL CENTRE OF UTTAR PRADESH
i way Broad Band Internet Café
विदेश बात करें
Call ISD@ 7.00 Rupees / Min.*
ANMOL, 45, GWYNNE ROAD, AMINABAD, LUCKNOW.
Ph.: 223555, 271503, 200847, 200879, 200613 Fax : 223555.

दुश्मन कब ग़ालिब आता है ?

मौलाना अ़ब्दुल करीम पारेख

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी० फ़रमाते हैं कि जिस क़ौम ने माले ग़नीमत (युद्ध में शत्रु के देश से लूटा हुआ माल) में ख़ियानत की (ग़बन किया) तो अल्लाह उनके दिलों में उनके दुश्मनों का रोब डाल देता है और जिस क़ौम में ज़िना (बलात्कार) की बुराई फैली उनमें मौत कसरत से होती है। जिस क़ौम ने नाप तौल में कमी की तो उनकी रोज़ी तंग हो जाती है और जो क़ौम नाहक़ फ़ैसला करती है उनमें मार धाड़ मच जाती है और जो क़ौम समझौता को तोड़ती है उन पर दुश्मन को ग़ालिब कर दिया जाता है। (मुअत्रा इमाम मालिक)

संस्थाओं के माल में ख़ियानतः

माले ग़नीमत और क़ौमी माल या आज के युग में दीनी मदरसों, मस्जिदों, शैक्षिक और कल्याणकारी संस्थाओं, यतीम ख़ानों, वक्फ़ की जायदाद, सराय आदि के माल में अगर ख़ियानत शुरू हुई तो अल्लाह तआला ऐसी क़ौम के दिल में दुश्मन का रोब डाल देगा। और ख़ियानत करने वाले डरपोक, निकम्मे और काहिल होकर रह जायेंगे। व्यक्तिगत माल में खुर्द बुर्द करना भी बड़ा जुर्म व अपराध है। किसी ने कोई अमानत रखी हो उसमें बद दियानती करना या किसी से क़र्ज़ लेकर वापस न करना, मौक़ा देख कर किसी का माल या जायदाद दबा लेना ख़तरनाक और जानलेवा अपराध है। हदीस के इन शब्दों में ऐसे लोगों के लिए सज़ा के चेतावनी (वईद) है और माली ख़यानत और खुर्द बुर्द से बचने की ताकीद है।

क़ौमी बर्बादी की दूसरी निशानी बलात्कार (ज़िना) को बताया गया है। ज़िना बदतरीन और घिनावना गुनाह है जिससे क़ौमी जिन्दगी में ऐसी खराबियां पैदा होती हैं कि इन्सानों की नस्ल शक के घेरे में आ जाती है। कौन किसका बात है कौन किस की औलाद है इस का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, गुनाह के इस चक्कर में जो क़ौम पड़ती है उन में बेहयायी, बेशर्मी, खुदगरज़ी (स्वार्थ), काम, क्रोध और लोभ का चलन हो जाता है और समाज, मानव समाज के बजाय जानवरों का समाज बन जाता है। और फिर इस गुनाह से उन्हें कोई नफ़रत नहीं रहती जैसा कि यूरोपीय देशों में यह बात देखने में आ रही है कि बलात्कार उनके नज़दीक कोई ऐसा गुनाह नहीं रहा जिस के रोकने के उपाय किये जायें। लज्जा और पाकदामानी की भी इनके यहां कोई कीमत नहीं रही। हदीस पाक में है कि जिस क़ौम में ज़िना और बदकारी फैली तो उन में मौत बहुत अधिक होने लगी है। यूरोपीय और पश्चिमी देशों में यह बात सच होती नज़र आ रही है। लगभग यहां की आधी से अधिक आबादी जानलेवा बीमारियों में फंसी हुई है, दुर्घटनाओं आदि से जो मौतें प्रतिदिन हो रही हैं वह अलग हैं। मुस्लिम समाज को इस गुनाह से रोकने के लिए बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। ऐसे गुनाह की तनिक भनक लगे इस बुराई को मिटाने के लिए मुसलमानों को दौड़ धूप और उपाय करना चाहिए। कुरआन की निम्नलिखित आयत को भी ध्यान में रखें–

तर्जुमः "ज़िनाकारी (बलात्कार) बदकारी के क़रीब भी मत फटकना, दर असल यह बड़ी बेशर्मी और बेहयाई का काम है कि जिस के ज़रिये बदी (बुराई) के रास्ते खुलते हैं।"

(सूरः बनी इस्राईल–३२)

इन पवित्र और पाकीज़ा तालीमात को सामने रखें और अपने समय के हालात पर एक नज़र डालें तो मालूम होगा कि हमारे दौर में ज़िना तो अब फ़ैशन का रूप ले चुका है और इसकी भरमार है, इसे रोक पाना किसी समुदाय या संगठन और सरकार के बस का नहीं रहा, कुछ एक हुकूमतें तो बलात्कार को सही ठहराने का क़ानून भी बना चुकी हैं (ज़िना के जवाज़ का कानून भी बना चुकी हैं)। ऐसी ऐसी घटनायें सुनने में आती हैं कि दीनी काम करने वालों की हिम्मत पस्त हो जाती है कि किस प्रकार लोगों को इस बुराई से रोका जाये। इस पर मशीनी दौर में गाने, बजाने, टेलीविज़न, सिनेमा और अशलील साहित्य ने भी बड़ी क़ियामत ढाई है। इस दुखद स्थिति को देखकर हम ईमान वाले पुरूषों व महिलाओं से अपील करते हैं कि वह अल्लाह का नाम लेकर उठ खड़े हों और ज़िना की तरफ ले जाने वाली छोटी छोटी बुराइयां जैसे ही शुरू हों, जैसे गाने बजाने और टी०वी० पर अशलील हरकत वाले दृश्य देखें तो उनकी तुरन्त रोक थाम करें।

नाप तौल में कमी–ज़ियादती की मज़म्मत (भर्त्सना) :

क़ौम तबाही की तीसरी निशानी नाप तौल में कमी करना बतलाया गया

है। कुर्आन व हदीस में नाप–तौल मे कमी–बेशी करने वालों की बहुत अधिक बुराई आई है। और ठीक ठीक नाप–तौल करने की बड़ी ताकीद आई है। तर्जुमः "नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है। जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा भर कर लेते हैं और जब लोगों को नापकर या वज़न करके देते हैं तो घटाकर उनका नुक्सान करते हैं। क्या उन को इसका ख़्याल न रहा कि उन्हें क़ब्रों से ज़िन्दा होकर उठना है एक ज़बरदस्त दिन में, उस दिन सारे इन्सान रब्बुल आलमीन (यानी सारे संसारों के मालिक अल्लाह) के सामने खड़े हो जायेंगे।"

(सूरः मुतफ़्फ़ेफ़ीन १–६)

दूसरी जगह फ़रमाया –

तर्जुमः " ऐ मेरी क़ौम ! नाप और तौल को इन्साफ़ की बुन्याद पर पूरा करो और लोगों की चीज़ें तौल कर देते समय उनका नुक्सान मत करो। और ज़मीन में फ़साद फैलाना बन्द कर दो। अगर ईमान क़बूल रखो तो अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ बाक़ी रहे, उसी में तुम्हारा भला होगा।

(सूरः हूद–८५,८६)

जब कोई चीज़ किसी के हाथ बेची गई तो ख़रीदने वाला उसका मालिक हो जाता है, अतएव नाप तौल करते समय कमी करना, दूसरे का माल चोरी करने के बराबर है और यह बड़े गुनाह का काम है। कुरआन मजीद में इरशाद है –

तर्जुमः "ऐ ईमान वालो ! आपस में एक दूसरे का माल नाहक़ न खा जाना। हां, आपस में राज़ी होकर व्यापार और सौदागरी की खुली इजाज़त है।"

(सूरः निसा–२६)

इन आयतों के सार को सामने रखने से पता चला कि नाप–तौल पूरा पूरा किया जाये। इसमें कमी ज़ियादती न हो कि देते समय कम दिया जाये और लेते समय ज़ियादा लिया जाए, इसके कारण देशों में फ़साद उठेगा। मालदार और गरीब एक दूसरे का क़त्ल और खून खराबः शुरू कर देंगे। व्यापार के मामलों और सौदागरी में बददियानती का चलन होगा तो समाज में आदमी एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देगा तब आबादियां फ़साद के घेरे में आकर सुख–शान्ति से वंचित हो जाएंगी। और अल्लाह भी बरसात और रोज़ी के दरवाजे ऐसे लोगों पर बन्द कर देता है।

यह भी मालूम हुआ कि व्यापार में लेन देन शरअ के अनुसार और रज़ा मन्दी सें ही होना चाहिए। इस तरह अगर हलाल की रोज़ी से जो नफ़ा (लाभ) बच रहा है वह यद्यपि थोड़ा ही हो लेकिन उसमें ख़ैर व भलाई है।

इन्साफ व न्याय के साथ फ़ैसला किया जाये :

इस हदीस पाक में चौथी बात तो बताई गई है वह यह है कि बेइन्साफ़ी, जुल्म व ज़ियादती (अत्याचार व अनाचार) से दूर रहकर न्याय व इन्साफ़ का तरीक़ा अपनाना चाहिए और जो भी फैसला हो इन्साफ के साथ ही किया जाये। कुरआन में इरशाद है –

तर्जुमः "ऐ ईमान वालो ! अल्लाह की ख़ातिर इन्साफ़ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ, कोई क़ौम तुम्हारी दुश्मन हो जाये तो उसकी दुश्मनी में इन्साफ़ छोड़ देने का जुर्म मत करना बल्कि हर हाल में न्याय और इन्साफ पर काइम रहो कि तक़वा (परहेज़गारी) हासिल करने का यही रास्ता नज़दीक पड़ता है, बस अल्लाह की नाफ़रमानी से दूर रहो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी ख़बर है।" (सूरः माइदा–८)

बार बार इस आयत के तर्जुमः पर नज़र डालें तो आप की समझ में आयेगा कि अल्लाह की किताब और इस्लाम धर्म की यह विशेषता है कि दुश्मन के साथ भी इन्साफ़ करने का हुक्म दिया गया है। किसी के विरोध और दुश्मनी में उभर कर जो भी आदमी न्याय व इन्साफ का दामन छोड़ दे वह तक़वा हासिल नहीं कर सकता । इसलिए ज़रूरी है कि नाहक़ फैसलों से दूर रहा जाये। और हर हाल में हर किसी के साथ इन्साफ़ किया जाये।

हमारी सल्तनतों अथवा उलमा (धर्मशास्त्र के विद्वान) के पास या मुसलमानों में जो समझदार लोग हैं उनके पास इन्साफ़ का कोई तलबगार आये चाहे वह काफ़िर हो या मुशरिक हो या मोमन हो, रिश्तेदार हो या ग़ैर रिश्तेदार, मां–बाप हों या भाई–बहन किसी के पक्ष या विरोध में इन्साफ़ का दामन हरगिज़ (कदापि)न छोड़ा जाये। कुरआन मजीद में इरशाद हैः–

तर्जुमः "और जब भी लोगों के बीच झगड़े का फ़ैसला करो तो इन्साफ़ से फ़ैसला किया करो।" (सूरः निसा–५८)

कुरआन व हदीस की इन शिक्षाओं और निर्देशों के बावजूद अगर ईमान वाले नाहक़ और जुल्म व ज़ियादती (अनाचार व अत्याचार) से दूर न रहे तो दूसरी क़ौमों से इन्साफ़ की क्या उम्मीद की जा सकती है? जिस हदीस की व्याख्या हम कर रहे हैं उसमें अल्लाह के रसूल सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया है कि याद रखो अगर तुमने नाहक़ फ़ैसले किये तो तुम्हारे कारण दुन्या में खून ख़राबा और क़त्ल व ग़ारतगरी फैल जायेगी।

वादा ख़िलाफ़ी न करो, वचन का पालन करो –

पांचवीं बात इस हदीस में यह बताई गई कि "जो क़ौम समझौता को तोड़ती है उसपर दुश्मन ग़ालिब आता है।" मालूम हुआ कि व्यक्तिगत रूप से या क़ौमी और मुल्की लेहाज़ से व्यापार का

मामला हो माल के लेन देने का मामला हो अथवा व्यवस्था सम्बन्धी समझौता हो। कुरआन मजीद में इरशाद है –

तर्जुमः "और क़ौल व क़रार की पाबन्दी करते रहना, निश्चय ही इसके बारे में तुम से सुवाल किया जायेगा।"

(सूरः बनी इस्राईल–३४)

अगर मुशरिकीन और कुफ़्फ़ार से भी क़ौल व क़रार हो, वचन दिया हो तो कुरआन मजीद में हमें अल्लाह ने हुक्म दिया –

तर्जुमः "तुम उनसे क़ौल व क़रार की मुद्दत (अवधि) पूरी करो। बेशक अल्लाह तो उन्हीं लोगों से मुहब्बत करता है जो अपने इक़रार (वचन) का लेहाज़ करते हैं।"

अतएव ईमान वालों को चाहिए कि जब भी किसी को वचन दें, कोई समझौता हो उसे उसकी मुद्दत में पूरा किया जाये। हां, बीच में अगर काफ़िरों की तरफ से वचन तोड़ने का तुम्हें सन्देश प्राप्त हो तो सामने वाले को साफ साफ सूचना दी जाये और कह दिया जाये कि तुम्हारे बीच जो समझौता था समाप्त हुआ और जैसा कि कुरआन में इरशाद है –

तर्जुमः "और अगर किसी क़ौम से तुम को ख़यानत और दग़ाबाज़ी का अन्देशा (आशंका) हो तो खुले तौर पर सुलह का क़ौल वकरार उन की तरफ फेंक दो (वापस करदो)। बेशक अल्लाह ऐसी क़ौम को पसन्द नहीं करता जो ख़यानत करती हो।" (सूरः बनी इस्राईल –५८)

फ़रमाया रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि : कुर्बानी के दिनों में कुबानी से ज़ियादा कोई चीज़ अल्लाह तआ़ला को पसन्द नहीं। इन दिनों में यह नेक काम सब नेकियों से बढ़ कर है।

अतः बड़ी ख़ुशी से और खूब दिल खोल कर कुर्बानी किया करो।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्नि मसऊ़द फ़रमाते हैं कि : तीन अवसरों पर अपने दिल का अवलोकन (जाइज़) करो : कुर्आन सुनने के समय, ज़िक्र (अर्थात उपदेश) की सभाओं में तथा एकांत की घड़ियों में। यदि इन बातों में तुम्हारा दिल न लगे तो अल्लाह से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें एक दिल प्रदान कर दे इस लिए कि तुम्हारे पास दिल नहीं है।

Mohd. Aslam

(S) 268845, 213736
(R) 268177, 254796

Haji Safiullah & Sons

Jwellers

Nagina Market Akbari Gate, Lucknow
Opp. Gadbad Jhala, Aminabad Road, Lucknow.

(Shop) : 266408
(Resi.) : 260884

Iqbal & Co.

Dealer :
FRIEND EMBROIDERY MACHINE

Dealer in :
Embroidery Raw Materials Machine & Spare parts etc.

Pul Firangi Mahal, Behind Pata Nala Police Chowki, Chowk, Lucknow- 2260063

बच्चों का पृष्ठ

फ़िरऔन का डूबना

अरबी से अनुवाद

फ़िरऔन ने बनी इस्राईल को शान्तिपूर्वक समुद्र पार करते देख लिया तो सोच में पड़ गया। उनके पार करने पर फ़िरऔन ने अपने लश्कर (सेना) से कहा कि देखो तो समुद्र को मेरे हुक्म से कैसे फट गया है ताकि मैं इन भागने वालों को पकड़ लूं। जल्दी करो ! इन भागने वालों के साथ फ़िरऔन अपने लश्कर सहित पहुंच गया। बनी इस्राईल फिर घबरा गये और कहने लगे अरे दुश्मन तो आ गया। यह ज़ालिम हम तक आ पहुंचा। अब कोई चीज़ इससे बचा नहीं सकती। हमको यह पकड़ लेगा और मिस्र ले जायेगा। हमें सख़्त तकलीफ़ देगा या फिर हमें मार डालेगा।

मूसा अ० ने अपनी लकड़ी को फिर समुद्र में मारना चाहा ताकि समुद्र अपनी हालत में आ जाये। अल्लाह ने मूसा को वही की समुद्र को ख़ामोश रहने दो। पूरा लश्कर इसी में डूब जायेगा।

जब फ़िरऔन और उसका लश्कर समुद्र के बीच (जो उस समय सूख था) पहुचा तो समुद्र के रास्तों का रूका पानी मिल गया। फ़िरऔन ने जब पानी का मिलना देखा तो उसके होश उड़ गये और उसने समझ लिया कि वह अब डूब जायेगा तो बोला कि मैं अब ईमान लाता हूं जिस पर बनी इस्राईल ईमान लाये हैं। मैं अब मुसलमानों में से हूं।'' लेकिन उसकी बदबख़्ती (दुर्भाग्य) थी। उस समय उन लोगों की तौबा कुबूल नहीं होती जो बुरे कर्म करते रहे और जब मौत का वक्त आ गया तो कहने लगे अब मैं ईमान लाया।

उस (फ़िरऔन) से कहा गया अब तुम ईमान ला रहे हो। इससे पहले तो तुमने हर बात से इनकार किया, आदेशों की अवहेलना की और तुम तो बड़ी गड़बड़ी मचाने वाले थे। फ़िरऔन उसी समुद्र में डूब कर मर गया, वह शक्तिशाली और ज़ालिम जिसने हज़ारों बच्चे वू बूढ़ों को मारा था और उनकी गर्दनें उड़ा दी थी।

वह सरकश मारा गया जिसने हजारों मासूमों को क़त्ल किया था। मिस्र का बादशाह अपने हाल और तख़्त (सिंहासन) से बहुत दूर मरा। ऐसी जगह मरा जहां कोई हकीम उसकी दवा के लिए नहीं था। और कोई उसका मित्र नहीं था जो उससे हमदर्दी (मदद) करता। वहां कोई ऐसा नहीं था जो उसके मरने पर रोता और सोग (ग़म) मनाता।

बनी इस्राईल को उसके मरने का यक़ीन ही नहीं आ रहा था वह तो समझते थे कि फ़िरऔन मर ही नहीं सकता। हमने उसको बग़ैर खाये पिये दिन गुज़ारते देखा है। समुद्र ने उसका बदन फैंक दिया ताकि लोगों को उसकी मौत का विश्वास (यक़ीन) हो जाये। अल्लाह ने फ़िरऔन से कहा कि ''हम तेरे बदन को बचाये रखेंगे ताकि तेरे बाद के आने वाले सबक़ लें और उनके लिये निशानी हो।'' उसका बदन इबरत (नसीहत) और लोगों को देखने के लिए सुरक्षित है।'' और आख़िर कार फ़िरऔन का लश्कर भी डूब गया और उनमें से कोई ज़िन्दा नहीं बचा।

बाद में यह सब (लश्कर) मिस्र लाया गया। मिस्र की फैली हुई ज़मीन में उनके दफ़नाने के लिए जगह भी उपलब्ध न हो सकी। कितने बाग़ और चश्में छोड़े। कितनी खेती और अच्छी जगह छोड़ी और निअ़मतें जिनसे वह लाभ उठाते थे। हम इसी प्रकार दूसरी क़ौमों को उनका वारिस बनाते हैं। वह चले गये उनके जाने पर न तो आसमान रोया और न ज़मीन रोयी और न उनको मुहलत दी गई।

ब्याबान में

बनी इस्राईल अमनो सुकून (शान्ति) की जगह पहुंच गये और आज़ाद व शरीफ़ों की तरह खुली फज़ा में सांस ली। वहाँ फ़िरऔन और उसकी पुलिस का कोई डर नहीं था। निडर होकर घूम फिर रहे थे और जीवन बिता रहे थे। लेकिन नगर निवासी बयाबान की धूप उनको तकलीफ़ देती थी। वह सब अल्लाह के मेहमान थे। क्या तुम ने नहीं देखा कि एक बादशाह अपने मेहमानों के लिए क्या क्या इन्तिज़ाम करता है। धूप से बचाने के लिए ख़ेमे लगाता है। अल्लाह ने बादलों को उन पर साया करने का आदेश दिया। वह बादलों के साये में चलते फिरते थे। उनके साथ–साथ बादल चलते थे। जहां रूकते बादल रूक जाते थे। उस सहारा (रेगिस्तान) में न कोई कुंआ था और न पानी का कोई और प्रबन्ध। प्यास लगी तो बनी इस्राईल मूसा अ० से अपनी प्यास की शिकायत करने लगे उसी अन्दाज़ में जैसे एक बच्चा अपनी मां से पानी मांगता है। मूसा अ० ने दुआ की तो अल्लाह ने मूसा अ० से छड़ी को पत्थर पर मारने को

(शेष पृष्ठ ३८ पर)

आओ उर्दू सीखें

उर्दू अक्षरों के लिखने के नियम

इदारा

पिछले पाठ में उर्दू अक्षरों के बनाने के नियमों पर बात रही थी साथ ही शोशों का भी परिचय दिया गया था। आज हम आरंभ में मिलाने वाले शोशों की एक तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं।

हिन्दी	उर्दू	हिन्दी	उर्दू	हिन्दी	उर्दू	हिन्दी	उर्दू
बा	بـا	जा	جـا	सा	سـا	सा	صـا
बब	بـب	जब	جـب	सब	سـب	सब	صـب
बज	بـج	जज	جـج	सज	سـج	सज	صـج
बद	بـد	जद	جـد	सद	سـد	सद	صـد
बर	بـر	जर	جـر	सर	سـر	सर	صـر
बस	بـس	जस	جـس	सस	سـس	सस	صـس
बश	بـش	जश	جـش	सश	سـش	सश	صـش
बस	بـص	जस	جـص	सस	سـص	सस	صـص
बत	بـط	जत	جـط	सत	سـط	सत	صـط
बअ	بـع	जअ	جـع	सअ	سـع	सअ	صـع
बफ़	بـف	जफ़	جـف	सफ़	سـف	सफ़	صـف
बक़	بـق	जक़	جـق	सक़	سـق	सक़	صـق
बक	بـک	जक	جـک	सक	سـک	सक	صـک
बल	بـل	जल	جـل	सल	سـل	सल	صـل
बम	بـم	जम	جـم	सम	سـم	सम	صـم
बन	بـن	जन	جـن	सन	سـن	सन	صـن
बू	بـو	जू	جـو	सू	سـو	सू	صـو
बह	بـہ	जह	جـہ	सह	سـہ	सह	صـہ
बी	بـی	जी	جـی	सी	سـی	सी	صـی
बे	بـے	जे	جـے	से	سـے	से	صـے

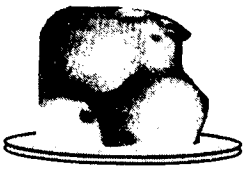

नीबू

तैय्यब हमीदा आक़िल

नींबू एक प्रसिद्ध फल है जो आमतौर पर प्रयोग में आता है। नींबू प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जिस के प्रयोग से दोहरे नतीजे सामने आते हैं। अर्थात इस का रोज़ इस्तेमाल स्वास्थ के लिए लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त शरीर के बाहरी प्रयोग से यह चहरे की चमक दमक को क़ायम रखने में बेमिसाल काम अंजाम देता है। ऐसा ख़याल किया जाता है कि सामान्य लोग इस के लाभ और प्रयोग के गुणों से अपरिचित हैं। इसको ध्यान में रखते हुए नींबू के बारे में लिखने के लिए मैंने यह लेख लिखा ताकि सभी लोग इसके लाभ से कुछ हद तक अवगत हो जाएं।

वास्तव में नींबू स्वास्थ का सबसे अधिक सस्ता और प्रभावी फल है। नींबू एक ऐसा फल है जो हर मौसम में हिन्दुस्तान के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी कई किस्में देखने में आती हैं जैसे कागज़ी, नजूरा, पहाड़ी व जसमीरी आदि से खट्टेपन की सूची में आते हैं। मीठी सूची में संतरा, मोसम्मी आदि आती हैं। नींबू में काग़ज़ी नींबू का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इस का छिलका काग़ज़ जैसा पतला होता है। इसीलिए इसको काग़ज़ी नींबू कहा जाता है। इसमें विटामिन सी (Vitamin-C) सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। पीले रंग का पका हुआ नींबू सबसे अच्छा होता है और इसमें रस भी अधिक निकलता है। वैदिक रिसर्च (अनुसंधान) के अनुसार नींबू में पोटेशियम (k), सोडियम (Na) मैगनीशियम (Mg), लोहा, तांबा, फ़ास्फोरस और सीकोरीन अच्छी ख़ासी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन, चरबी, विटामिन A,B,C भी काफ़ी मिलते हैं। नींबू बीमारी के कीटाणु को मारने वाला, क़ब्ज़, और तेज़ाबियत को मारने वाले अंश शरीर के दुर्गन्धयुक्त अंश को बाहार निकाल कर खाल को सुन्दर बना देता है, हड्डियों को ताक़त पहुंचाता है, दांतों और मसूढ़ों को मजबूत बनाता है। नींबू के प्रतिदिन प्रयोग से खून साफ़ हो जाता है और शरीर का हर अंग फुरतीला, और तकान से छुटकारा पाता है। यह जिगर को स्वस्थ बनाकर शरीर को स्वस्थ रखता है। नींबू को हैज़ा और ताऊन के महामारी के समय बचाव के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। मौसमी बुखार में यह बहुत लाभदायक है। नींबू, प्यास, मतली, जलन और क़ै को रोकता है। अतः मतली और क़ै की बीमारियों में नींबू काट कर उसको आग पर रखें और कुछ गर्म होने पर काली मिर्च छिड़क कर उसको वैसे ही चूस लें। पेट के गैस के लिए काला नमक, जीरा, लाहोरी नमक पीस कर एक गिलास पानी में नींबू निचोड़ कर हर रोज़ पीने से पेट की गैस को आराम मिलता है। नींबू और अदरक का पानी मिलाकर पीने से हाज़मा ठीक हो जाता है और भूख खुल कर लगती है। उबले हुए ठंडे पानी में नींबू निचोड़कर पीने में हैज़े में लाभ होता है। रोज़ाना नहार मुंह एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़ कर पीने से पुराना कब्ज़ दूर हो जाता है। बवासीर की बीमारी में नीबू के दो टुकड़ों पर पिसा हुआ कत्था लगाकर किसी खुली जगह पर एक रात के लिए रखदें फिर उन दोनों टुकड़ों को चूसें। उससे बवासीर में खून आना बन्द हो जाता है। नींबू के रस में काला नमक और शहद मिला कर प्रयोग करने से हिचकियां दूर हो जाती है। बालों को गिरने से बचाव और उन्हें लम्बा करने के लिए नींबू एक अच्छी दवा है। बालों की खुश्की भी इससे दूर हो जाती है। इसके लिए नींबू के रस को सरसों के तेल में या तिल के तेल में अच्छी तरह मिला कर बालों की जड़ों में हफ़्ते में एक या दो बार रात को लगाएं और प्रातः थोड़ा गर्म पानी से सर को धोएं। लेहसुन और नीबू के रस को मिला कर बालों में लगाने से जूएं समाप्त हो जाती हैं। बालों को रीठा और शिकाकाई से साफ़ करके फिर नींबू के रस को तेल की तरह मलें बाद में ठंडे पानी से धो डालें। इससे बालों में चिकनाई पैदा हो जाएगी। नज़ला और ज़ोकाम को दूर करने के लिए नींबू के रस को जोश देकर उसमें शहद मिलाकर प्रयोग करने पर बहुत जल्द आराम मिलता है।

गला बैठ जाने पर गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर ग़रारा करने से गला साफ़ हो जाता है।

नींबू विटामिन 'सी' का ख़ज़ाना होने के कारण पाएरिया या मसूढ़े पिलपिले हो जाने और उनसे खून आने की बीमारी में बेहतरीन दवा है। नींबू के रस को पानी में मिलाकर उससे अच्छी तरह कुल्ला करने से बहुत जल्द फ़ायदा होता है। दांत के दर्द में नीबू के रस में लौंग पीस कर दर्द के स्थान पर लगाने से दर्द को आराम पहुंचता है। नींबू के छिलकों को छाया में सुखा कर जलालें और पीस कर थोड़ा सा नमक मिलाकर मंजन की तरह प्रयोग करने से लाभ होता है।

अनुसंधान और प्रशिक्षण से यह

भी ज़ाहिर हो गया है कि छ चमचे शहद एक गिलास पानी में एक नींबू का रस मिलाकर हर रोज़ा नहार मुंह पीने से मोटापा घटता है। लू लग जाने की दशा में नींबू के रस में मिश्री मिलाकर पीना लाभदायक है।

मकड़ी की काटी हुई जगह पर नींबू का रस और चूना मिलाकर लगाने से दाने दूर हो जाते हैं। दाद व खुजली में नौसादर या हलदी में नींबू का रस डालकर मरहम की तरह पट्टी करने से आराम पहुंचता है।

सुन्दरता और रंगरूप को दोबाला करने में भी नींबू अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिस के कुछ इस्तेमाल इस तरह हैं –

नहाने के लिए प्रयोग करने वाले पानी में दो नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर नहाने से शरीर का रंग खिल उठता है। सरदियों में साधारण रूप से कुहुनियों और एड़ियों में मैल जम जाती है, उसे दूर करने के लिए इन जगहों पर नींबू का रस लगाएं और फिर नींबू का छिलका रगड़ कर मैल साफ़ करें। नींबू निचोड़ने के बाद उसके छिलकों को उलटी तरफ़ से जिल्द और नाखूनों पर रगड़ें। इससे जिल्द की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं और नाखून मज़बूत और चमकीले हो जाते हैं। यदि गर्दन कुछ रूखी सी हो गई है तो थोड़े से दूध में नींबू का रस मिला कर गर्दन पर रूई के फाए की मदद से धीरे–धीरे मलें और फिर ठंडे पानी से धोयें। इससे जिल्द ठीक हो जाएगी। ज़ैतून के तेल में नींबू का रस मिला कर सोने से पहले चेहरे पर मलने से जिल्द का रंग निखर आता है। मलाई में नींबू का रस मिला कर उपटन करने से जिल्द का रूखापन दूर हो जाता है। एक आउंस नींबू का रस, दो आउंस गिलिसरीन, दस ग्राम बोरिक पाउडर और एक आउंस गुलाब जल मिलाकर लोशन तैयार कर लें। यह लोशन सोने से पहले चेहरे और शरीर पर मलें। सुबह ठंडे पानी से धोलें। ऐसा करने से दाग़ धब्बे और रूखापन दूर हो जाएगा। और जिल्द पर निखार आ जाएगा। चेहरा का कालापन दूर करने के लिए नींबू के रस में सोहागा मिला कर लगाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त नींबू घरेलू प्रयोग में भी बहुत लाभदायक है। सब्जी बासी हो जाने पर उसे खूब ठंडे पानी में नींबू का रस मिलाकर आधा घंटा भिगोए रखें ज़िस से सब्जी का बासीपन दूर हो जाता है। बरतन या हाथों में यदि मछली की बदबू बस जाए तो नींबू के रस के प्रयोग से उसे दूर किया जा सकता है।

चावल उबालते समय नींबू के रस की कुछ बूंदे और थोड़ा सा सिरका डालने से चावल अधिक सफेद हो जाते हैं। पीतल और अलमूनियम के बतरतन को नींबू के रस से साफ़ करने से उसमें चमक और सफ़ाई आ जाती है। सियाही, मुर्चा और विभिन्न प्रकार के धब्बों को दूर करने के लिए नमक और नींबू के रस प्रयोग करने से धब्बे दूर हो जाते हैं।

(पृष्ठ ३५ का शेष)

कहा। मूसा अ० ने पत्थर पर छड़ी मारी। १२ चश्मे १२ गिरोह के लिये निकल आये। हर एक ने अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद बनी इस्राईल ने भूख की शिकायत की और कहने लगे कि "ऐ मूसा तुम हमें मिस्र से ले आये वहां तो फल फूट थे और खाने पीने की हर चीज़ उपलब्ध थी। तुमने यहां लाकर डाल दिया जहा खाने का कोई इन्तिज़ाम नहीं है।

मूसा अ० ने अल्लाह से उनके खाने के लिए दुआ की। अल्लाह ने उनके खाने का इन्तिज़ाम फ़रमा दिया। पेड़ों केपत्तों पर मिठाई की तरह एक चीज़ गिरती थी। उनके लिए चिड़ियां भेजीं जो पेड़ों पर आकर बैठ जातीं और यह उनको आसानी से पकड़ लिया करते थे। यही मन और सलवा था जो उनकी मेहमानदारी में अल्लाह ने भेजा।

बनी इस्राईल की नाशुक्री

बनी इस्राईल ने अपना मिज़ाज बिगाड़ लिया था इसमें उनके लम्बे ग़लामाना अख़्लाक़ को दख़्ल था। किसी एक बात पर रूकते ही नहीं थे। किसी एक पर उनको आराम नहीं मिलता। वह बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करने लगे। वह शुक्र बहुत कम करते और शिकायतें ज़ियादा करते। जिस चीज़ के करने से रोका जाता उसको करते और जिसके करने को कहा जाता उसको नहीं करते थे। थोड़े दिन किसी चीज़ को खाते तो कहने लगते "ऐ मूसा हम तो एक तरह की चीज़ खाते–खाते उकता गये हैं। हलवा और गोश्त खाते–खाते उब गये। अब तो हमारा जी सब्जी खाने को कर रहा है। बहुत हो चुका । मुसा तुम तो अल्लाह से उन चीज़ों को देने के लिए कहो जो ज़मीन में पैदा होती है। जैसे – सब्ज़ी, प्याज़, लहसुन, अरहर की दाल इत्यादि।" मूसा अ० को इन मूर्खों की बातों पर बड़ा आश्चर्य हुआ और इनकी इस बेवकूफी पर चीख़ पड़े और कहने लगे क अरे बदबख़्त अच्छी चीज़ के मुकाबले बुरी चीज़ों के लिए क्यों कहते हो। हलवे और चिड़ियों के गोश्त के मुक़ाबले सब्ज़ी की हैसियत क्या है। कहां शाहाना खाना और कहां मज़दूरों का। कितने बदज़ौक़ हो गये हो तुम। लेकिन वे सब्ज़ी खाने पर ज़िद पकड़े हुए थे। मूसा अ० ने उनसे कहा कि जो तुम चाहते हो वह चीज़ तुम्हें हर गांव और प्रिस में खूब मिलेगी। तुम अब मिस्र लौट जाओ।

अधिकारों में हुआ इज़ाफा

मुद्दस्सिर हुसैन नौखेज़

सूचना का अधिकार मानव अधिकारों से संबंधित अधिकारों में प्रमुख अधिकार है। इससे जीवन सुरक्षित एवम् विकसित होता है और आदमी की बहुत सी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को सुलझाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परन्तु सूचना के अधिकार के विकास में बहुत सी ऐसी मूल शर्तें हैं जिनका संबंध आर्थिक, सामाजिक तथा सियासी है। जब तक कोई भी अपने देश अपने यहां विद्यमान भूख, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सियासी आजादी जैसी समस्याओं का निदान नहीं करता तब तक सूचना के अधिकार के महत्व को नहीं समझा जा सकता है और न ही उसका उपभोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय विकास स्तर और सूचना के अधिकार के बीच भी गहरा रिश्ता है। जाहिर है कि जो व्यक्ति अधिक विकसित देश में रह रहा है उसके द्वारा इस अधिकार का उपभोग विकासशील देशों की तुलना में अधिक होगा। विकसित देश के लोग इस तरह के अधिकार को इस्तिमाल करना बखूबी जानते हैं। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस तीसरी दुनिया के देशों से जो सूचनाएं एकत्र करते हैं उनके माध्यम से उसका उद्देश्य यहां के जन–जीवन के हालात को और अधिक विकराल अवस्था में दिखाना होता है। विकसित एवम् औद्योगिक देशों का मास मीडिया छोटे मुल्कों में लड़े जाने वाले आन्दोलनों का और संघर्षों की भी उपेक्षा करता है। मानव अधिकारों के नाम पर अमरीका इन देशों में खासा दखल देता है लेकिन खुद उसके यहां इन अधिकारों का कितना हनन हो रहा है इस पर कभी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती है। दुनिया के बाजार में छोटे मुल्कों की गरीबी बेचकर भी काफी मुनाफा कमाया जाता है। विकसित देश बहुत बड़े पैमाने पर सूचनाओं, खबरों और आंकड़ों को खरीदने व बेचने का व्यापार करते हैं। यहां एक मिसाल से बात साफ हो सकती है कि किसी पूजा स्थल के निकट से किसी भिखारी या कोढ़ी की फोटो लेकर कोई विदेशी एजेंसी उसे न्यूयार्क की किसी नामी–गिरामी पत्रिका में छपवा कर बहुत मुनाफा कमा सकती है। विश्व स्तर पर कुछ समाचार एजेंसियां सक्रिय होकर इन्हीं भिखारियों कोढ़ियों, बाल श्रम आदि पर कोई लेख, फीचर और इंटरव्यू छापना शुरू कर दे तो इस समस्या को रातों रात भारत की एक भयावह समस्या के रूप में खड़ा किया जा सकता है। इनके निराकरण के लिए फिरविश्व बैंक या विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि जैसी अनेकों संस्थाए आगे आ जाएगी और लाखों करोड़ों की योजनायें केवल इसी समस्या के निदान या अध्ययन–विश्लेषण के लिए चलायी जा सकती हैं। ऊपरी तौर से देखने पर यह पूरा का पूरा ताम–झाम पूरी तरह वैज्ञानिक व तर्कसंगत लगेगा लेकिन हकीकत में यह सारा खेल खबरों की अंतर्राष्ट्रीय सौदागीरी का होगा और उसका मूल कारणों से ध्यान हटाना होगा।

२. दरअसल सूचना के अधिकार का अवाश्य सूचना की आजादी से है और सूचना की आजादी का अर्थ बौद्धिक आजादी है। इस प्रकार मानव अधिकारों को भी बचाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं मगर यह तभी संभव है जब देश में लोकतंत्र बहाल हो। यदि ऐसा नहीं है तो समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी भागीदारी से कोई निर्णय ले सकता है जिसके लिये उसे सूचना के अधिकार की आवश्यकता होगी। जब तक पूरी तरह से लोकतंत्र बहाल नहीं होगा तब तक सूचना के अधिकार की समस्या का निदान नहीं हो सकता है। अधिकार विकासशील देशों में लोकतंत्र पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। यदि हम यह मान लें कि मुक़म्मल लोकतन्त्र सूचना के अधिकार के लिये सबसे पहली शर्त है तो हम यह भी कह सकते हैं कि विकासशील देशों के पास अब तक सूचना के अधिकार का कोई मौका नहीं है। सर्वप्रथम धार्मिक नरसंहार सुधारने तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यूं तो अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार नियमों ने आर्थिक सामाजिक कारणों को गरीबी दूर करने की दिशा में मुख्य कारण माना है लेकिन भूख, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाल श्रम, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक विकास में भागीदारी जैसे व अहम मुद्दे हैं जो सूचना के अधिकार से मेल नहीं खाते हैं। जिस आदमी के पास भर पेट भोजन न हो, रहने को घर न हो, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुन्यादी समस्यायें जिसके साथ जन्म से जुड़ी या जो मुख्य धारा से बिल्कुल ही अछूता हो उसे सूचना के अधिकार की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें इसकी आवश्यकता है उन्हें

(शेष पृष्ठ ४० पर)

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार

मुईद अशरफ़ नदवी

● सऊदी अरब के शाह फ़ैसर्ल एवार्डस कम्पनी के सरबराह शाहज़ादा खालिद फ़ैसल ने रियाज़ में विभिन्न ज्ञान तथा कला में शाह फ़ैसल एवार्ड प्राप्त करने वालों के नाम घोषित किये हैं। जबकि इस्लामी ख़िदमात में एवार्ड पाने वाले व्यक्ति के नाम से घोषणा ईदुलअज़हा (बक़रईद) के पश्चात होगा अरबी साहित्य का एवार्ड इस वर्ष रोक लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष इस्लामी तहक़ीक़ात (अनुसंधान) का शाह फ़ैसल अन्तर्राष्ट्रीय एवार्ड सूडान के डाक्टर अिज्जुद्दीन अुमर मूसा और मराकश के डाक्टर इब्राहीम अबू बक्र हरकात में बराबर विभाजित किया गया है। मेडिकल फील्ड में कैन्सर पर रिसर्च के सिलसिले में इटली के डाक्टर सम्बरटू डेरोसीनी और जरमनी के डाक्टर अक्सर रोलर में बराबर–बराबर बांटा गया। उन्होंने बताया कि साइन्स के मैदान में कीमिया के विषय पर शाह फ़ैसल अंतर्राष्ट्रीय एवार्ड अमेरिका के डाक्टर मेरीन फ्रेडरिक और जापान के डाक्टर को जानाकानीशी ने बराबर–बराबर प्राप्त किया। इस के अतिरिक्त शहज़ादा ख़ालिद फ़ैसल ने एक प्रेस कान्फ्रेन्स में कहा कि शाह फ़ैसल एवार्ड वास्तव में इस्लामी सभ्यता तथा सूसाइटी का प्रकटीकरण है। उन्होंने कहा कि मानवता के लाभ तथा कल्याण के विषय में संसार इस्लाम और मुसलमानों की बहुमूल्य सेवाओं को भुला नहीं सकता।

● फ्रांस के ग्रहमंत्री ने फ्रांस में रह रहे लगभग बीस हज़ार मुसलमानों को वहां की नागरिकता देने की घोषणा की है। उन्होंने समाचार पत्र के अपने विज्ञप्ति में बताया कि इन शरणार्थियों में लगभग एक हज़ार वह मुसलमान हैं जो फ्रान्स की विभिन्न मस्जिदों में इमाम और खतीब हैं और वह इस्लाम प्रसारण की सेवा में लगे हैं। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि हम इस्लाम के शान्ति प्रिय लोगों के सहयोगी हैं और इन्तिहा पसन्दों (चरमपंथियों) के विरोधी हैं। और ऐसे इमाम और मुबल्लिग़ीन (इस्लाम प्रचारकों) को अपने देश में प्रवेश नहीं देते जो आतंकवादी विचार के हों। हमारा देश शान्ति प्रिय तथा संतुलित विचारकों का स्वागत करता है।

● मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मुहम्मद ने चेतावनी दी है कि अगर इराक़ पर हम्ला किया गया तो अमरीका को मुस्लिम देशों की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना होगा। टोकिया में एक कान्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों पर अवैध प्रतिबन्ध लगे हुए है तथा मुसलमान संसार में हर स्थान पर अत्याचार का निशाना हैं। उन्होंने ने कहा कि अमरीका की पालीसियां न्याय पर आधारित नहीं है। उसे अपनी पालीसियों पर पुनरीक्षण (नज़रे सानी) करना चाहिए।

(पृष्ठ ३६ का शेष)

इस बात पर संदेह है कि सरकारें अपने जम्बूजेट मंत्रीमण्डल पर होनेवाले खर्च और जनता जनार्दन पर होनेवाले खर्च का सही ब्यौरा आम आदमी को दे पायेगी या नहीं।

३. इसके अतिरिक्त हमारे देश से सरकारी पुस्तकालयों के गिरते स्तर और किताबों के वितरण के मापदण्ड भी शिक्षित वर्ग को इस अधिकार से वंचित रखने में कुछ कम भूमिका अदा नहीं करते हैं। पुराने ढर्रे पर चले आ रहे यह सरकारी कुतुबखाने वर्तमान शिक्षा के बदलते प्रारूप से दूर–दूर मेल नहीं खाते हैं। बेशक सूचना एक शक्ति है जो अनेकों समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण किरदार निभा सकती है लेकिन सरकार और उसके अहलकार आम तौर पर स शक्ति से बेखबर हैं। इस अधिकार के विकास और इसके परिणामों के प्रति आश्वास्त रहने से पहले हमें इन तमाम पहलुओं पर गम्भीरता से सोचना होगा वरना इस अधिकार का हश्र भी वही होगा जो आम तौर से अन्य अधिकारों का होता आया है क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से अभिव्यक्ति और सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता सिर्फ सत्ताधारी वर्ग तक ही सीमित होती है। समाज का एक बहुत बड़ा, दबा–कुचला वर्ग इस आजादी को कभी भोग नहीं पाता है। यह वर्ग कभी अपने अधिकारों को आवाज देना चाहता है तो उसका खामियाजा उसे पुलिस की लाठी, गोली और जेल भुगत कर चुकाना पड़ता है।

आप
सच्चा राही
स्वयं पढ़ें और दूसरों से भी पढ़ने का अनुरोध करें।

कुर्बानी का एक मक़सद अपने निर्धन भाइयों की सहायता भी है। आप इसे भूल न जाएं।